व्यवसायिक शिक्षा सर्वेक्षण आख्या

जनपद

पीलीभीत

24

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
उत्तर प्रदेश

व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण आख्या

जनपद—पीलीभीत

वर्ष 1989–90

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सर्वेक्षण-मण्डल

(1) रामावतार अग्रवाल
जिला विद्यालय निरीक्षण/सर्वेक्षण/अधिकारी
पीलीभीत

(2) शिव शंकर सक्सेना
पीलीभीत

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7822
Date....27-10-92

प्राग्वाक्

राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने व्यावसायिक शिक्षा को प्लस दो स्तर पर लागू करने के लिए अपनी अनुशंसायें की हैं। सभी अनुशंसाओं का सार तत्व यह रहा है कि शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाय जिसके फलस्वरूप प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का शुभारम्भ किया गया। अब व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्र/छात्राओं को मात्र व्यवसाय दिलाने का न होकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरणा देना तथा व्यवसाय विशेष में न्यूनतम क्षमता विकसित करना है जिससे यदि किन्हीं कारणोंवश उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकें तो वे अपनी व्यावसायिक शिक्षा से अभिप्रेरित होकर स्वरोजगार कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इतना ही नहीं व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन इसलिए भी जरूरी समझा गया जिससे व्यक्तियों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़े, कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति का सन्तुलन दूर हो सके।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय विशिष्टताओं के आधार पर प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विविध शिल्पों तथा ट्रेड्स के शिक्षा की व्यवस्था करना समीचीन होगा। अतः छात्रों को अपनी रुचियों आकांक्षाओं तथा क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त शिल्प अथवा ट्रेड का चयन करने हेतु अवसर प्रदान करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनपदों में प्रचलित अथवा सम्भावित शिल्पों के संबंध में सर्वेक्षण द्वारा सूचनाओं का संकलन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जनपद के स्थानीय शिल्पों तथा ट्रेड्स के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर इस प्रकाशन में प्रस्तुत किया गया है।

आशा है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के पजनदों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की रुचियों, आकांक्षाओं तथा स्थानीय स्तर पर सुलभ संसाधनों के अनुसार विभिन्न शिल्पों एवं ट्रेड्स के शिक्षण की व्यवस्था करने में यह प्रकाशन सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

लखनऊ दिनांक 21 जुलाई 1992

हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

अनुक्रमणिका

शीर्षक		पृष्ठ संख्या
● जनपद एक दृष्टि में	—	1—6
● जनपदीय सर्वेक्षण की भूमिका	—	7—9
● प्लस दो स्तर पर ड्राप आउट	—	10—15
● व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण की कार्य विधि	—	16 - 18
● पीलीभीत जनपद का विवरण	—	19—24
● जनपदीय विवरण	—	25—26
● जनपद में जनगणना 1981 एवं उसके बाद ग्राम वार आधार भूत आंकड़े	—	27—36
● कृषि	—	37—44
● पशुपालन तथा मत्स्य	—	45—49
● मत्स्य पालत	—	50—
● सामाजिक वानकी	—	51—53
● खनिज संसाधन	—	54—
● उद्योग	—	55—68
● विपणन	—	69—75
● शिक्षा	—	76—80
● चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	—	81—84
● विद्युत व्यवस्था	—	85—86
● परिवहन एवं जनसंचार	—	87—92
● व्यवसाय एवं वाणिज्य	—	93—94
● सामाजिक कल्याण कार्यक्रम	—	95—98
● वित्तीय संस्थान	—	99—104
● प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण	—	105—112
● अन्य जनपदीय क्रिया-कलाप	—	113—117
● आंकड़ों का विश्लेषण	—	118—130
● निष्कर्ष	—	131—133
● सर्वेक्षण का निष्कर्ष	—	134—136

●●

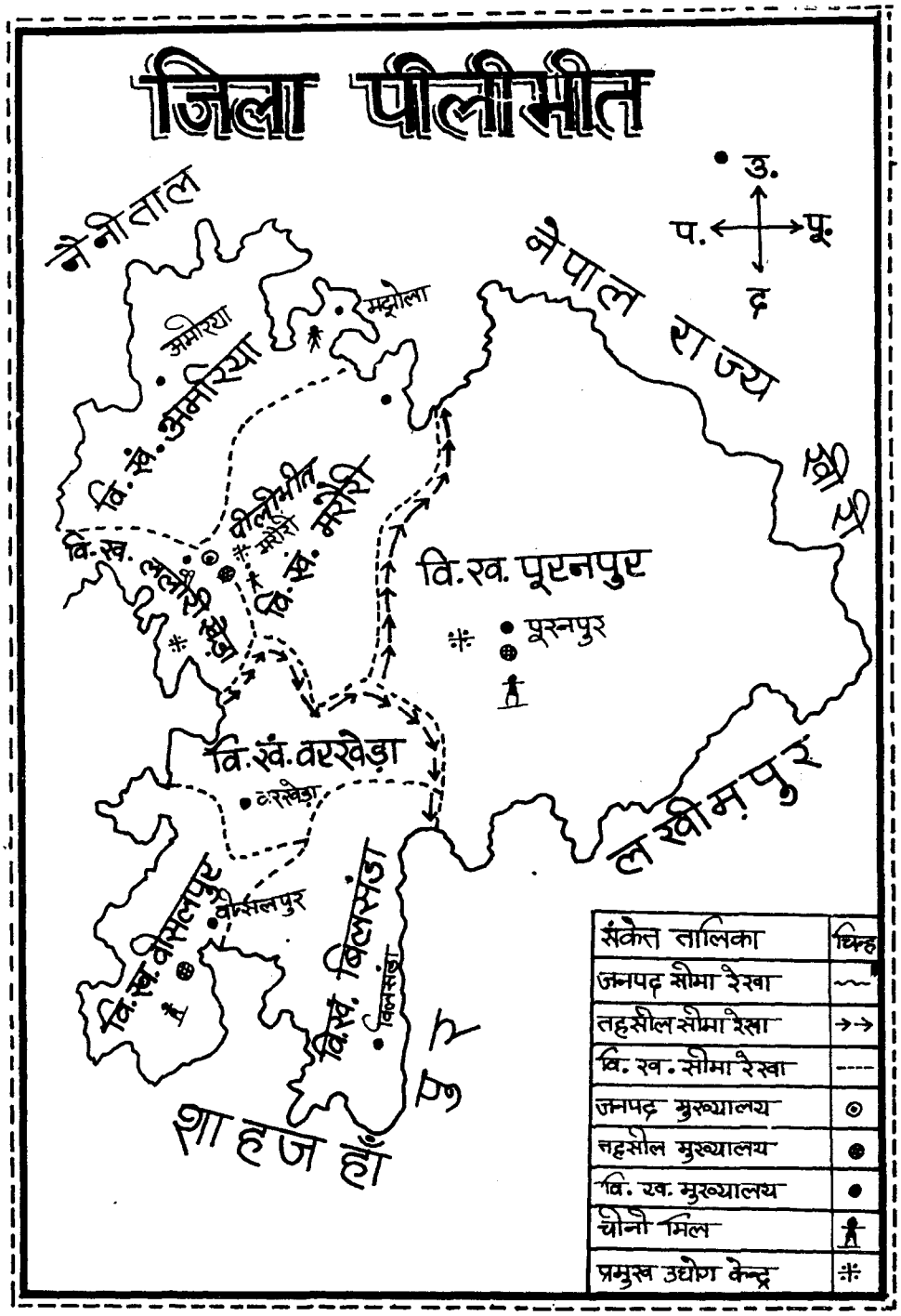

जिला पीलीभीत

उ.
प.
पू.
द
नैनीताल
नेपाल राज्य
खीरी
लखीमपुर
शाहजहाँपुर
अमरिया
वि.ख. अमरिया
मझोला
पीलीभीत
मरौरी
वि.ख. मरौरी
वि.ख. ललौरी खेड़ा
वि.ख. पूरनपुर
पूरनपुर
वि.ख. बरखेड़ा
बरखेड़ा
वि.ख. बीसलपुर
बीसलपुर
वि.ख. बिलसंडा
बिलसंडा
संकेत तालिका
चिन्ह
जनपद सीमा रेखा
तहसील सीमा रेखा
वि. ख. सीमा रेखा
जनपद मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
वि. ख. मुख्यालय
चीनी मिल
प्रमुख उद्योग केन्द्र

घ—18 = अन्य सूचना

जनपद एक दृष्टि में

क्र० सं० मद	इकाई	अवधि	विवरण
1—भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग कि० मी०	1981	3499
2—जनसंख्या :—			
2. 1—पुरुष	हजार	,,	546
2. 2—स्त्री	,,	,,	462
2. 3—योग	,,	,,	1009
2. 4—ग्रामीण	,,	,,	845
2. 5—नगरीय	,,	,,	163
2. 6—अनुसूचित जाति की जनसंख्या	,,	,,	172
2. 7—अनुसूचित जनजाति की संख्या	,,	,,	0.3
3—साक्षर व्यक्तियों की संख्या			
3. 1—कुल	,,	,,	206
3. 2—पुरुष	,,	,,	163
3. 3—स्त्री	,,	,,	43
4—तहसीलों की संख्या	संख्या	1989-90	3
5—सामुदायिक विकास खण्ड	,,	,,	7
6—आबाद ग्रामों की संख्या	,,	,,	
6. 1—कुल ग्राम	,,	1981	1190
6अ 2—वन ग्राम	,,	,,	7
7. ग्राम सभा	,,	,,	736

पीलीभीत फ० न०—1

घ—18 = अन्य सूचनां

1	2	3	4	5
8—न्याय पंचायत		संख्या	1981	73
9—नगर एवं नगर समूह		,,	1981	9
10—नगर महापालिका		,,	1989-90	—
11—नगरपालिका		,,	,,	3
12—नगर क्षेत्र समिति		,,	,,	6
13—पुलिस स्टेशन		,,	,,	13
13. 1—ग्रामीण		,,	,,	३
13. 2—नगरीय		,,	,,	8
14—रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित)		,,	,,	17
15—रेलवे लाइन की लम्बाई		कि० मी०	,,	132
15. 1—छोटी लाइन		,,	,,	132
16—डाकघर				
16. 1—नगरीय		संख्या	1989—90	17
16. 2—ग्रामीण		,,	,,	120
17—तारघर		,,	,,	13
18—टेलीफोन		,,	,,	1026
19—राष्ट्रीय बैंक शाखायें		,,	,,	52
20—ग्रामीण बैंक		,,	,,	16
21—सहकारी बैंक शाखायें		,,	,,	10
22—भूमि विकास बैंक की शाखायें		,,	,,	4
22—अन्य व्यवसायिक बैंक		,,	,,	7
23—सस्ते गल्ले की दुकान				
23. 1—ग्रामीण		,,	,,	545
23. 2—नगरीय		,,	,,	77
23. गोबर गैस संयन्त्र		,,	,,	1930

घ—18 = अन्य सूचना

1	2	3	4	5
25—शीत भण्डार		संख्या	1989—90	5
26—कृषि				
26. 1—शुद्ध बोया क्षेत्रफल		ह० हे०	1988—89	218
26. 2—एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र		,,	,,	142
26. 3—शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल		,,	,,	145
26. 4—संकल सिंचित क्षेत्रफल		,,	,,	272
27—कृषि उत्पादन				
27. 1—खाद्यान्न		ह० मी० टन	,,	732
27. 2—गन्ना		,,	,,	2359
27. 3—तिलहन		,,	,,	5
27. 4—आलू		,,	,,	21
28. जलवायु				
28. 1—वर्षा				
28. 1. 1—सामान्य		मि० मी०	1989	1242
28. 1. 2—वास्तविक		,,	,,	860
28. 2—तापमान				
28. 2. 1—उच्चतम		सेन्टीग्रेड	1989—90	45.0
28. 2. 2—न्यूनतम		,,	,,	27
29—सिंचाई				
29. 1—नहरों की लम्बाई		कि० मी०	1989—90	959
29. 2—राजकीय नलकूप		संख्या	,,	111
30. पशु पालन				
30. 1—कुल पशु धन		संख्या	1987	503006
30. 2—पशु चिकित्सालय		,,	1989—90	16

1	2	3	4	5
30. 3	—पशुवर्धन सेवा केन्द्र	संख्या	1989—90	24
30. 4. 1	—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	,,	,,	7
30. 4. 2	—कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	,,	,,	27
31	—सहकारिता			
31. 1	—प्रारम्भिक ऋण समितियाँ	,,	,,	71
31. 2	—समितियों में सदस्य संख्या	हजार	,,	103
32	—उद्योग			
32. 1	—औद्योगिक अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत (1948)			
32. 1. 1	—कार्यरत करखाने	संख्या	1986—87	45
32. 1. 2	—कारखाने जिनसे रिटर्न प्राप्त हुये	,,	,,	42
32. 1, 3	—रिटर्न प्राप्त कारखानों में कार्यरत दैनिक श्रमिक एवं कर्मचारी	,,	,,	4775
32. 2	—लघु औद्योगिक इकाइयां			
32. 2. 1	संख्या	,,	1989—90	366
32. 2. 2	—कार्यरत व्यक्ति	,,	,,	1830
33	—शिक्षा			
33. 1	—जूनियर बेसिक स्कूल	,,	,,	762
33. 2	—सीनियर बेसिक स्कूल	,,	,,	160
33. 3	—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	,,	,,	28
33. 4	—डिग्री कालेज	,,	,,	2
33. 5	—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	,,	,,	2
34	—जन स्वास्थ्य			
34.1	—चिकित्सालय एवं औषधालय			
34. 1. 1	—ऐलोपेथिक	संख्या	1989—90	12

1	2	3	4	5
34. 1. 2	—आयुर्वेदिक	संख्या	1989—90	23
34. 1. 3	—होम्योपैथिक	,,	,,	11
34. 1. 4	—यूनानी	,,	,,	2
34. 2	--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	,,	,,	27
34. 3. 1	—परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	,,	,,	15
34. 3.2	—परिवार एवं मातृ शिशु उपकल्याण केंद्र	,,	,,	176
3.4 4	—विशेष चिकित्सालय	,,	,,	
34.4. 1	—क्षय	,,	,,	1
34.4. 2	—कुष्ठ	—	—	—
34.4. 3	—संक्रामक रोग	—	—	—
35	—पक्की सड़कें			
35. 1	—सा० नि० वि० द्वारा संवृत्त सड़कों की लम्बाई	कि०मी०	1988–89	657
35. 2	—अन्य	,,	,,	359
36	—विद्युत			
36.1.1	—विद्युतीकृत कुल ग्राम	संख्या	,,	736
36. 1. 2	—विद्युतीकृत आबाद ग्राम	,,	,,	736
36. 2	—विद्युतीकृत नगर	,,	,,	9
36. 3	—विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ	,,	,,	403
37	—नल लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत लाये गये			
37. 1	—ग्राम	संख्या	1989—90	9
37. 2	—नगर	,,	,,	5

2	2	3	4	5
37	3—अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या	,,	,,	21
38	—मनोरंजन			
38. 1	—सिनेमागृह	,,	,,	6
38. 2	—सिनेमागृहों में सीटों की संख्या	,,	,,	3814
39	—वस्तु उत्पाद खण्डों में कुल शुद्ध उत्पाद			
	1970—71 के भाव पर	करोड़ रु० में	1985—86	137
			1986—87	150
			1987—88	150
40	– वस्तु उत्पाद खण्डों में कुल शुद्ध		1985—86	186
	उत्पाद प्रचलित भावों पर		1986—87	220
			1987—88	230
41	—राष्ट्रीय बचत में जमा धन			
41.1	—शुद्ध जमा धन	लाख रु०	1989—90	937
41.2	—सकल जामा धन	,,	,,	2270
42	—जिला सेक्टर योजना पर कुल			
	व्यय/परिव्यय	हजार रु० में व्यय	1988—89	50235.0
			1989—90	56707.0
		परिव्यय	1990—91	73420.0

(ख) जनपदीय सर्वेक्षण की भूमिका

जनपदीय सर्वेक्षण की आवश्यकता एवं महत्व :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत यह आवश्यक समझा गया है कि शिक्षा को व्यावसायपरक बनाया जाय शिक्षा का पाठ्यक्रम नई तकनीकियों का प्रयोग करके वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इस प्रकार तैयार किया जाय कि यह छात्र/छात्राओं के भावी जीवन में व्यवहारिक रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सके। अतः यह परमावश्यक है कि एक विशिष्ट पद्धति के आधार पर सर्वेक्षण किया जाय ताकि मूलभूत आवश्यकतायें जनपद या मण्डल स्तर पर पूरी की जा सकें। मुख्य रूप से प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। इस स्तर को उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्र/छात्रायें उपयुक्त कार्य अथवा स्वरोजगार के लिये सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद द्वारा भी सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य पर विशेष बल दिया गया है। उस आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी क्षेत्र के सर्वेक्षण के द्वारा ही वहाँ की शिक्षा को उपयोगी एवं व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। सर्वेक्षण द्वारा ही ज्ञात हो पायेगा कि जनपद के किन क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की मुख्य आवश्यकता है और कहाँ इसका कार्यान्वयन लाभप्रद सिद्ध होगा।

सर्वेक्षण क्षेत्र :

जनपद पीलीभीत में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अध्ययन एवं सर्वेक्षण हेतु जनपद के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इण्टर कालेज, वर्तमान औद्योगिक प्रतिष्ठानों सम्भावित औद्योगिक प्रतिष्ठानों, चिकित्सालयों, उन्नतशील कामों तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों व व्यवसायों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इस जनपद में मुख्यरूप से चीनी उद्योग, चावल उद्योग, काष्ठोपकरण उद्योग धान उद्योग, बांसुरी उद्योग चल रहे हैं इसके अतिरिक्त कुछ नवसृजित उद्योग जैसे रेशम उद्योग, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, डेरी फार्मिंग उद्योग, राइसब्रान आयल, उद्योग आदि चल रहें हैं।

पीलीभीत जनपद में तीन तहसीलें हैं पीलीभीत, जोसलपुर तथा पूरनपुर, जनपद

पीलीभीत सात ब्लाकों में बँटा हुआ है, जिनके नाम अनरिया, मरौरी, ललौरी खोड़ा बरखोड़ा, बीसलपुर, बिलसण्डा तथा पूरनपुर है, अतः व्यावसायिक शिक्षा हेतु सर्वेक्षण का क्षेत्र पूरा जनपद है। वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा का प्राविधान ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पीलीभीत में प्रयोग के रूप में है। सर्वेक्षण के आधार पर अब इस शिक्षा का विस्तार जनपद की अन्य तहसीलों के विद्यालयों में किया जायगा।

सर्वेक्षण का क्षेत्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से लेकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, उन्नतिशील कृषि फार्मों तथा अन्य औद्योगिक प्रबन्धकों से संघर्ष किया गया इसके अतिरिक्त व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र प्रतिष्ठानों, स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों उभरते हुये हुसोन्मुखी व्यवसायों एवं स्वरोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के दृष्टि-का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया जाना है। इसके अतिरिक्त ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया जाना है जो भविष्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। यह सर्वेक्षण इसी संदर्भ में कृषी प्रतिष्ठान प्रगतिशील कृषक तथा अन्य विशेषज्ञों की राय का जानना, योजना कार्यक्रम व्यावसायिक आवश्यकता आदि का सर्वेक्षण का विषय क्षेत्र बनाया गया है।

सर्वेक्षण के उद्देश्य :

व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार हेतु जनपदीय सर्वेक्षण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनपदीय सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित मूल्यांकन करना है :—

1—जनपद के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों, व्यवसायों में किस-किस प्रकार का तथा किस स्तर का रोजगार उपलब्ध होने की सम्भावना है।

2—आगामी पांच या दस वर्षों में किन-किन व्यवसायों का विस्तार किस सीमा तक होने की सम्भावना है।

3—स्वरोजगार का अवसर किन-किन व्यवसायों से सम्भावित है।

4—जनपद के उन क्षेत्रों का पता लगाना एवं आंकलन करना जहाँ मानव शक्ति की निरंतर कमी हैं।

5—उपयुक्त विद्यालयों का पता लगाना जहाँ चयनित व्यावसायिक योजना लागू की जा सकती है।

6—जनपद में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधायें

उपलब्ध हो सकें जैसे आई० टी० आई० व्यवहारिक विद्यालय, चिकित्सा विद्यालय (मनुष्य तथा पशु) आदि।

7—सर्वेक्षण के द्वारा इस बात का पता लगाना कि व्यावसायिक शिक्षा वाले विद्यालय से निकट व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सुविधायें जैसे कार्य चिकित्सालय, विभिन्न उद्योग तथा बैंक आदि उपलब्ध हो सकते हैं।

8—उन सुविधाओं का चयन करना जिनके द्वारा अध्ययत के समय में तथा पश्चात भी सेवा-प्रशिक्षण (औन दि जाब ट्रेनिंग) छात्रों को प्राप्त हो सके।

9—अप्रेन्टिस प्रशिक्षण के अवसर ज्ञात करना इस सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

10—नगर तथा ग्रामीण दोनों में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, तथा उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की उपलब्धियों का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कराना।

11—व्यावसायिक सर्वेक्षण का उद्देश्य, समस्त सम्भव उपलब्ध स्रोतों से, सर्वेक्षण सम्बन्धी ऐसी सभी सामग्री एकत्र करना है जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं व कार्यकलापों के लिये आवश्यक है जैसे प्राकृतिक संसाधन, व जनशक्ति के अधिक से अधिक उपयोग करने सम्बन्धी ऐसी सभी सूचनाओं का एकत्रीकरण करना है जो, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

+2 स्तर पर ड्राप आउट

हाई स्कूल परीक्षाफल का ड्राप आउट :

वर्ष	पंजीकृत			उत्तीर्ण			अनुत्तीर्ण			उच्च शिक्षा प्रवेश सं०	असफल बेरोजगार
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1985—	4675	513	5188	983	274	1257	3692	239	3931	1257	3931
1986—	4291	566	4857	1560	315	1875	2731	251	2982	1875	2982
1987—	3662	734	4396	1590	410	2000	2070	324	2396	2000	2396
1988—	3821	779	4600	1113	440	1553	2708	339	3047	1553	3047
1989—	4598	868	5466	1910	360	2270	2688	508	3196	2270	3196
1990—	4536	938	5474	1307	261	1568	3229	677	3906	1568	3906
1991—	4707	824	5531	1641	615	2256	3066	209	3275	2256	3275

+2 स्तर (इण्टर)

1988—	1166	333	1497	795	230	1025	371	101	472	1025	472
1986—	1027	336	1363	472	237	711	553	99	652	711	652
1987—	1707	409	2116	723	298	1021	984	111	1095	1021	1095
1988—	1261	391	1652	758	235	993	503	156	659	993	659
1989—	1403	410	1813	701	238	939	702	172	874	939	874
1990—	1566	603	2169	719	265	984	847	338	1185	984	1185
1991—	1922	520	2442	1018	435	1453	904	85	989	1453	989

स---4=प्लस दो स्तर पर सांख्यिकीय विवरण :

प्लस दो स्तर पर कार्यरत विद्यालयों की संख्या 11 से जिनमें दो विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित है में व्यावसायिक शिक्षा पर लागू है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को व्यवसायिक पाठचर्या में शामिल करने के लिये विद्यार्थियों का 10 प्रतिशत लक्ष्य 1990 तक निर्धारित किया था 25 प्रतिशत तक 1995 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है । व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुये विद्यार्थियों में से अधिकतर या तो नौकरी मिले या वे अपना स्वरोजगार अपनायें इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये 10+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय आर्थिक जीवन के अनुरूप बनाना है विभिन्न संस्थाओं के बीच सम्बद्धता स्थापित करना जिससे कि उनके कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में सहयोग प्राप्त किया जा सके । अप्रेन्टिस-शिप का अवसर मिल सके । इसलिये व्यावसायिक सर्वेक्षण किया जा रहा है । चूंकि सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यार्थियों के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा के लिये अलग सें खोले गये विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर आई० टी० आई० में तथा इण्टर स्तर पर पालीटेक्निक विद्यालयों में उन सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं है जो हाई स्कूल तथा इण्टर की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं अथवा जो छात्र इन तकनीकी संस्थाओं सें पढ़ना चाहते हैं उनको अध्ययन कराने के लिये प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करना लाभप्रद है ।

जनपद पीलीभीत में हाई स्कूल स्तर पर अध्ययनरत छात्रों की संख्या निम्नवत है—

वर्ष	अध्ययनरत छात्रों की संख्या			उत्तीर्ण छात्रों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1985	4675	513	5188	983	274	1257
1986	4291	566	4857	1560	315	1875
1987	3662	734	4396	1590	410	2000
1988	3821	779	4600	1113	440	1553
1989	4598	868	5466	1910	360	2270

य--4 = प्लस स्तर :

उपरोक्त परीक्षाफल वर्ष 1985 से लेकर 1989 तक अवलोकन करने पर पाँच वर्षों में उत्तीर्ण बच्चों का औसत लगभग 1791 बच्चों का आता है जिसमें से आई० टी० आई० तथा पालीटेक्निक में कुल 522 बच्चे प्रवेश पा जाते हैं शेष बच्चे 1336 रह जाते हैं यह बच्चे या तो आगे शिक्षा प्राप्त करेंगे जो रोजगार पूरक नहीं हो सकती अथवा इनमें से बड़ी संख्या में बच्चे अध्ययन करना छोड़ देते हैं जिससे उनके स्वावलम्बी बनने की क्रिया अधूरी रह जाती है। अत: यहाँ एक बार पुन: पुनरावलोकन कर लें कि इन पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1336 बच्चे औसतन इस स्थिति में रह जाते हैं जिनके विषय में सोचना नितान्त आवश्यक हैं, ऐसी स्थिति में यदि इन्हीं बच्चों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाय तो यह बच्चे आगे चलकर स्वरोजगार के स्वयं तो लाभान्वित होंगे ही साथ ही साथ इनका देश की उन्नति में बड़ा योगदान रहेगा।

प्लस दो स्तर पर अध्ययरत वर्गवार छात्रों का विवरण

		कक्षा 11				कक्षा 12		
वर्ग	वर्ष	बालक	बालिका	योग	वर्ष	बालक	बालिका	योग
1. साहित्य	85	545	231	776	1986	645	331	976
2. विज्ञान	85	310	164	474	1986	679	44	723
3. वाणिज्य	85	80	—	80	1986	130	—	130
4 व्यावसायिक	85	61	—	61	1986	143	—	143
1. साहित्य	1987	400	290	690	1988	449	487	936
2. विज्ञान	1987	334	85	419	1988	417	48	475
3. वाणिज्य	1987	139	—	139	1988	124	—	124
4. व्याव०	1987	125	—	125	1988	151	—	151
		कक्षा 11				कक्षा 12		
1. साहित्य	1989	801	511	1312	1989	609	458	1067
2. विज्ञान	1989	644	50	694	1989	569	47	616
3. वाणिज्य	1989	198	—	198	1989	127	—	127
4. व्याव०	1989	82	—	82	1989	98	—	98

कक्षा 12

घ—4 = प्लस दो स्तर

वर्ग	वर्ष	बालक	बालिका	योग	वर्ष	बालक	बालिका	योग
साहि०	1985	591	201	792	1986	437	266	703
विज्ञा०	,,	280	52	332	,,	321	70	391
वाणि०	,,	25	—	25	—	132	—	132
व्याव०	,,	9	—	9	—	137	—	137
सा०	1987	741	330	1071	1988	555	314	869
वि०	,,	703	79	783	,,	490	37	527
वाणि०	,,	129	—	129	,,	113	—	113
व्याव०	,,	134	—	134	,,	103	—	103

प्लस दो स्तर पर इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल

वर्ष	सम्मिलित बालक	बालिका	योग	उत्तीर्ण बालक	बालिका	योग
1985	1166	331	1497	795	230	1025
1986	1027	336	1363	474	237	0711
1987	1707	409	2116	723	298	1021
1988	1261	391	1652	758	235	993
1989	1403	310	1813	701	238	939

कक्षा 11 में औसतन 1540 बच्चों अध्ययनरत रहे जिसमें विज्ञान वर्ग का औसत 555 छात्र प्रति वर्ष रहा वाणिज्य में औसत 111 छात्र प्रति वर्ष रहा तथा व्यावसायिक शिक्षा में 112 छात्र का वार्षिक औसत रहा शेष साहित्यिक वर्ग के बच्चे जिनका

वार्षिक औसत 938 रहा इस प्रकार प्रतिवर्ष इतने बच्चों में से कुछ ही बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश ले लेते हैं तत्पश्चात शेष बच्चे दिशाहीन होकर बेरोजगारी का सामना करते हैं यदि यही बच्चे व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षित होते तो निश्चित ही यह लोग कोई न कोई स्वरोजगार/व्यवसाय कर सकते थे अत: इस स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा की उपादेयता का अनुभव होता है इसलिये व्यावसायिक शिक्षा नितान्त आवश्यक है ।

घ—4 = प्लस दो स्तर कक्षा—11

इसी प्रकार कक्षा 12 में औसतन प्रति वर्ष 1688 बच्चे पाँच वर्ष की अवधि में अध्ययनरत रहे तथा प्रतिवर्ष औसतानुसार कुल 938 बच्चे उत्तीर्ण होते रहे यहाँ पर यह विचारणीय स्थिति है कि इतने बच्चों में कुछ ही बच्चे अगली शिक्षा हेतु प्रवेश ले पाते हैं और बचे हुये बच्चे दिशाहीन होकर स्वावलम्बी नहीं बन पाते हैं यदि प्रारम्भ से ही इन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी गई होती तो इतने बच्चे छोटी मोटी पूँजी निवेश कर व्यावसायिक शिक्षा का सही लाभ उठा सकते थे यहाँ यह प्रश्न उठेगा कि इनके लिये धन की क्या व्यवस्था होगी तो यह तो सर्वाविदित ही है कि प्रशिक्षितों को स्व-व्यवसाय हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध होता है वह भी साधारण ब्याज पर जिससे वह व्यक्ति बखूबी अपना व्यवसाय कर सकता है परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब व्यावसायिक शिक्षा बड़े पैमाने पर चलायी जा सके जिससे सबसे भयंकर बेरोजगारी की समस्या का निदान होगा क्योंकि जब कोई बेरोजगार युवक यूही अपना समय बर्बाद करता है तो एक तो देश के मानव की कार्य क्षमता, कार्यशीलता का ह्रास होता है और ऐसे युवक पथ भ्रमित होकर समाज में हेय दृष्टि से देखे जाने वाले कार्य कर बैठते हैं जो धीरे-धीरे क्षय रोग की तरह समाज की अच्छाइयों की मिटाकर बुराइयाँ उत्पन्न होती है अत: निष्कर्ष यह है कि व्यावसायिक शिक्षा भारत जैसे देश में नितान्त आवश्यक है ।

वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्न विषयों का समावेश किया गया है—

(क साहित्यिक वर्ग

1. खाद्य संरक्षण
2. पाक शास्त्र
3. परिधान रचना एवं सज्जा
4. धुलाई तथा रंगाई
5. बैंकिंग तथा कन्फैक्शनरी

6. टेक्सटाइल डिजाइन

7. बुनाई तकनीक

घ—4 = प्लस दो स्तर पर ट्रेड्स व्यवस्था :

9. नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध

(ख) वैज्ञानिक वर्ग

10. बहुउद्देशीय बुनियादी स्वास्थ्य कार्मिक (पुरुष)

11. फोटोग्राफी

12. रेडियो एवं टेलीविजव तकनीक

13. आटोमोबाइल्स

(ग) वाणिज्य वर्ग

14. एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण

15. बैंकिंग

16. आशुलिपिक एवं टंकण

17. विपणन तथा विक्रय कला

18. सचिवीय पद्धति

19. सहकारिता

20. टंकण

(घ) रचनात्मक वर्ग

21. मुद्रण

22. कुलाल विज्ञान

23. मधुमक्खी पालन

24. डेरी प्रौद्योगिकी

25. रेशम कीट पालन

26. फल संरक्षण प्रौद्योगिकी

27. बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी

28. फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी

29. पौधशाला

उपरोक्त ट्रेड्स के अध्ययन से छात्रों की विकसित क्षमता द्वारा नौकरी या स्व-व्यवसाय (स्वरोजगार) की अधिकाधिक सम्भावनायें बलवती होती हैं और छात्र स्वावलम्बी बन सकता है। अतः व्यावसायिक शिक्षा प्लस दो स्तर पर नवयुवकों के भावी जीवन के लिये अमूल्य निधि का कार्य करेगी।

'ग'–व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण की क्रियाविधि

व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण करने के लिये, जनपद स्तर पर एक कार्ययोजना तैयार की गई ताकि व्यावसायिक शिक्षा का सर्वेक्षण व्यवस्थित रूप से किया जा सके। जनपद स्तर पर एक सर्वेक्षण समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी चुने गये और जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत को सचिव चुना गया। अन्य सदस्यों के रूप में, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, पीलीभीत, प्रधानाचार्या राजकीय बालिका इण्टर कालेज, पीलीभीत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत, प्रधानाचार्य, एस० डी० बी० राम इण्टर कालेज, पीलीभीत को मनोनीत किया गया। सर्वेक्षण समिति ने श्री शिव शंकर लाल सक्सेना, प्रसार अध्यापक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत को सहायक सर्वेक्षण अधिकारी नामित किया।

सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जनपद के समस्त उ० मा० वि० इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों की एक बैठक की गई जिससे व्यावसायिक शिक्षा के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में, उसके उद्देश्य, आवश्यकता एवं उपादेयता पर प्रकाश डाला गया। सर्वेक्षण कार्य का प्रखण्डवार विभाजन किया गया। सूचना को प्रखण्ड स्तर तथा नगरीय स्तर पर कार्यालय के स्टाफ, प्रसार अध्यापक एवं अनुदेशकों के सहयोग से एकत्र किया गया। प्रपत्र संख्या आठ, उच्चतर माध्यमिक (कक्षा—12) इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत छात्र की संख्या सर्वेक्षण प्रपत्रों से अवगत कराया गया तथा उनको भरने की कार्यविधियों समझाई गई, प्रपत्रों पर सूचनाओं को भर कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

सर्वेक्षण से सम्बन्धित प्रपत्र, प्राधार्य राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण, महाविद्यालय लखनऊ से नवम्बर 1989 में प्राप्त हुए, इन सर्वेक्षण प्रपत्रों के नाम निम्नवत हैं :—

1. वर्तमान औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये सर्वेक्षण प्रपत्र।
2. स्थापित होने वाले भावी प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण प्रपत्र।
3. उभरते हुए विकासोन्मुखी, व्यवसायों, एवं स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी हेतु व्यक्तियों के दृष्टिकोण का पता लगाने का प्रपत्र।

4. योजना कार्यक्रम व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र ।
5. कृषि प्रतिष्ठान, प्रगतिशील कृषक तथा अन्य विशेषज्ञों हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र ।
6. व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र ।
7. स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिष्ठानों हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र ।
8. उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12) इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का सर्वेक्षण प्रपत्र ।

इन उपरोक्त आठों प्रपत्रों को सम्बन्धित अधिकारी, विभागों प्रतिष्ठानों संस्थाओं व विशेषज्ञों प्रगतिशील कृषकों स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, उभरते हुए ह्रासोन्मुखी व्यवसायों एवं स्वरोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों, तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को इस कार्यालय के सर्वेक्षण पत्रांक/7995—8000/89—90 दिनांक 16-12-89 से सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध कराये गये । इसी सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत, जिला पशुधन अधिकारी पीलीभीत, समस्त विकासखण्ड अधिकारी पीलीभीत, जिला विकास अधिकारी पीलीभीत, जिला संख्या अधिकारी पीलीभीत, जिला उद्योग अधिकारी पीलीभीत, जिला सेवायोजन अधिकारी पीलीभीत को सर्वेक्षण पत्रांक/ 8001-2/89-90 दिनांक 16-12-89 द्वारा सर्वेक्षण से सम्बन्धित जानकारी हेतु आंकड़ों के संकलन हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उसके बाद उन अधिकारियों से समय-समय पर सर्वेक्षण कार्य हेतु सम्पर्क किया जाता रहा ।

संभ्रान्त नागरिकों, टाउन एरिया के चेयरमैन, तीनों नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य क्रमशः सर्वश्री रियाज अहमद, श्री सन्तूलाल, श्री हरीश कुमार गंगवार, डा० विनोद तिवारी, लोक सभा की सदस्य श्रीमती मेनका गांधी, (पर्यावरण एवं वन उपमन्त्री, भारत सरकार) को पत्र लिखे गये सभी से व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित किया गया । जनपद में 7 दीर्घ एवं मध्यम उद्योग जो पूर्व स्थापित हैं प्रपत्र नं० एक वर्तमान औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये को प्रस्थानों में व्यक्तिगत रूप से, पीलीभीत चीनी मिल, ललितपुर चीनी मिल, सम्मेला चीनी मिल तथा, डिस्टेलरी एण्ड केमिकल्स, अनिल मोदी साल्वेन्ट, नेतराम पलोर मिल सलोरी खेड़ा, से सम्पर्क स्थापित कर सर्वेक्षण किया गया । इसी सम्बन्ध में गत्ता फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, पीलीभीत, मैसर्स अनीस बांसुरी मेकर्स मोहल्ला शेर मुहम्मद पीलीभीत, विष्णु मोटर्स, छतरी का चौराहा, पीलीभीत, मेसर्स

आसिफ एण्ड कम्पनी स्टील वर्क मो० बेनी चौधरी, मैसर्स अब्दुल अजीज बांसुरी मेकर्स से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर लघु उद्योगों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त राजकीय शिक्षण संस्थाओं व अराजकीय शिक्षण संस्थाओं, अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे सरकारी विभाग, व निजी प्रतिष्ठानों से सम्पर्क स्थापित कर सर्वेक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों से व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में उनकी अनुक्रियायें प्राप्त की। इस सम्बन्ध में शिक्षकों से तथा बेरोजगार शिक्षित व व अशिक्षित युवक/युवतियों से साक्षात्कार करके उनकी अनुक्रियाओं का पता लगाया गया।

इस सम्बन्ध में ग्रामीण व नगर क्षेत्र के विचारशील, व्यक्तियों, जैसे ग्राम-प्रधान, सरपंच, ब्लाक प्रमुख, नगरपालिका व जिला परिषद के सदस्यों, अधिवक्तागण, महाविद्यालय के प्रचार्य व प्रवक्ताओं के विचार व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में उनके दृष्टि-कोण और उनकी अनुक्रियायें ज्ञात की गई।

इस प्रकार प्रपत्र एक से लेकर आठ तक के प्रारूपों में दी गई तालिकाओं में प्रदर्शित आंकड़ों व तथ्यों के आधार पर निम्नांकित 11 बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई तथा अनुक्रमण केन्द्र द्वारा वितरित किये गये सारिणीकरण प्रपत्रों की अनुसूची संख्या एक से पांच तथा अन्य सारणीयों को प्रखण्ड स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया जिसका खण्ड "ग" के 11 बिन्दुओं में दिया है।

1. प्रखण्ड स्तर पर उद्योगों का विवरण।
2. उद्योग धन्धों के आधार पर मांग।
3. प्रखण्ड स्तर पर उपयुक्त व्यक्तियों को कमी।
4. स्वरोजगार के अवसर।
5. प्रखण्ड स्तर पर रोजगार की सम्भावनायें।
6. व्यवसाय जिसमें व्यक्तियों की कमी हो।
7. प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षित मानव शक्ति की मांग।
8. स्कूल/कालेज जहाँ व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (ट्रेड्स) आरम्भ किये जा सकते हैं।
9. स्कूल/कालेज में व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षकों की उपलब्धता।
10. विचाराधीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की अनुक्रियायें।
11. व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समुदाय की अनुक्रियायें समीक्षा।

'घ' पीलीभीत जनपद का विवरण

जनपदीय पृष्ठभूमि :

जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक छोटा जनपद है तथा रोहेलखण्ड मण्डल के उत्तरी पूर्वी भाग में तराई क्षेत्र में आता है।

भौगोलिक स्थिति :

जनपद पीलीभीत रोहेलखण्ड मण्डल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में तराई में लगभग 2860 (दो हजार आठ सौ साठ) से 2853 (दो हजार आठ सौ तिरपन) उत्तरी आक्षांश तक तथा 7937 (सात हजार नौ सौ सैंतीस) से 8027 (आठ हजार सत्ताइस) पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ है।

क्षेत्रफल :

इस जनपद का क्षेत्रफल भारत के सर्वेयर जनरल के अनुसार 3499 (तीन हजार चार सौ निन्यानबे) वर्ग कि० मी० है।

चौहद्दी :

जनपद पीलीभीत के उत्तर में जिला नैनीताल एवं नेपाल देश आता है दक्षिण में जिला शाहजहांनगर, पूर्व में जिला लखीमपुर खीरी तथा पश्चिम में बरेली है।

क्षेत्र का विस्तार :

लम्बाई में यह जिला ग्राम गरदासवर से रांठ तक 86·4 (छियासी दशमलव चार) कि० मी० उत्तर दक्षिण में है और चौड़ाई में पूर्व पश्चिम निजाम डांडी से कठिया तक 80 कि० मी०।

ऊँचाई :

उत्तर में जहानाबाद 203 (दो सौ तीन) मीटर ऊँचाई तक तथा दक्षिण में शाहजहां नगर 262 (दो सौ बासठ) मीटर ऊँचाई है।

भौगोलिक स्थिति :

जनपद पीलीभीत 28. 6 एवं 28.55 उत्तरी देशान्तर तथा 79.37, 80.87

पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। पीलीभीत जिले के उत्तर में जनपद नैनीताल तथा नेपाल देश का कुछ भाग है। दक्षिण में शाहजहानगर पूर्व में जनपद लखीमपुर खीरी तथा पश्चिम में बरेली जनपद स्थित है।

जनपद पीलीभीत का मुख्यालय उत्तर में स्थित है। पूर्व में छोटी लाइन की रेलवे है जो लखनऊ तक, दक्षिण की ओर शाहजहांनगर तक पश्चिम में बरेली तक तथा उत्तर में काठगोदाम की ओर तथा टनकपुर की ओर जाती है।

जनपद के मुख्यालय तक पहुँचने हेतु चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मध्य सड़क आसाम रोड, जो पूरन नगर तहसील होती हुई आगे लखनऊ को जोड़ती है। बीसलपुर रोड जो बरखेड़ा, बीसलपुर व विलसण्डा विकासखण्ड को जोड़ती हैं और यही बीसलपुर रोड बीसलपुर से आगे शाहजहांनगर को जोड़ती हैं। पीलीभीत से टनकपुर रोड जो न्योरिया, खटीमा होती हुई टनकपुर को जोड़ती है। पीलीभीत से सितारगंज, अमरिया रोड जहानाबाद होती हुई अमरिया विकास खण्ड एवं जनपद नैनीताल के सितारगंज को जोड़ती है। पीलीभीत से बरेली रोड जो ललौरीखेड़ा ब्लाक होती हुई बरेली कों जोडती है जो आगे चलकर दिल्ली तक पहुँचती है। पीलीभीत जहानाबाद रोड, जहानाबाद होते हुए बरेली जनपद के ग्राम रिछापुर बरेली काठगोदाम रोड सें जोड़ती है।

जनपद पीलीभीत का इतिहास :

पीलीभीत जिले के प्राचीन इतिहास के विषय में निश्चित रूप से प्रमाणित सामिग्री उपलब्ध नहीं हैं परन्तु जनश्रुतियों के आधार पर यह क्षेत्र हस्तिनापुर में चन्द्रवंशीय राजाओं के राज्य क्षेत्र जिसकी राजधानी अहिक्षेत्र (बरेली) के अर्न्तगत था।

इस जनपद में यत्र-तत्र पुराने भग्नाशेष देखने को मिलते हैं। पीलीभीत, न्योरिया में पुराने खण्डहर, मुड़िया खास में पुरानी ईटों का किला, सिमरिया गौसू में मिट्टी का किला, जहानाबाद के पास खोड़ाविलयी का टीला, जहाँ जनरल करियम अन्वेषण करने गये थे तथा परसुआ कोट आदि खण्डहरों में पुरानी चीजों के पाये जाने से इसकी प्राचीनता का आभास मिलता है।

1928 में दियोरिया कला के पास इलाहाबाद देवल के मंन्दिर में प्राप्त प्रसिद्ध शिलालेख के अनुसार शिव पार्वती मन्दिर का निर्माण लल्लू तथा उसकी पत्नी लक्ष्मी ने 1049 विक्रमी अथवा 992 तथा 993 ई० के मध्य कराया था।

पीलीभीत जनपद के पूरनपुर एवं बीसलपुर क्षेत्र में राजा मोरध्वज के किले के अवशेष तथा जहानाबाद क्षेत्र में चक्रवर्ती राजा बेन के किले के अवशेष पाये गये हैं। पीलीभीत शहर को गौरीशंकर मन्दिर जनपद की ऐतिहासिकता का आज भी परिचावक है। सन्त गुरु नावक देव को भी पीजीभीत पधारे थे वहाँ अब गुरुद्वारा बना है।

इसी प्रकार एक जनश्रुति के अनुसार खत्रौत के पश्चिमी भाग में राजा बेन का राज्य था।

बारहवीं शताब्दी में नसरूद्दीन जब पीलीभीत होकर प्रबन्ध का विद्रोह दबाने गया था तो उस समय यहाँ कटहरी राजपूतों का राज्य था। चौदहवीं शताब्दी में सिकन्दर लोधी ने कटहरियों को 1492 में हराया था तत्पश्चात शेरशाह ने भी इसका दमन किया। मुगलों के समय में यह क्षेत्र बदायूँ सरकार के अन्तंगत दिल्ली का प्रान्त था।

लवाना क्षत्रियों के इतिहास के अनुसार 1659 विक्रमी में राजा हुकम चन्द ने लवाना से आकर पीलीभीत को स्वतन्त्र कराया था। इनकी उपजाति पीरिया थी जो पीरीभात कहलाया कालान्तर में यह पीरीभीत, और फिर बाद में पीलीभीत के नाम से जाना जाने लगा।

1707 ई० में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का शासन कमजोर पड़ने के कारण रोहिलों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। 1742 ई० के आस पास के राजा हरचन्द को रोहिलों को दबाने के लिये भेजा गया परन्तु तत्कालीन राजा अली-मोहम्मद के सहयोग से रोहिलों प्रमुख श्री हाफिज रहमत खाँ ने हरचन्द को हरा दिया।

कुछ विद्वानों का कहना है कि उसी समय 1762 ई० में भारी अकाल पड़ने पर हाफिज रहमत खाँ ने मेवाती लोगों की सहायता व रोजगार दिलाने के लिये जनपद के चारों ओर पीली दीवार बनायी थी। उस कारण भी इस जनपद का नाम पीलीभीत कहलाने लगा। हाफिज रहमत खाँ ने पीलीभीत को सुन्दर बनाने के लिए कई सफल प्रयास किये जिसमें 1769 ई० में जामा मस्जिद, चारों दरवाजे (बरैली गेट), सदर अस्पताल, इमाम इत्यादि है। मराठों तथा सिराजुद्दौला ने रोहिलों को बाद में हराया। यह जनपद अवध के नवाबों के भी कब्जे में रहा और 10 नवम्बर 1801 ई० को नवाब वाजिदअली खाँ ने जब रोहेलखण्ड का कर चुकाने के सम्बन्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दिया तब से जनपद अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और कलक्टर बरेली के चार्ज में कर

दिया गया ।1857 के स्वाधीनता संग्राम में हाफिज रहमत खाँ के रोहिलावंश तथा अन्य देशभक्तों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर इसे स्वतन्त्र कराया परन्तु 1858 में अंग्रेजों ने पुनः इस जनपद पर कब्जा कर लिया ।

अंग्रेजों के शासनकाल में इस जनपद का पूरा क्षेत्र बरेली जिले के अन्तर्गत शामिल किया गया । 1871 ई० तक पीलीभीत सबडिवीजन एक ज्वायन्ट मैजिस्ट्रेट के चार्ज में रहा, 1881 के बाद पीलीभीत एक स्वतन्त्र जिला बना ।

अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में भी इस जनपद का बहुत बड़ा योगदान रहा । राष्ट्रपिता महात्मागांधी तीन बार इस जनपद में पधारे उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों में एक नई राजनीतिक एवं सामाजिक स्फूर्ति जगाई गांधी जी असहयोग आन्दोलन के पूर्व पीलीभीत पधारे । तीसरी बार पीलीभीत पधारने पर स्थानीय गौरीशंकर मन्दिर में एक जनसभा की । पं० जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1936 में दो बार पीलीभीत पधार कर विशाल जनसभायें की सन् 1942 के आन्दोलन में इस जिले के बहुत से लोग शहीद हुए और बहुत से जेल गये ।

पीलीभीत के नवनिर्माण का इस पिछड़े क्षेत्र को समृद्धि और गरिमामय बनवाने में स्वर्गीय राजा लालता प्रसाद एवं लाला हरप्रसाद का विशेष योगदान रहा । इनके द्वारा अट्ठारवीं शताब्दी के अन्त में संस्कृत एवं आयुर्वेद की शिक्षा का महाविद्यालय स्थापित किया गया । सन् 1909 ई० में भारतीय पूंजी से प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई जो आज भी चीनी का उत्पादन कर रही है ।

प्राकृतिक पृष्ठभूमि

यद्यपि यह जनपद पर्वतों से मुक्त है तथापि भूमि काफी ऊँची नीची है। प्राकृतिक दृष्टि में जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में मुख्यतया तराई क्षेत्र है उसमें तथा उनके नीचे घने जंगल के क्षेत्र है तराई के दक्षिण में शेष भाग उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है इस क्षेत्र में नदियों तथा झीलों का अधिक्य है, महत्वपूर्ण गोमती नदी इसी जिले के गाँधी टांडा ग्राम की फुलहर झील से, खान्नौत नदी महादेव झील से, खेड़ा नदी अनवर गंज झील से, अप्सरा नदी चांदपुर झील से उमेड़ी नदी बोंटा ग्राम के निकट वारी झील में निकलती है। इस प्रकार इस जनपद की पांच प्रमुख नदियों का उद्गम स्थान जनपद पीलीभीत के ही भाग हैं इसके अतिरिक्त माला, देबड़ा, कटना, खकरा, कैलाश तथा बनघेली आदि नदियाँ जो पहाड़ों में चल कर इस जिले में उत्तर से दक्षिण को बहती हैं। इस जिले के पूर्वी मध्य भाग असतमल है परन्तु उत्तरी भाग की अपेक्षा जिले के दक्षिणी भाग की जमीन उपजाऊ है। जिले के मध्य तथा उत्तर भाग में बालूदार मिट्टी पाई जाती है, जिले के तराई क्षेत्र में जलवायु सर्द और नम एवं अस्वस्थकर है जबकि मैदानी भाग अपेक्षाकृत ऊष्ण एवं शुष्क है। जिले की सामान्य वर्षा 1242 मि० मी० है, माला, शारदा व चूका के जंगलों में जंगली जानवर शेर, चीता, भेड़िया, तेन्दुआ, तथा अन्य वनों में जंगली जानवर सुअर, नील गाय चीतल, भेड़िया खरगोश, गीदड़ बहुतायत में पाये जाते हैं।

आर्थिक आधार एवं विशेषतायें :

सर्वेयर जनरल के अनुसार इस जिले का क्षेत्रफल 3499 (तीन हजार चार सौ निन्यान्वे) वर्ग कि० मी० तथा राज्य परिषद के अनुसार 354 (तीन सौ चौवन) हजार हेक्टयर है। जिले 78 (अट्ठत्तर) हजार हेक्टयर क्षेत्र में वन है अर्थात जनपद में 22.5 प्रतिशत क्षेत्र में वनभाग है जो कि अधिकांशतः पूरनपुर एवं पीलीभीत तहसीलों में पड़ते हैं जिसमें आर्थिक महत्व की इमारती लकड़ी जैसे शाल, शीशम, आन का अधिक उत्पादन होता है। तराई के भागों में वैत एवं मूंज की भी पैदावार होती है इसके कारण जनपद में बास का उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में व्यापक आधार पर किया जाता हैं। बाँसुरी बनाना

जनपद का प्राचीन कुटीर उद्योग है यहाँ की बाँसुरी पूरे देश के अन्य भागों को बहुतायत से निर्यात की जाती है।

जनपद की भूमि कृषि उत्पादन के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। विशेषकर जंगलों को साफ कर कृषि योग्य बनाई गई भूमि। जनपद के मैदानी भाग में गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार बाजारा चना तिल, सन तथा गन्ना पैदा होता है। धान और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं यही कारण है कि यह जनपद पिछड़ा होने के कारण भी धान और गेहूँ की पैदावार को दूसरे जिलों को निर्यात करता है। गुड़ तथा चीनी की पैदावार भी जनपद में काफी होती है। चीनी के बड़े उद्योग पीलीभीत बीसलपुर, पूरनपुर, तथा झोला में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त खण्डसारी तथा धान मिलें भी काफी मात्रा में हैं।

जिन भागों में पर्याप्त मात्रा में घास होती है वहां पशुपालन का भी व्यवसाय होता है। कुटीर उद्योगों में चटाई बुनना, काष्ठ उद्योग तथा जंगलों से औषधियाँ एकत्र करके निर्यात की जाती हैं। जिले की छः प्रमुख मण्डियां पीलीभीत, खोसलपुर, पूरनपुर, न्योरिया एवं माधोटांडा हैं जिनमें अनाज, गुड़ शक्कर आदि का व्यवसाय होता है। पशुओं की खरीद फरोक्त का व्यावसाय, जिले के डांग व टिकरी, की बाजार में होता है। यह मण्डियाँ पक्के मार्गों से जुड़ी हैं। कृषि जोतों का आधार इस जनपद में अपेक्षाकृत छोटा है जहां जो कृषक मजदूर हैं वह भी कुछ न कुछ भूमि कृषि की रखते हैं। इस जिले की यह एक खास विशेषता है इसके कारण जनपद खाद्यान्न निर्यात में आगे है। इस जिले का आम और बासमती चावल विदेशों को भी निर्यात होता है।

'घ'-1. जनपदीय विवरण

जनपद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि :

जनपद पीलीभीत के प्राचीन इतिहास का सिंहावलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पीलीभीत का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। इस क्षेत्र में प्राचीनकाल में चन्द्र वंशीय राजाओं का राज्य रहा। इस जनपद में यत्र तत्र प्राचीन भग्न अवशेष देखने को मिलते हैं जो इसकी प्राचीन संस्कृति का परिचायक है। पीलीभीत में गौरीशंकर का मन्दिर, हाफिज रहमत खां की बनवाई हुई जामा मस्जिद, हमाम, दीवानेआम (वर्तमान आयुर्वेदिक कालेज, दीवाने खास वर्तमान (महिला अस्पताल) महल सराह (वर्तमान में पुराना सदर अस्पताल) तथा फौज के रहने के लिये छावनी जिसे अब ड्रमण्ड गंज बाजार में बदल दिया गया है, तथा खाकरा नदी का पल जिसे हाफिज रहमत खां ने बनवाया था एवं जैसंतरी देवी का मन्दिर, प्राचीन संस्कृति के परिचायक हैं। इसी प्रकार न्योरिया में पुराने खंडहर, गुड़िया खास में पुरानी ईटों का किला, जहानाबाद के पास खेड़े का टीला और अटावरसुआ आदि जनपद की प्राचीन संस्कृति के जीते जागते उदाहरण है। 1928 में दियोरिया कलां के पास इलाबास देवल के मन्दिर में प्राप्त प्रसिद्ध शिलालेख के अनुसार शिव पार्वती मन्दिर का निर्माण लल्म तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी ने 1049 विक्रमी अथवा 992 तथा 993 ई० के मध्य कराया था। पीलीभीत जनपद के पुरनपुर व बीसलपुर क्षेत्र में राजा मोरद्वज के किले के अवशेष, जहानाबाद क्षेत्र तथा खान्नौत के पश्चिमी भाग में राजा बेन के समय के किला-खेड़ा आदि भी जनपद की प्राचीन संस्कृति को समृद्ध करते हैं।

यह क्षेत्र कटहरी राजपूतों व लवाना क्षत्रियों के भी अधिकार में रहा। यहाँ पर मुगलों ने व रोहिलों ने भी शासन किया।

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

हाफिज रहमत खां ने पीलीभीत को सुन्दर बनाने में बहुत ही योगदान किया।

उन्होंने 1769 ई० में जामा मस्जिद के चारों दरवाजे, हमाम आदि बनवाये । यहाँ मराठों तथा अवध के नवाबों तथा इसके पश्चात अंग्रेजों का राज्य रहा ।

जनपद पीलीभीत में सन्त गुरु नानक देव जी भी जहाँ पधारे थे वहाँ अब वर्तमान गुरुद्वारा बना हुआ है । पंडित जवाहर लाल नेहरू 1936 में और गांधीजी भी असहयोग आन्दोलन के समय इस जनपद में पधारे थे ।

जनपद को गरिमामय, समृद्ध बनाने में राजा लालता प्रसाद का विशेष योगदान रहा है । 18वीं शताब्दी के अन्त में संस्कृत एवं आयुर्वेद शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने हेतु संस्कृत महा विद्यालय, व आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की गई । राजा साहब द्वारा बनवाया गया मन्दिर और विशाल बाग लगवाया गया । और समृद्धि का प्रतीक ललित हरि चीनी मिल की स्थापना भी राजा साहब द्वारा ही की गई ।

इसके अतिरिक्त जहानाबाद में मनोकामना देवी का मन्दिर तथा चकातीर्थ नामक सरोवर अभी तक सही स्थिति में विद्यमान है । यहाँ हर साल गंगा स्नान के पर्व पर एक विशाल मेला लगता है । बीसलपुर में दुबे का तालाब व मन्दिर पुराने दर्शनीय स्थान हैं । मरौरी ग्राम विलसण्डा विकास क्षेत्र में राजा मोरध्वज का बनवाया हुआ तालाब और देवी का मन्दिर अब तक अच्छी दशा में विद्यमान है । लिलहर, यहाँ पर एक पुराना तालाब और महादेव जी का मन्दिर है जहां हर माह मेला लगता है । जमुनियाँ के निकट खान्नौत नदी निकलती है यहाँ पुराने समय में तहसील थी । शेरपुर शिकार के लिये एक प्रसिद्ध शिकारगाह है ।

जनपद में जनगणना 1981 एवं उसके बाद ग्राम वार आधारभूत आंकड़े

सर्वेक्षण 1987–88 के अनुसार आबाद ग्रामों का विकासखण्ड वार विवरण :—

विकास खंड का नाम	कुल ग्रामों की संख्या 1981	आबाद ग्राम		जनगणना 1981 के बाद		
		1981	31-3-88	नगर क्षेत्र में अन्तरित ग्रामों के नाम	आबाद से गैर आबाद हुए ग्रामों के के नाम	गैर आबाद आबाद हुए ग्रामों के नाम
1	2	3	4	5	6	7
अमरिया	201	181	181	—	—	5
ललौरीखोड़ा	119	97	94	1—जहानाबाद 2—मुरैना 3—बिलयी पसियापुर		
मरौरी	153	137	137	—	—	—
पूरन पुर	388	347	343	1—कली नगर 2—पंडरा 3—खारदिया	1—रम पुरा 2—मु० भवसी	— —
बिलसण्डा	172	168	165	—	1—झम्मा 2—बसोला 3—चिन्ता पुर	—
बीसल पुर	153	129	129	—	—	—
बरखेड़ा	145	132	131	1—बरखेड़ा	—	—
योग जनपद	1331	1191	1180	07	04	—

जनपद में 1981 की जनगणना के पूर्व, कुल ग्रामों की संख्या 1331 (एक हजार तीन सौ इकतीस) थी। 1981 की जनगणना में पाया गया कि समस्त आबाद ग्रामों की संख्या 1191 है। आंकड़ा सर्वेक्षण 1989—90 के अनुसार 31 मार्च 1990 की स्थिति के अनुसार जनपद के समस्त आबाद ग्रामों की संख्या 1180 पाई गई।

1981 की जनगणना के बाद कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में आ गये और कुछ आबाद ग्राम आबादी से गैर आबाद ग्रामों में परिवर्तित हो गये। ललौड़ी खोड़ा विकास खण्ड के ग्राम 1—जहानाबाद, 2—पुरैना, 3—बिलई पसियापुर, पूरनपुर विकासखण्ड के ग्राम कली नगर, 2—पंडरा 3—खरदिया, तथा बरखेड़ा विकास खण्ड के ग्राम खरखेड़ा ग्राम नगरक्षेत्र में आ गये। इस प्रकार से जनपद के कुल 7 (सात) नाम नगर क्षेत्र को अन्तरित हो गये। पूरन पुर विकास खंड के ग्राम 1—रमपुरा भवसी तथा बिलसंडा विकास खंड के ग्राम 1—झम्बा 2—बसोला 3—चिन्तापुर आबाद से गैर आबाद ग्रामों की सूची में आ गये। इस प्रकार से कुल 4 ग्राम (चार ग्राम) आबाद से गैरआबाद ग्राम बन गये। गैर आबाद से आबाद हुए ग्राम की संख्या शून्य रही।

जनपद पीलीभीत में विकास खण्डवार क्षेत्रफल

जनसंख्या का घनत्व, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संख्या

वर्ष/जिला/ विकास खंड	क्षेत्रफल वर्ग किमी	घनत्व (प्रतिवर्ग कि०मी०)	अनुसूचित जाति/जन जाति कुल स्त्री, पुरुष	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6
1961	4009.1	154	80299	43253	37046
1971	3504.0	215	111562	61173	50389
1981	3499.0	280	172682	89899	82783
		विकास खण्ड वार 1981			
1—अमरिया	420.5	374	18229	8767	9462
2—ललौड़ी खेड़ा	213.5	404	19581	7727	11854
3—मरौरी	293.8	329	19684	10892	8792

1	2	3	4	5	6
4—पूरनपुर	1214.0	171	50028	26591	23437
5—बिलसंडा	354.3	292	23343	12867	10476
6—बीसलपुर	263.8	370	12732	7181	5551
7—बरखेड़ा	18.1	332	16981	9263	7718
वनक्षेत्र	393.0	03	130	84	46
योग ग्रामीण	3478.4	243	160700	83372	77336
समस्त नगरीय	20.6	7941	11974	6527	5447
योग जनपद	3499.0	288	172682	89899	82783

नोट---(1) जनपद का ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वेक्षर जनपद द्वारा दिये गये जनपद के भौगोलिक क्षेत्रफल में से नगरीय क्षेत्रफल घटाने के बाद दिया गया है।

(2) विकासखंडों का भौगोलिक क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा दिये गये प्रतिवेदित क्षेत्रफल पर आधारित होने के कारण, जनपद के ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रफल से भिन्न है।

प्रशासनिक एवं संस्थागत ढाँचा :

प्रशासनिक आधार पर जनपद पीलीभीत तीन तहसीलों पीलीभीत, बीसलपुर, एवं पूरनपुर तथा सात विकास खण्डों, अमरिया, ललौरी खेडा, मरौरी, बरखड़ा, बीसलपुर, बिलखण्डा एवं पूरनपुर, तीन नगरपालिकाए पीलीभीत, बीसलपुर, एवं पूरनपुर तथा सात टाउन एरिया-बिलखण्डा, गुलड़िया भण्डारा, जहानाबाद, अतरिया, न्योरिया, कलीनगर और बरखेड़ा, में विभक्त है।

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

पीलीभीत जनपद का कुल क्षेत्रफल 3499 (तीन हजार चार सौ निन्यान्वे) वर्ग कि० मी० जिसमें कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 220 (दो सौ बीस) हेक्टेयर हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 1.86 लाख (एक दशमलव आठ छः) लाख हेक्टेयर है। तथा धान, गेहूँ एवं गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नहर तथा राजकीय नलकूप एवं प्रमुख सिंचाई के साधन है।

इस जनपद में कुल 1339 (एक हजार तीन सौ उन्तालीस) ग्राम है जिसमें 1198 (एक हजार एक सौ अट्ठान्बे) आबाद तथा 141 (एक सौ इक्तालीस) गैर आबाद हैं आवादी वाले क्षेत्रों (बस्तियों) की कुल संख्या 1424 (एक हजार चार सौ चौबीस) है।

जनपद में सात विकास खण्ड (ग्रामीण क्षेत्र) तथा दो नगरी क्षेत्र हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या का निम्नवत् थी :—

	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
ग्रामीण	458255	386465	844720	83238	77203	160441	134	13	267
नगर	87880	75741	163621	7989	6914	14903	—	—	—
योग	546135	462206	1008341	91227	84117	175344	134	13	267

1981 की जनगणना के अनुसार जनपद पीलीभीत की कुल जनसंख्या 100831 (दस लाख आठ हजार तीन सौ इक्तालीस थी जिसमें 546135 (पांच लाख छियालीस हजार एक सौ पैंतीस) पुरुष और 462206 (चार लाख बासठ हजार दो सौ छः) महिलायें थीं। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद की कुल जनसंख्या 844720 (आठ लाख चवालीस हजार सात सौ बीस) थी जिसमें 458255 (चार लाख अट्ठावन हजार दो सौ पचपन पुरुष और 386465 (तीन लाख छियासी हजार चार सौ पैंसठ (महिलायें थी। इसी प्रकार नगरीय कुल जनसंख्या 163621 (एक लाख त्रिसठ हजार छः सौ, इक्कीस) थी, जिसमें 87880 (सत्तासी हजार आठ सौ अस्सी पुरुष और 75741 (पछत्तर हजार सात सौ इक्तालीस) महिलायें थी।

जनपद में अनुसूचित जाति की कुल संख्या 175344 (एक लाख पछत्तर हजार तीन सौ चवालीस) थी जिसमें 91227 (इक्यान्वे हजार दो सौ सत्ताइस) पुरुष और 84117 (चौरासी हजार एक सौ सत्रह) महिलायें थीं। नगरीय क्षेत्र में कुल अनुसूचित की जनसंख्या 14903 (चौदह हजार नौ सौ तीन) थी, जिसमें 7989 (सात हजार नौ सौ नवासी (पुरुष और 6914 (छे हजार नौ सौ चौदह) महिलायें थीं।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जनपद की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16044 (एक लाख साठ हजार चार सौ इक्तालीस) थी, जिसमें 83238 (तिरासी हजार दो सौ

(तिरासी हजार दो सौ अडतीस) पुरुष और 77203 (सत्तर हजार दो सौ तीन) महिलायें थीं।

इस प्रकार अनुसूचित जनजाति की जनपद की कुल जनसंख्या 267 (दो सौ सड़सठ) थी जिसमें 134 (एक सौ चौंतीस) पुरुष और 133 (एक सौ तैंतीस) महिलायें थीं। जनपद में अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण क्षेत्र में कुल 267 (दो सौ सड़सठ) जनसंख्या थी जिसमें 134 पुरुष और 133 (एक सौ तैंतीस महिलायें थीं। नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी।

1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1008341 (दस लाख आठ हजार तीन सौ इक्तालिस में शिक्षितों की कुल जनसंख्या 221393 (दो लाख ग्यारह हजार तीन सौ तिरान्बे) थी।

जनपद में आयु (वय वर्गवार) जनसंख्या

वय समूह	योग		ग्रामीण		नगरीय	
	पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां
1	2	3	4	5	6	7
सभी आयु	546119	462193	458255	386465	87864	75728
0—4	72417	72493	61608	61568	10889	10925
5—9	86148	76225	73156	64458	12992	11767
10—14	70438	54993	58585	45029	11853	9964
15—19	48192	33828	38939	26679	9253	7149
20—24	39378	37119	31588	29763	7790	6356
25—29	38803	33332	32391	27510	6412	5822
30—34	34784	30306	29290	25564	5484	4742
35—39	31742	26876	26718	22537	5024	4339
40—44	30158	22661	25608	19101	4550	3560
45—49	22913	19843	19348	16750	3565	3093

1	2	3	4	5	6	7
50—54	24422	15577	20947	13348	3475	2229
55—59	11812	11061	10019	9549	1793	1512
60—और उससे अधिक	34757	28723	29957	24529	4800	4194

नोट—उक्त तालिकायें सभी आयु में आयुनहीं बताई गयी के आंकड़े भी शामिल हैं।

पीलीभीत जनपद में विकास खण्डवार साक्षर तथा साक्षरता प्रतिशत

1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 100834 (दस लाख आठ हजार तीन सौ इक्तालीस में शिक्षितों की कुल जनसंख्या 21133 (दो लाख ग्यारह हजार तीन सौ तिरान्बे) थी जिसका साक्षरता प्रतिशत 20.96 (बीस दशवल नौ सौ छः) था और 1981 की जनगणना के अनुसांर 546135 (पांच लाख छियालीस हजार एक सौ पैंतीस) पुरुषों में 166162 (एक लाख चाछठ हजार एक सौ बासठ) पुरुष शिक्षित हैं जिनका साक्षरता प्रतिशत 30.42 (तीस दशमलव चार दो) रहा इसी प्रकार 1981 की जनगणना के अनुसार 462206 (चार लाख बांसठ हजार दो सौ छः) महिलाओं में से 45231 (पैंतालीस हजार दो सौ इकतीस) शिक्षित थी जिनका साक्षरता प्रतिशत 9.78 (नो दशमलव सात आठ) प्रतिशत रहा।

जिला/ विकास खण्ड	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता प्रतिशत		
	पुरुष	स्त्री	कुल योग	पुरुष	स्त्री	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1961	66783	15815	82598	19.96	5.62	13.40
1961	99359	26500	125859	24.14	7.78	16.73
1981	166162	45231	211393	30.42	1.78	20.96

पीलीभीत जनपद में विकासखण्डवार साक्षर तथा साक्षरता प्रतिशत

विकास-खण्डवार :

वर्ष/जिला विकास खंड	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता प्रतिशत		
	पुरुष	स्त्री	कुल योग	पुरुष	स्त्री	कुल योग
	1	2	3	4	5	6
1—अमरिया	14950	2739	17689	26.46	4.52	13.59
2—ललौरीखेड़ा	14914	2372	17286	31.06	5.35	19.51
3—मरौरी	13038	1267	14305	23.44	2.63	13.77
4—पूरनपुर	29657	4876	35533	24.15	6.79	16.15
5—बिलसण्डा	15548	2614	18162	27.75	5.68	17.80
6—बीसलपुर	18658	2926	21584	35.25	6.88	22.62
7—बरखेड़ा	17618	2693	20311	31.12	5.74	19.02
वन-क्षेत्र	421	19	440	57.67	5.18	40.11
योग ग्रामीण	123804	21506	145310	27.02	5.56	17.20
समस्त नगरीय	42358	23725	66883	48.2	31.3	40.3
योग जनपद	166162	45231	211393	30.42	9.78	20.96

पीलीभीत फ० न०— 5

जनपद में विकास खंडवार जनसंख्या में रोजगारों का वर्गीकरण

वर्ष/जिला विकास खंड	कर्मकार संख्या					
	कृषक	कृषक मजदूर	पशुपालन जंगल लगाना वृक्षारोपण	खान खोदना	पारिवारिक उद्योग	गैर-पारिवारिक उद्योग
1	2	3	4	5	6	7
1961	136439	17054	—	2460	8971	7882
1971	162432	32411	2177	21	4329	7531
1981	202533	40999	1128	22	4863	10641
विकास खण्डवार—1981						
1—अमरिया	28750	7182	"00"	"00"	756	00
2—ललौरी खेरा	10510	4213	"00"	"00"	347	00
3—मरौरी	26639	2670	"00"	"00"	154	00
4—पूरनपुर	51744	11998	"00"	"00"	923	00
5—बिलसण्डा	26009	3505	"00"	"00"	247	00
6—सीसलपुर	21155	4664	"00"	"00"	474	02
7—बरखेड़ा	24660	3641	"00"	"00"	630	00
8—वनक्षेत्र	23	143	"00"	"00"	8	00
समस्त ग्रामीण	197490	38098	605	5	3539	3590
समस्त नगरीय	5043	2901	443	17	1324	7051
योग जनपद	202533	40999	1128	22	4863	10641

नोट—"00" स्तम्भ 4, 5, एवं 7 से 10 तक की विकास खण्डवार सूचनायें उपलब्ध न होने के कारण स्तम्भ 11 में सम्मिलित हैं।

जनपद में विकास खण्डवार जनसंख्या में रोजगारों का वर्गीकरण

क्रमशः (पूर्व तालिका का शेष)

वर्ष/जिला विकास खंड	कर्मकार संख्या						
	निर्माण कार्य	व्यापार एवं वाणिज्य	यातायात संग्रह एवं संचार	अन्य कर्मकार	कुल कर्मकार	मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार कुल
1	8	9	10	11	12	13	14
1761	2493	9074	2634	24674	211689	—	211689
1971	1887	9294	4132	13890	238104	—	238104
1981	5849	14119	4974	16251	301379	1294	302673
	विकास खंडवार—1981						
1—अमरिया	"00"	"00"	"00"	2186	38794	225	39019
2—ललौरी खेड़ा	"00"	"00"	"00"	3082	26152	26	26178
3—मरौरा	"00"	"00"	"00"	1867	31338	32	31370
4—पूरनपुर	"00"	"00"	"00"	4689	69348	520	69868
5—बिलसण्डा	"00"	"00"	"00"	1394	31235	31	31286
6 —बीसल पुर	"00"	"00"	"00"	2601	28894	359	29253
7—बरखेड़ा	"00"	"00"	"00"	2304	31235	24	31259
वन क्षेत्र	"00"	"00"	"00"	415	589	—	589
योग ग्रामीण	1742	3327	2326	6783	257585	1217	253802
समस्त नगरीय	4107	10792	2648	9468	43794	77	43871
योग जनपद	5849	14119	4874	16251	301371	1294	302673

नोट—"00" स्तम्भ 4, 5, एवं 7 से 10 तक की विकास खंडवार सूचनायें उपलब्ध न होने के कारण स्तम्भ 11 में सम्मिलित हैं।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7822
Date 27-10-93

पीलीभीत जनपद की प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि

वर्ष/विकास खंड	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	गत दशक में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1961	531880	289056	242832	23.90
1971	649304	355802	293502	25.61
1981	844720	458255	386465	30.10
1991	1043164	563641	479523	23.49

विकास खण्डवार (1981 की जनगणना के अनुसार)

वर्ष 1991 की विकास खन्ड वार जनसंख्या अप्राप्त ।				
1—अमरिया	130201	69670	60531	32.79
2—ललौरी खोड़ा	88600	48023	40577	25.61
3—मरौरी	103873	55626	48247	18.15
4—पूरनपुर	219936	118641	101295	49.91
5—बिलसन्डा	102041	56032	46009	19.22
6—बीसलपुर	95440	52925	42515	23.21
7—बरखेड़ा	103532	56608	46924	26.44
योग समस्त विकास खंड	843623	457525	386098	30.16
योग	1097	730	367	05.19
योग ग्रामीण	844720	458255	386465	30,10
1991 की कुल जनसंख्या (नगरीय)	236709	126599	110110	44.66
ग्रामीण	1043164	563641	479523	23.49
कुल योग—	1279873	690240	589633	26.92

कृषि

जलवायु :

जनपद पीलीभीत में मौसम सदैव एक सा नहीं रहता, कभी अधिक गर्मी तो कभी अधिक सर्दी पड़ती है। इस जनपद के तराई क्षेत्र में जलवायु सर्द और नर्म एवं अस्वस्थकर है जबकि मैदानी भाग अपेक्षाकृत ऊष्ण एवं शुष्क है। जनपद के उत्तरी पूर्वी तराई क्षेत्र जिसमें तहसील पीलीभीत के तीन ब्लाक आते हैं ललौरीखेड़ा, मरौरी, और अनरिया तथा पूरनपुर तहसील जिसका विकास क्षेत्र पूरनपुर की जलवायु गर्म और तर हैं इसका अधिकतर भाग जंगलों से घिरा हुआ है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मच्छरों की अधिकता हैं जिससे जाड़ा बुखार व मलेरिया आदि बीमारियाँ हो जाती है। जिले के दक्षिणी भाग जिससे तहसील बीसलपुर के विकासक्षेत्र, बीसलपुर और वरखेड़ा हैं की जलवायु ऊष्ण एवं शुष्क है। मैदानी क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिये अच्छी है।

जनपद पीलीभीत में मुख्यतः तीन ऋतुऐं 1—ग्रीष्म ऋतु 2—वर्षा ऋतु 3—शरद ऋतु होती हैं।

(1) **ग्रीष्म ऋतु**—यह होली के बाद मार्च से जून के महीने तक की अवधि तक रहती है। इन दिनों गर्म हवा (लू) तथा धूप पड़ती है और प्रातः 10 बजे से घर के बाहर निकलना दूभर हो जाता है।

(2) **वर्षा ऋतु**—यह ऋतु जुलाई से अक्टूबर के महीने तक रहती है। इन दिनों में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली तथा पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। कभी-कभी अधिक वर्षा के कारण बाढ़ भी आ जाती है।

(3) **शरद ऋतु**—यह नवम्बर से फरवरी तक रहती है। इसमें कड़ाके का जाड़ा पड़ता है और तेज सर्द हवायें चलतीं हैं और वर्षा भी यदा-कदा हो जाती है, वर्षा के अभाव में पाला, कोहरा और कभी-कभी ओले भी पड़ जाते हैं।

जनपद पीलीभीत में उपरोक्त वर्णित तीन ऋतुओं का ही वर्णन किया गया है परन्तु यहाँ छः ऋतुओं का मौसम पाया जाते हैं। यहां बसन्तु ऋतु बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है जिसका मुख्य उत्सव बसन्तपंचमी का होता है।

जनपद पीलीभीत में वर्षा का विवरण :

जनपद पीलीभीत में वर्षा, वर्ष में दो मौसमों बरसात और जाड़े में होता है। वर्षाऋतु 15 जून से सितम्बर तक रहती है। जाड़ों में वर्षा दिसम्बर से फरवरी माहों में हो जाती है। तराई क्षेत्र में वर्षा का आधिक्य रहता है और जाड़ों मे कम जनपद पीलीभीत की वार्षिक औसत वर्षा 1242 मि० मी० है। उपसंभाग 1 में 1463 मि० मी० तथा उपसंभाग 2 में 982 मि० मी० औसत है· वर्ष 1988 में जनपद में वार्षिक वर्षा का औसत 1070 मि०मी० रहा और वर्ष 1989 में वास्तविक वर्षा का औसत मि० मी० रहा।

वर्ष 1988–89 में न्यूनतम तापमान 04. 50 से० ग्रे० तथा उच्चतम तापमान 43.20 से० ग्रे० रहा। कभी-कभी वर्षा आवश्यकता से अधिक हो जाती है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है।

जनपद पीलीभीत का भूमिगत जल स्तर निम्नवत् है।

उप संभाग	अनुमानित जल स्तर
एक—1	2.4 मीटर
उप संभाग—2	3.6 मीटर

इस प्रकार सम्पूर्ण जिले में भूमिगत जल संसाधन काफी मात्रा में उपलब्ध है।

भूमि तथा भूमि के प्रकार :

यद्यपि यह जिला पर्वतों से मुक्त है तथापि यहां की भूमि काफी ऊँची नीची है इस जिले के पूर्वी तथा मध्य भाग असमतल है परन्तु उत्तरी भाग की अपेक्षा जिले के दक्षिणी भाग की भूमि उपजाऊ है जिले के मध्य तथा उत्तरी भाग में बालूदार मिट्टी पाई जाती है उत्तरी पूर्वी भाग में तराई क्षेत्र है उसमें तथा उसके नीचे घने जंगल के क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में पीलीभीत व पूरनपुर तहसीलों का क्षेत्र आता है घने जंगलों की भूमि दलदली है।

भूमि के प्रकार :

भूमि का गुणात्मक दृष्टि से इस जिले के भूमि का वर्गीकरण निम्नवत है—

क्र० सं०	मिट्टी का किस्म	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1—	भूड	30682
2—	मटियार चिकनी	52117
3—	मटियार दोमट	93898
4—	लोभ	28642

इस जनपद में धारीय क्षेत्र भी पाया जाता है जो छोटे-छोटे टुकड़ों में पाया जाता है।

राजस्व परिषद के अनुसार इस जनपद का क्षेत्रफल 38400 हेक्टेयर है जिसमें 78.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल वन है और परतीभूमि 11954 हेक्टेयर है ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि 5103 हेक्टेयर है कृषि योग्य भूमि 224100 हेक्टेयर है।

जनपद पीलीभीत में विकास खण्डवार भूमि उपयोग 1988–89 में निम्न प्रकार किया गया—

कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 349040 हेक्टेयर था जिसमें 78226 हेक्टेयर में वन कृषि योग्य बंजर भूमि 5868 हेक्टेयर, वर्तमान पर्ती 5325 हेक्टेयर अन्य परती 4030 हेक्टेयर ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि 5014 हेक्टेयर तथा अन्य उपयोग में ली गई भूमि का क्षेत्रफल 29680 हेक्टेयर रहा।

सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र

जनपद पीलीभीत में वर्ष 1987–88 में नहर द्वारा 48477 हेक्टेयर क्षेत्र, 80587 हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप द्वारा, 16892 हेक्टेयर क्षेत्र कुओं द्वारा 202 हेक्टेयर तालाबों व झील तथा पोखर द्वारा तथा 1180 हेक्टेयर क्षेत्र अन्य साधनों द्वारा सिंचित किया गया कुल सिंचित क्षेत्र 146538 हेक्टेयर था।

विकास खण्डवार 1988—89 से विभिन्न साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में

विकास खण्ड का नाम	नहर	नलकूप	कुयें	तालाब	झील	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अमरिया	9132	13955	1108		30	56	24281
ललौरी खेड़ा	8093	1155	998		04	31	13281
मरौरी	4844	8194	1029		06	209	14282
पूरनपुर	8004	36920	7538		32	334	52828
विलवण्डा	9539	7103	1685		40	144	18511
बीसलपुर	4306	4448	2695		08	215	11672
बरखेड़ा	4826	4914	2787		35	335	12897
योग	48744	76089	17840		155	1324	144752

जनपद में सिंचाई साधनों की संख्या 1989—90 के आधार पर नहरों की लम्बाई 959 कि० मी० राजकीय नलकूपों की संख्या 111 पक्के कुओं की संख्या 1480 रहटों की संख्या 854 पम्पसेटों की संख्या श्रोतों पर लगे हुये सेट 546 और बोरिंग पर लगे हुए पम्पसेट 34159 है।

वर्ष 1988---89 के आधारभूत आंकड़ों द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि विभिन्न

सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र है विकासखण्डवार वर्ष 1988—89 के आधार पर सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र निम्नवत है ।

विकास खण्ड का नाम	कुल कृषि योग्य भूमि हेक्टेयर	शुद्ध सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर	असिंचित क्षेत्र हेक्टेयर
1	2	3	4
अमरिया	33943	24281	9662
ललौरीखेड़ा	17870	10281	7589
मरौरी	24457	14282	1085
पूरनपुर	73275	52825	20447
बिलसण्डा	26214	18511	7703
बीसलपुर	21047	11672	9375
वरखेड़ा	22058	12897	9161
योग	218874	144752	74122

इस प्रकार कुल कृषि योग्य भूमि ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख अट्ठारह हजार आठ सौ चौहत्तर हेक्टेयर है जिसमें एक लाख चौवालिस हजार सात सौ बावन हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र है तथा चौहत्तर हजार एक सौ बाइस हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र है ।

जनपद में विकास खण्डवार विभिन्न साधनों द्वारा श्रोतानुसार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में निम्न तालिका में वर्ष 1988—89 के आधार पर दर्शाया गया है ।

वर्ष 1986—87 में नहर द्वारा 56112 हेक्टेयर क्षेत्र, 77779 हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप द्वारा, 23183 हेक्टैयर क्षेत्र कुओं द्वारा, 280 हेक्टेयर क्षेत्र तालाब तथा झील (पोखर) तथा 1224 हेक्टेयर क्षेत्र अन्य साधनों द्वारा सिंचित था जिसका कुल योग 158598 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित था ।

जनपद पीलीभीत में उत्पन्न होने वाली विभिन्न फसलें

जनपद पीलीभीत में खरीफ, रबी, जायद तीन फसलें होती हैं।

खरीफ—इसके अन्तर्गत धान, ज्वार बाजरा, मक्का अरहर, तिल मूँगफली, जूट, कपास, सनई, हल्दी, सोयाबीन मूँग, उरद आदि पैदा की जाती है।

रबी में—गेहूँ, चना जौ, मटर, मसूर, अरहर, लाही सरसों, अलसी आदि की फसलों का उत्पादन होता है।

जायद—तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, बैंगन, टमाटर, ननुवा, भिन्डी, तोरइ, मूँग, मक्का, आदि का उत्पादन होता है।

इसके अतिरिक्त कुछ व्यापारिक फसलें भी उत्पन्न होती है। जैसे गन्ना तम्बाकू, आलू, जूट, कपास, सनई, हल्दी और सोयाबीन आदि गन्ने के आधार पर चीनी की मिलें क्षेत्र जनपद में हर तहसील में स्थापित है। आलू का निर्यात अन्य जनपदों में किया जाता है। गन्ने में गुड़ बना कर भुंजीया भेलों के रूप में जनपद के बाहर निर्यात किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से जनपद सें रबी की फसल में गेहूँ अत्यन्त महत्वपूर्ण है और कुछ खाद्यान्य 33 प्रतिशत से अधिक उत्पादन मात्र गेहूँ से प्राप्त होता हैं, शेष उत्पादन बरसाती फसलों एवं तिलहनी फसलों से प्राप्त होता है।

चूंकि जनपद पीलीभीत तराई क्षेत्र में स्थित है। जनपद में नदियां तथा झीलों का आधिक्य है। अधिकांश भूमि दोमद नगरी, दोमट तथा बलुआर दोमट है। जनपद में खरीफ के अन्तर्गत मुख्य फसल धान है। उत्पादकता की दृष्टि से जनपद में धान उत्पादन मन्डल में सार्वधिक रहता है।

पैदावार दर :—

जनपद पीलीभीत में मुख्य फसलों की औसत उपज क्विन्टल प्रति हेक्टेयर दर

फसल	1986-87	1987-88	1988-89	1989-98
1	2	3	4	5
1—चावल				
(क) खरीफ	26.19	22.13	30.01	28.45

1	2	3	4	5
(ख) जायद	22.13	22.13	30.01	30.01
2—मक्का				
(क) खरीफ	7.32	6.93	5.92	9.64
(ख) जायद	12.27	8.76	10.36	10.82
ज्वार	5.94	6.64	9.61	—
बाजरा	11.63	4.65	5.92	11.37
महुवा	3.62	—	—	—
3—सोया				
(क) खरीफ	4.01	4.69	4.22	—
(ख) जायद	—	—	11.29	—
7—कोदो	—	—	—	—
8—ककुनी	—	—	—	—
9—कुटकी	—	—	—	—
10—गेहूँ	18.80	20.58	24.85	26.40
11—जौ	13.37	12.02	13.58	13.64
12—उर्द				
(क) खरीफ	0.83	1.72	2.80	2.90
(ख) जायद	4.79	5.52	4.80	4.92
13—मूँग				
(क) खरीफ	4.27	2.79	—	—
(ख) जायद	5.25	3.53	5.48	5.64
14—मसूर	4.71	4.80	6.22	6.50
15—मोठ	1.62	—	—	—
16—चना	2.95	7.83	5.23	6.20
17—मटर	7.46	9.65	12.31	12.70

1	2	3	4	5
18—अरहर	12.94	6.74	15.52	15.60
19—लाही सरसों	3.12	7.28	5.67	5.80
20—अलसी	3.01	3.71	3.45	3.50
21—तिल	0.53	0.46	1.01	1.00
22—गन्ना	536.00	551.32	505.88	506.00
23—रेड़ी	—	—	—	—
24—मूँगफली	5.94	5.64	15.78	15.62
25—तम्बाकू	—	30.49	—	—
26—कपास	1.85	1.82	1.35	1.40
27—जूट	19.63	17.39	19.33	19.40
28—सनई	5.00	5.44	5.52	5.65
29—हल्दी	—	16.41	—	—
30—आलू	155.66	156.32	163.11	165.85
31—सोयाबीन	13.82	10.34	13.14	13.58

पशु पालन तथा मत्स्य

जनपद में विकासखण्ड वार पशुपालन एवं कुक्कुट आदि पक्षियों की संख्या

पशुगणना 1987

वर्ष जिला	गोजातीय (देशी)				गोजातीय क्रास ब्रेड (दोगला)			
विकास खण्ड	तीन वर्ष से अधिक के नर	तीन वर्ष से अधिक के मादा	बछड़े एवं बछिया	कुल	ढाई वर्ष से अधिक के नर	ढाई वर्ष से अधिक के मादा	बछड़े एवं बछिया	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1978	112021	54709	55090	221820	"00"	"00"	"00"	00"
1982	81610	51294	50471	183375	16188	4845	6350	27483
1988	76936	54428	56739	188103	5455	1963	2259	9677

विकास खण्डवार 1988

1—अमरिया	8235	4792	4547	17574	399	134	195	728
2—ल० खेड़ा	8751	5966	5886	20603	564	189	248	1001
3—मरौरी	9959	6382	6607	22948	630	209	620	1159
4—पूरनपुर	23766	16093	17543	57402	2493	908	1033	4514
5—बीसलपुर	6439	5448	4277	18164	227	29	36	312
6—बरखेड़ा	8255	6423	6408	21086	478	159	255	890
7—बिलखण्डा	8991	7075	7462	23528	602	166	123	891
वन क्षेत्र	—	119	43	162	—	—	—	—
योग	74396	52298	54773	181466	5311	1874	2230	9495
ग्रामीण	2540	2130	1966	6636	64	89	29	182
जनपद का योग	76936	54428	56739	188103	5455	1963	2299	9677

जनपद में विकास खंडवार पशुधन एवं कुक्कुट आदि पक्षियों की संख्या

(पशुगणना-1987)

वर्ष/जिला विकासखण्ड	गोजातीय	महर्षि वंशीय				भेड़	भेड़	कुल
	स्तम्भ 5 + 7	3 वर्ष से अधिक आयु के नर	तीन वर्ष से अधिक आयु की मादा	पड़वा एवं पड़वी	कुल	देशी	क्रासबेड	भेड़े
	10	11	12	13	14	15	16	17
1978	221820	58665	49220	37899	145784	1428	"00"	1428
1982	210858	59517	59866	51033	170416	1587	" x 46	1633
1988	197780	61981	76990	62340	201311	1478	112	1590
विकास खण्डवार—1988								
1—अमरिया	18202	6485	6932	5087	18504	37	—	37
2—ल० खेड़ा	21604	7870	7117	5816	20803	95	42	137
3—मरौरी	24107	8040	7415	6349	21804	124	40	164
4—पूरनपुर	61816	12232	26252	21554	60038	735	2	737
5—बिलसण्डा	24419	9575	6919	5549	22043	125	—	125
6—बीसलपुर	18476	7810	9048	8063	24921	231	27	258
7—बरखेड़ा	21976	8602	8687	7361	24650	127	—	127
वन क्षेत्र	162	9	181	99	289	—	—	—
योग ग्रामीण	190962	60623	725551	59878	193052	1474	111	1585
योग नगरीय	6818	1358	4439	2462	8259	4	1	5
योग जनपद	197780	61981	76990	62340	201311	1478	112	1590

नोट—(1) वर्ष 1980 की सूचनायें अन्तिम हैं।

(2) '00" इन मदों की सूचनायें क्रमशः स्तम्भ सं० 2 से 5,15 तथा 20 में सम्मिलित हैं।

(पशुगणना—1987)

वर्ष/जिला विकासखंड	कुल बकरा एवं बकरियाँ	कुल घोड़े एवं टट्टू	सुअर देशी	क्रास ब्रेडसुअर	अन्य पशु	कुल पशु	कुल मुर्गे मुर्गियाँ एवं चूजे	अन्य कुक्कुट	कुल कुक्कुट
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1978	62695	2647	9355	"00"	280	444009	93050	3406	964
1982	63385	2633	8614	1309	198	459046	93309	5950	992
1988	89062	2686	10324	1092	161	503006	133867	13148	1470
विकास खण्डवार—1988									
1—अमरिया	6318	389	810	100	—	44460	15893	940	168
2—ललौरी खेड़ा	8820	477	895	126	5	52867	15655	1177	168
3—मरौरी	10225	550	1041	159	9	58059	18466	1583	200
4—पूरनपुर	26647	274	1502	169	32	151315	53793	4334	581
5—बिलसण्डा	10309	224	1813	173	—	859106	7384	108	745
6—बीसलपुर	9443	263	952	64	4	54381	4313	95	440
7—बरखेड़ा	11930	230	1612	226	—	60651	6092	89	618
वनक्षेत्र	—	—	—	—	—	451	—	—	—
योग ग्रामीण	83592	2407	8625	1017	50	129818	21596	8326	129
योग नगरीय	4470	279	1699	75	111	21716	12271	4822	170
योग जनपद	88062	2686	10324	1092	161	523006	133867	13148	147

नोट—(1) वर्ष 1988 की सूचनायें अन्तिम हैं।

(2) "00" इन मदों की सूचनायें क्रमशः स्तम्भ 2 से 5,15 तथा 20 में सम्मिलित हैं।

जनपद पीलीभीत में पशु चिकित्सालय एवं अन्य

जनपद पीलीभीत में पशु चिकित्सालयों की संख्या पशुधन विकास केन्द्रों की संख्या 24, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संख्या 7, कृत्रिम उपगर्भाधान केन्द्रों की संख्या—27, सुअर केन्द्र की संख्या—1, पिगरी यूनिट—434, तथा कुक्कुट पालन व यूनिट की संख्या—531 है। जिसका विकासखण्डवार विवरण तालिका में दर्शाया गया है—

क्रमांक	विकासखण्ड	पशु चिकि०	पशुधन विकास केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र व उपकेन्द्र	पशु प्रजनन फार्म	भेड़ विकास केन्द्र	सुअर विकास केन्द्र	पिगरी यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अमरियस	1	4	5	—	—	—	105
2.	ललौरीखेड़ा	1	2	3	—	—	—	37
3.	मरौरी	1	2	2	—	—	—	34
4.	पूरनपुर	3	6	6	—	—	—	90
5.	बिलसण्डा	1	3	3	—	—	—	35
6.	बीसलपुर	—	3	2	—	—	—	66
7.	बरखेड़ा	—	3	3	—	—	—	67
	वनक्षेत्र	1	8	1	—	—	—	—
	योग ग्रामीण	8	23	25	—	—	1	434
	योग नगरीय	8	1	9	—	—	—	—
	योग जनपद	16	24	34	—	—	1	434

नोट—समस्त पिगरी यूनिट एवं पोल्ट्रीज यूनिट निजी क्षेत्र के है।

इस जनपद में चिकित्सा से सम्बन्धित पशु चिकित्सालय निम्नवत हैं :—

1. पशु चिकित्सालय	= 16
2. पशु धन सेवा केन्द्र	= 24
3. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	= 7
4. कृत्रिम उप गर्भाधान केन्द्र	= 27

डेरी फार्मिग :

जनपद में दुग्ध विकास की सम्भावनायें भी काफी अच्छी हैं। यहाँ पर 103000 दुधारू पशु हैं जो कि समस्त जानवरों का 23 प्रतिशत है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण योजना के अर्न्तगत लघु एवं सीमान्त कृषकों को दुधारू जानवर उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस जनपद में 88-89 में 23 डेरी एवं डेरी प्रोडक्ट यूनिट 26 कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा एवं ग्राम स्तर पर निजी दुग्ध व्यवसाय करने के लिये दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की जनपद स्तर पर स्थापना की गई है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की संख्या 1810 है यह समितियों से प्रतिदिन 809 लीटर का औसत उत्पादन होता है। कुल गठित दुग्ध सरकारी समितियों की संख्या विकास खण्डवार निम्नवत है—

नाम विकास खण्ड	संख्या
1. अमरिया	= 15
2. ललौरीखेड़ा	= 8
3. पूरनपुर	= 19
4. बीसलपुर	= 16
5. विलसण्डा	= 2

6. बरखेड़ा और मरौरी में समितियों के गठन का प्रयास चल रहा है। मिनी डेरी परियोजना के अर्न्तगत ऐसे कृषक या व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिनके पास एक या दो एकड़ भूमि चारे के लिये उपलब्ध हो मुर्रा तथा भदावड़ी अधिक दूध देने वाली भैंसों की जातियों को क्रय करने की व्यवस्था भी की गई है।

इस प्रकार जनपद में डेरी फार्मिग विकसित करने की काफी सम्भावना है।

'घ' 5. मत्स्य पालन

जनपद पीलीभीत में मत्स्य पालन का विस्तृत क्षेत्र है। जनपद में मत्स्य पालन के विकास के लिये मत्स्य विभाग की स्थापना की गई है जिसका कार्य जनपद में जलाशयों, झीलों में मत्स्य अंगुलिकाओं का वितरण करना, विकास करना व संरक्षण देना व विक्रय के लिये बाजारों का प्रबन्ध करना आदि है जनपद पीलीभीत में सर्वे के अनुसार 1987-88 में हजार आठ सौ अस्सी हेक्टेयर क्षेत्रफल में जलाशय थे जिसका कुल उत्पादन 698 था और जलाशयों में 1612 अंगुलिकाओं का वितरण किया गया था। 1988-89 में जलाशयों का क्षेत्रफल छः हजार आठ सौ अस्सी हेक्टेयर हो रहा जिसका कुल उत्पादन 2326 कुन्टल उत्पादन हुआ और 1916 अंगुलिकाओं का विवरण ह० स० किया गया। 1989-90 में क्षेत्रफल 6880 हेक्टेयर क्षेत्र के जलाशयों में 743 कुन्टल उत्पादन हुआ जबकि 2041 ह० स० अंगुलिकाओं का बितरण किया गया। उपरोक्त विवरण विभागीय सूचनाओं के आधार पर किया गया। विकासखण्डवार मत्स्य पालन का विवरण 1989-90 के अनुसार सर्वेक्षण के फल स्वरूप, प्राप्त आंकड़ों का ब्यौरा निम्नवत है—

विवरण मत्स्य पालन विकासखण्डवार 1989 90

विकास खण्ड	बिभागीय जलाशय			अंगुलिकाओं का वितरण
	संख्या	क्षेत्रफल	उत्पादन	(ह० स०)
1	2	3	4	5
1. अमरिया	—	—	—	174
2. ललौरी खेड़ा	—	—	—	307
3. मरौरी	—	—	—	268
4. पूरनपुर	1	6880	743	641
5. विलसण्डा	—	—	—	156
6. बीसलपुर	—	—	—	132
7. बरखेड़ा	—	—	—	363
योग ग्रामीण	1	6880	743	2041
योग नगरीय	—	—	—	—
योग जनपद	1	6880	743	2041

'घ' 6. सामाजिक वानिकी

यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम है इसका उद्देश्य जन सामान्य की न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत जैसे फल इमारती लकड़ी, ईधन पशुओं का चारा की पूर्ति करना है। जल प्लावन सें रक्षा करना, बन्जर व ऊसर भूमि का सुधार करके कृषि के योग्य बनाकर उस पर वन लगाना श्रेयस्कर है।

सामाजिक वानिकी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसे वृक्ष लगाना जिससे शीघ्र पौधे तैयार हो तथा जो फल प्लावन फल इमारती लकड़ी एवं उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ध्यान में रखकर सड़कों के किनारे रेल पटरी, नहरों के किनारे तथा अन्य खाली पड़ती और ऊसर भूमि में पेड़ लगाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। वृक्षारोपण के साथ साथ एक अन्य मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध करना भी है। पेड़ पौधों के लिये गड्ढे तैयार करना नर्सरी तैयार करना एवं ट्रान्सपोर्टेशन हेतु पौधों को तैयार करना निराई गुड़ाई एवं सुरक्षा आदि के कार्यों सें स्थानीय मजदूरों को रोजगार देना एवं भूमिहीनों को स्वरोजगार दिलाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

जनपद पीलीभीत का कुल क्षेत्रफल सर्वेयर जरनल के अनुसार 3400 वर्ग किलो-मीटर है और राजस्व परिषद के अनुसार 354 हजार हेक्टेयर है जिसमें से 78226 हेक्टेयर में वन स्थित है और परती भूमि 11954 हेक्टेयर है ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि 5103 हेक्टेयर है अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार वृक्षारोपण की काफी आवश्यकता है।

वर्ष 89-90 में 120 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया। सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत 367 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया वन विभाग के अन्तर्गत 971634 हेक्टेयर वृक्षारोपण किया गया जिसमें आर्थिक महत्व के वृक्षों की संख्या 0.90 है इस योजना के अन्तर्गत इमारती लकड़ी हेतु शीशम, झाल तथा यूकेलिप्टस वृक्ष लगाये गये फलदार वृक्षों में आम, जामुन, इमली, महुआ, कटहल, बहेड़ा, लसोड़ा आदि तथा बरगद, पीपल गूलर छायादार वृक्ष, नीम, सिरस, अर्जुन आदि चारों के वृक्ष और शोभादार वृक्ष लगाये गये। ऊसर भूमि में विलायती बबूल, अर्जुन, काला सिरस, नीम महुआ आदि वृक्षों को लगाकर ऊसर भूमि का सुधार किया गया।

वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी 11.50 रुपया प्रति मजदूर पौधों की रोपाई 0.18 पैसा प्रति पौधा गड्ढे खोदना 0.40 प्रति गड्ढा, सुरक्षा खाई 3.18 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से वर्ष 88-89 में दर रखी गई जिसमें भूमिहीनों और मजदूरों को रोजगार मिला। वर्ष 89-90 में 22.2 लाख रुपये सामाजिक वानिकी पर खर्च किये गये जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को 37030 मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया सम्पूर्ण कार्य 60738 मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

वर्ष 89-90 में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत 101584 कुल वृक्षारोपण किया गया विद्यालयों द्वारा वृक्षारोपण निम्न प्रकार किया गया।

नाम विद्यालय	रोपित पौधों की संख्या
1—ड्रमण्ड राजकीय इन्टर कालेज, पीलीभीत	15000
2—राजकीय उ० मा० वि० वि०, अमरिया	28000
3—राजकीय उ० मा० वि०, न्यूरिया	7000
4—नेहरू उ० मा० वि०, मझोला	15500
5—सी एण्ड जे० उ० मा० वि०, कली नगर	2500
6 -गुरुनानक उ० मा० वि० करनापुर, शाहगढ़	2000
7—छत्रपति शिवाजी उ० मा० वि०, जोगीठेर	10000
8—एस० आर० एम० इ० का० वीसलपुर	29700
9—गान्धी स्मारक इ० का०, विलसण्डा	2000
योग =	86700

उपरोक्त रोपित पौधों की नर्सरी स्वयं विद्यालयों द्वारा तैयार कर रोपित की गई।

वृक्षारोपण—जनपद पीलीभीत

वर्ष	विभागीय (बन विभाग) द्वारा	वृहद वृक्षारोपण	योग	रोजगार सृजन मानव दिवसों में
1	2	3	4	5
1986-87	1059327	3398231	4457558	263904
1987-88	2517500	3796792	6314292	276420
1988-89	1943277	2696572	4639849	237900
1989-90	2288180	3064110	5352290	272450
90-91	1561750	1530017	3091767	260460
विकास खण्डवार				
1— मरौरी	493750	290260	784010	67013
2—ललौरीखेड़ा	10000	104966	114966	4900
3—अमरिया	6000	79535	85535	5853
4—पूरनपूर	962000	766249	1728249	158346
5—बिलंसण्डा	30000	45250	75250	7200
6—बरखेड़ा	60000	120490	180490	12798
7—बीसलपुर	—	123267	123267	4350
योग	1561750	1530017	3091767	260460

'घ' 7. खनिज संसाधन

पीलीभीत जनपद में कोई खनिज पदार्थ नहीं पाया गया है। विकास खण्डवार पूरनपुर में प्रसादपुर स्थान पर तेल पाये जाने की सम्भावना है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया है परन्तु इसमें पूर्ण सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है।

जनपद की 69 हजार हेक्टेयर भूमि वनों के अर्न्तगत है जो कुल जनपद का 19.8 प्रतिशत है। इन वनों में साल, शीशम, लिपिस्टिक आदि इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। जड़ी बूटियाँ तथा कत्थे के पेड़ पाये जाते हैं। तराई भाग में मूंज सेम की पैदावार होती हैं जिससे रस्सी व बाध बनाये जाते हैं। यह वन अधिकांश पूरनपुर व पीलीभीत तहसील में पाये जाते हैं।

औद्योगिक महत्व की वस्तुयें जैसे कागज, माचिस आदि के लिये पापुलर और सेंभल के वृक्ष लगाये जाते हैं।

मैदानी भागों में गेहूँ, धान, गन्ना, ज्वार बाजरा, चना, तिलहन, सन तथा मक्का आदि पैदा होता है। हरी सब्जियों की पैदावार भी यहाँ प्रचुर मात्रा में की जाती है जिसका निर्यात जनपद के बाहर किया जाता हैं। फिर भी मुख्य धान और गन्ना ही है।

'घ' 8. उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र :

1. जनपद पीलीभीत में कोई भी नोटीफाइड औद्योगिक क्षेत्र नही है ।

2. जनपद में एक औद्योगिक आस्थान ललौरीखेड़ा में स्थापित है जिसका 5 शेडों तथा 11 प्लाट उपलब्ध हैं और यह भी इकाइयों को आबंटित किये जा चुके हैं ।

3. जनपद के विकास खण्ड बीसलपुर तथा पूरनपुर में एक मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किया जा चुका है । जिनमें क्रमशः 65 तथा 26 प्लाट उपलब्ध हैं । आबंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ।

4. विकासखण्ड विलसण्डा में मिनी औद्योगिक आस्थान हेतु भूमि, उ० प्र० औद्योगिक विकास निगम की विकासार्थ दी जा चुकी है । विकास खण्ड मरौरी में ग्राम पिपरिया अगरू की भूमि का हस्तान्तरण विभाग के पक्ष में हो गया है विकास खण्ड तरखेड़ा की भूमि का चयन मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु हो चुका है । विकास खण्ड अमरिया का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ।

जनपद के दीर्घ एवं मध्यम उद्योग

विकास खण्ड का नाम	इकाई का नाम	उत्पादित वस्तु	पूँजी निवेश धनराशि	रोजगार रु०
1	2	3	4	5
1. पीलीभीत नगर	एल० एच० शु० फैक्ट्री लि०	चीनी	3.28	1689
2. बीसलपुर	किसान सहकारी चीनी मिल लि० बीसलपुर	"	2.62	652
3. पूरनपुर	किसान सहकारी चीनी मिल पूरनपुर	"	8.65	660
4. अमरिया	किसान सह० चीनी मिल, मझोला	"	8.22	966
	मझोला डिस्टलरी एण्ड कैमिकल	देशीमदिरा	13·1	192
5. मरौरी	अनिलमोदी साल्वेन्ट एक्टेशन पीलीभीत	राइन्स ब्रान	2.00	085
6. ललौरी खेड़ा	नेतराम फ्लोर मिल खारजा	आटा/मैदा सूजी	1.40	100
			योग	4322

लघु एवं कुटीर उद्योग का सम्पूर्ण विवरण

2 –लघु स्तरीय उद्योग इकाइयों :

पीलीभीत एक पिछड़ा जनपद है यहाँ पर कुटीर उद्योगों में परम्परागत बांसुरी उद्योग, हथकरघा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, लकड़ी के सामान के उत्पादन में खड़ाऊ उद्योग व चारपाई के पाये बनाने का उद्योग प्रमुख है। जूट की व मूँज के उत्पादन के कारण धान एवं रस्सी का उत्पादन भी होता है। वर्तमान में जनपद की अधिकतर इकाइयों कृषि पर आधारित है जैसे राइसमिल, खाद्य तेल उद्योग प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वनो, पशुओं पद आधारित व डिस्टलरी व इन्जीनियरिंग पर आधारित उद्योग भी स्थापित किये जा चुके हैं।

लघु औद्योगिक इकाइयों की वर्तमान स्थिति विकास खण्डवार

विकास खन्ड का नाम	इकाइयों की संख्या	स्थाई पूँजी	कार्यशील पूँजी	योग	रोजगार सृजन
1	2	3	4	5	6
1. पीलीभीत नगर	46	15-18	2-33	17-43	118
2. पूरनपुर	41	17-67	3-87	21-54	122
3. बीसलपुर	44	17-31	4-49	21-88	147
4. अमरिया	28	10-51	1-23	11-74	058
5. बरखेड़ा	19	03-72	0-54	04-26	045
6. मरौरी	19	08-15	1-95	10-10	030
7, बिलसन्डा	86	02-15	0-45	02-68	015
8. ललौरी खेड़ा	88	01-89	0-41	01-58	020

कुटीर उद्योग

1—हाथ करघा क्षेत्र :

जनपद पीलीभीत के हाथ करघा की इकाइयां मुख्यत: बीसलपुर, मीरपुर बाहनपुर,

महादेव मूसेपुर, रिछौला एवं गौंछ में चलाई जा रही है, यह इकाइयाँ अधिकतर परम्परागत बुनकरों के द्वारा चलाई जा रही है जो जनपद के बीसलपुर पूरनपुर एवं लालौरीखेड़ा विकास खंडों में स्थित है।

जनपद में लघु एवं कुटीर उद्योग का सम्पूर्ण विवरण

2—खादी तथा ग्रामोद्योग :

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, औद्योगिक सहकारी समितियों एवं व्यक्तिगत छोटे उद्योगों वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, और समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह सुविधायें एवं सहायतायें निम्न प्रकार की इकाइयों को प्रदान की जाती है जैसे चर्म उद्योग, अनाज दाल, प्रशोधन उद्योग, बढ़ई गीरी, लोहारगीरी, बांस, बेंत, साबुन, तेल, गुड़, वनऔषधि, अगरबत्ती, लाइक्स्तु, मधुमक्खी पालन, जल प्रशोधन, रेशा बनाना एवं धान रस्सी चूना, कुम्हारी इत्यादि।

3—हस्तकला क्षेत्र के उद्योग :

पीलीभीत जनपद में परम्परागत बांसुरी, चर्मकला, जरी का काम, कढ़ाई इत्यादि के हस्तकला पारंगत कारीगर लगे हैं, इस जनपद का हस्तकला क्षेत्र में बांसुरी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष महत्व रखती बांसुरी उद्योग लगभग 400 परिवार लगे हुए हैं।

4—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना कार्यक्रम :

शासन द्वारा चलाई जा रही इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्ग के उद्यमियों का आर्थिक सहायता के रूप में बैंकों द्वारा ऋण एवं शासकीय सहायता निधि से अनुदाव की सुविधा अनुमन्य है, यह सुविधा उन व्यक्तियों के लिये है जिनकी वार्षिक आय रु० 3500/- के कम है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का उनकी परियोजना के अनुरूप बैंकों से ऋण की सुविधा तथा 33.5 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 3000/- तक अनुदान जिला ग्राम्य बिकास अभिकरण द्वारा दिया जाता है।

5—स्वतः रोजगार योजना :

देश के नवयुवकों में व्याप्त बेरोजगारी दूर करने के लिये भारत सरकार द्वारा नवयुवकों को अपना स्वयं का स्वतन्त्रा रोजगार प्रारम्भ करने हेतु इस योजना के लिये लागू किया गया है। इस योजनान्तर्गत 18 से 35 के मध्य आयु के नवयुवकों/व नवयुवतियों को

जो हाई स्कूल/आइ० टी० आई०/पोलीटेक्निक की योग्यता रखते हों, तथा जिनकी परिवार की समस्त आय समस्त श्रोतों से रु० 10000/- वार्षिक को उनके उद्योग के लिये रु० 35000/- तथा कार्य के लिये रु० 25000/- तथा व्यवसाय हेतु रु० 15000/- का ऋण देने का प्राविधान है ।

6— उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 6 दिवसीय, 15 दिवसीय, 30 दिवसीय, एवं 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का प्रविधान है, इस योजनान्तर्गत भावी उद्यमियों को उद्योग स्थापना के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया जाता है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को उद्योग के प्राप्ति नई जागृति लाना है ताकि जनपद स्तर पर औद्योगीकरण लहर उत्पन्न हो सके ।

7—केन्द्रीय पूँजी उपादान :

उपरोक्त योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक असमानताओं को दूर करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में लागू है । इस जनपद में इस योजना का दिनांक 1-4-84 से 30-8-89 के मध्य उत्पादन प्रारम्भ करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिये उनके अचल पूँजी निवेश पर 10 प्रतिशत की दर से नियमानुसार अनुमन्य है ।

उद्योगों के संसाधान

जनपद पीलीभीत में उपलब्ध संसाधन को निम्न प्रकार बाँटा जा सकता है—

1—मानवीय संसाधन :

जनपद की कुल जनसंख्या 10,8,000 है जिसमें 80 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामों में निवास करते हैं तथा जो कि खेती पर निर्भर है । जनपद में 2,2,533 कृषक व 40999 कृषक मजदूर तथा 4063 परिवार उद्योगों में लगे है जनपद में 206109 साक्षर व्यक्ति है जिनका प्रतिशत 20.44 है । इस जनपद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो पीलीभीत नगर में स्थित है जिसमें इलेक्ट्रानिक वायर मैन, मशीनिष्ट, बैल्डर, टर्नर, रेडियो रिपेरिंग, इत्यादि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अतिरिक्त एक ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र ललौरीखेड़ा ब्लाक में स्थित है जिसके अर्न्तगत काष्ठकला, तथा जनरल मैकेनिक व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

2— कच्चा माल संसाधन :

मुख्यत: कच्चा माल संसाधन खेती पशुधन, तथा जंगलों से प्राप्त किया जाता है। इस जनपद में कोई खनिज सम्पदा उपलब्ध नहीं है जनपद में वार्षिक कृषि का उत्पादन निम्न प्रकार है—

1—गेहूँ	193940	टन
2—धान	220724	"
3—दालें	997920	"
4—गन्ना	1624372	"
5—आलू	20354	"
6—जूट	185	टन
7—सनई	160	टन
8—लाही	120	टन

उपरोक्त कच्चा माल के कारखाने इस जनपद में उपलब्ध हैं और इनका प्रयोग किया जाता है।

(3) वित्तीय संसाधन :

उद्योगों को लगाने के लिये वित्तीय संसाधन दो प्रकार से हैं।

1. निजी धन :

इस जनपद में अपने निजी धन से उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी बहुत कम हैं।

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं बैंक :

सभी प्रकार के छोटे बड़े उद्योगों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक तथा उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भूमि भवन एवं मशीनों को क्रय करने हेतु ऋण देता हैं तथा बैंक मशीनरी तथा कार्यशील पूँजी हेतु ऋण उपलब्ध कराते हैं।

(4) कुशल श्रम संसाधन :

इस जनपद में हस्तकला के अर्न्तगत श्रमिक अधिक पाये जाते हैं यहाँ पर चावल मिलों में कुछ श्रमिक लग जाते हैं तथा यहाँ के कुशल श्रमिक निम्न कार्य करने हेतु उपलब्ध हो जाते हैं—जैसे बांसुरी बनाना, बान बनाना, वढ़ईगीरी, लोहारीगीरी, कुम्हारगीरी,

हथकरघा, जूता बनाना, जरी का कार्य, रेडीमेड वस्त्र बनाना, जनरल इंजीनियरिंग इत्यादि ।

सरकार की योजनाओं द्वारा उपरोक्त कार्य में लगे कारीगरों को उनका स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है । तथा जनपद में निम्न प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है । जैसे अल्युमिनियम के बर्तन बनाना, स्टील फर्नीचर, ईट लगाना, सीमेंट जाली बनाना, रेडीमेड वस्त्र, माचिस गत्ते के डिब्बे, साबुन, पैकिंग केस बनाना, छाता बनाना, मसाला तैयार करना, इंजीनियरिंग वर्कशाप अगरबत्ती धूपबत्ती प्लास्टिक की थैली, कबाब कचरी बनाना, टायर रिट्रेडिंग, साइकिल स्टैन्ड व कैरियर बनाना आदि ।

दीर्घ एवं मध्यम उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

विकास खण्ड का नाम	औद्योगिक इकाई का नाम	कार्यरत कर्मचारियों
1	2	3
1. पीलीभीत नगर	एल० एच० शु० फैक्ट्री लि० पीलीभीत	1370
2. बीसलपुर	किसान सह० चीनी मिल लि० बीसलपुर	705
3. पूरनपुर	किसान सह० चीनी मिल लि० पूरनपुर	755
4. अमरिया	किसान सह० चीनी मिल, मझोला	932
	मझगेला डिस्टलरी एण्ड केमिकल्स, मझोला	872
5. मरौरी	अनिलमोदी साल्वेन्ट एक्सटेन्सन, पीलीभीत	56
6, ललौरी खेड़ा	नेतराम फ्लोर मिल खारजा, पीलीभीत	28

विकास खण्डवार स्थापित लघु उद्योगों व दस्तकारी उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

विकासखण्ड का नाम	स्थापित लघु उद्योगों की संख्या		स्थापित दस्तकारी उद्योग	
	इकाइयों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	इकाइयों की की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की सं०
पूरनपुर	61	305	20	20
बीसलपुर	61	305	20	20
बरखेड़ा	20	100	10	01
विलसण्डा	21	105	10	20
लालौरीखेड़ा	20	100	10	10
अमरिया	27	135	10	10
मरौरी	22	110	10	10
पीलीभीत नगर	122	610	110	110
योग	354	1770	200	200

पीलीभीत जनपद की औद्योगिक प्रगति

दीर्घ एवं मध्यम स्तरीय उद्योग :

जनपद पीलीभीत में 7 दीर्घ एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयाँ वर्तमान में कार्यरत हैं जिनमें लगभग 11.48 करोड़ रु० की पूँजी विनियोजित है तथा 4322 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है।

लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ :

पीलीभीत एक पिछड़ा जनपद हैं यहाँ पर कुटीर उद्योगों में परम्परागत बांसुरी, हथकरघा, व फर्नीचर उद्योग का कार्य प्रमुखता से होता है। वर्तमान में डिस्टलरी, शुगर मिल राइस मिल, राइस ब्रान आयल इत्यादि उद्योग प्रमुख है।

चूँकि औद्योगिक अवस्थापन हेतु सभी सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, उद्योग विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। औद्योगिक आस्थान में नियमित विद्युत आपूर्ति, रोडों का रख-रखाव, जल निकासी, औद्योगिक वातावरण उत्पन्न करने के लिये

विशेष आकर्षण प्रयास है। निर्मित औद्योगिक आस्थान ललौरीखेड़ा में शेष/प्लांटों का निम्न प्रकार है।

औद्योगिक आस्थान का नाम	उपलब्ध		आवंटित	
	प्लांट	शेड	प्लांट	शेड
1	2	3	4	5
ललौरीखेड़ा	11	5	11	5

लघु औद्योगिक आस्थान :

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण के प्रोत्साहन हेतु ब्लाक स्तर पर लघु औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापन हेतु, सम्बन्धित कार्यवाही चल रही है। जनपद के सात विकास खण्डों में मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

औद्योगिक प्रगति :

जिसमें के पूरनपुर सीसलपुर विकास खण्डों में निर्माण कार्य पूर्ण कर खण्डों के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। शेष विकासखण्डों में कार्यवाही प्रगति पर है। इन औद्योगिक आस्थानों के स्थापित हो जाने से क्षेत्रीय उद्यमियों का उद्योग स्थापनार्थ भूमि प्राप्त हो सकेगी तथा उद्योगों के विकास के साथ-साथ क्षेत्र के नवयुवकों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे।

मिनी औद्योगिक आस्थानों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	स्वीकृत विकास खण्ड	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4
1—	पूरनपुर	6.02 एकड़	दिनांक 16-689 को विकसित आस्थान का कब्जा ले लिया गया।
2—	बीसलपुर	2.50 एकड़	12-5-89 को विकसित आस्थान का कब्जा ले लिया गया।

1	2	3	4
3 –	बिलसण्डा	2·58 एकड़	भूमि प्राप्त कर निर्माण एजेन्सी को निर्माण हेतु हस्तगत करा दी गई ।
4 —	अमरिया	2.50 एकड़	शासन स्तर पर स्वीकृत अपेक्षित है ।
5 —	मरौरी	2.50 एकड़	चयन समिति द्वारा भूमि का चयन किया जा चुका है ।
6 —	बरखेड़ा	2.50 एकड़	जिला स्तर पर भूमि अर्जन की कार्यवाही चल रही है ।

लघु उद्योगों की प्रगति का वर्षवार तुलनात्मक अध्ययन

क्रम संख्या	वर्ष	स्थापित इकाइयाँ	रोजगार सृजन
1	2	3	4
1 —	1986-87 तक की स्थिति	1078	4537
2—	1987-87	325	1491
3—	1988-89	328	1625
	योग	9731	7653

खादी ग्रमाद्योग द्वारा पंजीकृत/स्थापित औद्योगिक इकाइयों की 31 मार्च 1988 तक की प्रगति का विवरण, उद्योगवार

क्रम सं०	उद्योग का नाम	स्थापित इकाइयों की संख्या
1	2	3
1—	चर्म उद्योग	277
2—	काष्ठ/लोहा उद्योग	111
3—	कल प्रशोधन	9
4—	रेशा	404
5—	अनाज प्रशोधन	83
6—	गुड़/खण्डसारी	40
7—	मोम उत्पादन	07
8—	कुम्हारी	283
9—	वनौषधि	2
10—	तेल घानी	14
11—	बाँस बेन्त	186
12—	कपड़े धोने का साबुन	7
13—	गोंद संग्रह	3
14—	चूना	45
15—	अल्युमिनियम	1
16—	कुटीर दियासलाई	1
17—	अगरबत्ती	5
18—	हाथ कागज उद्योग	1
19—	ताड़ वस्तु	5
20—	सिवई इकाई	6
	योग	1491

वर्ष 1988-99 में खादी ग्रामोद्योग द्वारा 180 (एक सौ अस्सी) औद्योगिक इकाइयों स्थापित कराई।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना :

ग्रामीण अंचलों में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वावलम्बी बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की यह योजना है। इस योजना से पात्र परिवार, लघु सीमान्त कृषक खेतीहर मजदूर व ग्रामीण दस्तकार आते हैं। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (उोद्यग, सेवा एवं व्यवसाय) के अन्तंगत जनपद की गत तीन वर्षों की प्रगति आख्या निम्न प्रकार है।

(एकीकृत ग्राम्य विकास योजना) उद्योग सेवा एवं व्यवसाय

क्रम सं०	वर्ष	उद्योग क्षेत्र		सेवा/व्यवसाय क्षेत्र	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5	6
1	1986—87	840	992	1260	1443
2	1987—88	1050	1057	1059	1630
3	1988—89	1050	1055	1050	1917

ट्राईसम योजना

क्र० सं०	वर्ष	प्रशिक्षण का लक्ष्य	प्रशिक्षित व्यक्ति	इकाई स्थापना लक्ष्य	स्थापित इकाइयाँ
1	2	3	4	5	6
1	1986—87	280	668	175	665
2	1987—88	280	460	175	276
3	1988—89	75	305	84	106

पावरलूम पंजीकरण :

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1418/18 595 क (एल) 1985 दिनांक 18 जून 1988 द्वारा शक्ति-चालित करघों के पंजीकरण के अधिकारी का प्रतिनिधयन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों को कर दिया गया है। इससे पूर्व यह अधिकार क्षेत्रीय वस्त्रायुक्त कानपुर को प्रदत्त थे। शासनादेश के बाद क्षेत्रीय वस्त्रायुक्त कार्यालय कानपुर के स्तर पर लम्बित समस्त मामले सम्बन्धित महा प्रबन्धक, जिला क्षेत्रीय उद्योग केन्द्रों को हस्तान्तरित कर दिये गये। अब तक पंजीकृत इकाइयों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	पावरलूम प्रार्थना पत्र जो पंजीकृत किये जाने हेतु प्राप्त हुए	इकाइयों की संख्या जो पंजीकृत हुई	आच्छादित पावर-लूम
1	2	3	4
1—	29	29	50

शिक्षित बेरोजगारी की समस्या निदान की वर्षवार प्रगति का विवरण

क्रम सं० मद	83—84	84—85	85—86	86—87	87—88	88—89
1—उद्योग	52	89	72	77	30	62
2—सेवा	49	25	12	13	05	11
3—व्यवसाय	159	126	89	72	67	133
योग	260	240	173	162	102	206

औद्योगिक संभाव्यता विकासखण्डवार

विकास खण्डवार पूरनपुर, बीसलपुर, बिलसण्डा, और मरौरी विकास :

विकासखण्ड कृषि बाहुल्य क्षेत्र हैं। अतः कृषि पर आधारित उद्योग जैसे राइस मिल शुगर मिल, गत्ता मिल कोल्ड स्टोरेज, कृषि यन्त्र और जनरल इंजीनियरिंग वर्क शाप आदि की अच्छी संभावनायें हैं। बंगाली बाहुल्य क्षेत्रों जूट मिल बहाय करघा उद्योग की अधिक संभावनायें है।

बरखेरा विकास खण्ड :

उद्योग की दृष्टि से बरखेड़ा विकासखण्ड पिछड़ा हुआ है। यहां कृषि यन्त्र, इंजीनियरिंग वर्कशाप, आयल स्पेलर उद्योगों की संभावना अधिक है।

ललोरी खेड़ा :

यह विकास खण्ड बरेली रोड पर स्थित होने के कारण बरेली से सीधा सम्पर्क है इसलिये यहाँ पर गेहूँ पर आधारित उद्योग लगाये जा सकते हैं। वर्तमान में फ्लोर मिल की स्थापना भी की जा चुकी है।

अमरिया विकासखण्ड :

इस विकासखण्ड में वर्तमान समय में 5 राहत मिलों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त शुगर मिल इंजीयरिंग वर्कशाप, की आवश्यकता हैं, अत: कृषि यन्त्र उद्योग गत्ता मिल की संभावना अधिक है।

माँग पर आधारित उद्योग :

पूरनपुर—इस विकास खण्ड में रेडिमेड वस्त्र, रंगाई छपाई काष्ठ उद्योग, आरा-मशीन उद्योग यहां ज्यादा पनप सकते हैं।

बीसलपुर :

इस विकास खण्ड में हैण्लूम, चमड़ा उद्योग, जरी का कार्य फर्नीचर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि की मांग है।

बरखेड़ा विकासखण्ड :

मांग के आधार पर आटा चक्की एक्सपेलर, धान का कार्य तथा गुड़ उद्योग की सम्भावना अधिक है।

बिलखण्डा :

यहाँ पर छपाई कार्य हेतु कोई इकाई स्थापित नहीं है, अत: प्रिंटिंग प्रेस, अल्युमिनियम के बर्तन, सीमेंट जाली के उद्योग की संभावना अधिक है।

मरोरी :

यहाँ पर रेडीमेड वस्त्र उद्योग लकड़ी, फर्नीचर तांगा, बुग्गी, खड़खड़ा डनलप गाड़ी

इत्यादि इकाइयों स्थापित की जा सकती है ।

ललौरी खेड़ा :

कृषि के औजार, रेडीमेड वस्त्र तथा हैन्डलूम इकाइयों की सम्भावना अधिक है ।

अमरिया :

अमरिया विकास खण्ड सिक्ख बाहुल्य क्षेत्र है, अतः यहां पर हैण्डलूम लकड़ी, फर्नीचर, इंजीबियरिंग वर्कशाप, प्रिन्टिग, प्लास्टिक कन्टेनर उद्योग की अच्छी सम्भावना है । इस विकास खण्ड में मुस्लिमों का भी बाहुल्य है अतः जरी का काम, कालीन, दरी आदि, रंगाई छपाई, और तांगा निर्माण उद्योग की बहुत अच्छी संभावनायें हैं ।

'घ' 9. विपणन

कृषकों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें की हैं। मण्डी समितियों की स्थापना की गयी है। जिसमें तीन प्रमुख मण्डी समितियां स्थापित हैं :—

1—पीलीभीत
2—पूरनपुर
3—बीसलपुर

उक्त के अतिरिक्त उप मण्डियां भी स्थापित की गई हैं यथा टमझोला, विलसण्डा, बरखेड़ा, विठौराकला', कली नगर, माधोटांडा आदि इनके द्वारा उत्पादन का विक्रय किया जाता हैं और उत्पादक को उचित मूल्य दिया जाता है।

जनपद में एक विपणन अधिकारी नियुक्त हैं जिसका कार्य उत्पादन का राजकीय क्रय और विक्रय हैं। पीलीभीत, पूरनपुर, बीसलपुर, बिलसण्डा अमरिया, न्यूरिया, मझोला में क्रय केन्द्र खोले जाते हैं इनके अन्तर्गत निम्न कर्मचारी कार्यरत हैं :—

1 ज्येष्ठ विपणन अधिकारी	= 10
2—विपणन अधिकारी	= 27
3—लिपिक	= 5
4—कामदार	= 17
5—चौकीदार	= 16
6—अन्य	= 4
7—कुल कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	= 79

सरकार द्वारा क्रय किया गया गेहूँ, चावल की मात्रा :—

वर्ष	गेहूँ	चावल
1989-90 मी० टन में,	147213	129874

बाजारों के नाम और उनकी संख्या :

जनपद में मुख्य स्थायी बाजार 11 हैं तथा कुल हाटों की संख्या 100 है।

मुख्य बाजार :

1 –**पीलीभीत :**

यहाँ चावल, गेहूँ, गुण, आलू, लकड़ी की प्रमुख मन्डी है।

2 –**पूरनपुर :**

यहाँ चावल, गेहूँ, गुड़, आलू, तिलहन, दालें, जूट, फर्नीचर एवम् इमारती लकड़ी की चमुख मण्डी है।

3—**बीसलपुर :**

यहाँ चावल, गुड़, शक्कर गेहूँ, का बड़ा व्यापारिक केन्द्र है।

4 -**विलसण्डा :**

यहाँ चावल, गुड़, शक्कर तिलहन का बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। यहाँ का बाजार जनपद में सबसे बड़ा है।

5—**मझोला :**

यहाँ गुड़, चावल, शक्कर, गेहूँ, की प्रमुख मण्डी है।

6—**न्यूरिया तथा भिखारीपुर :**

यहाँ पर चावल की मण्डियाँ है।

7—**अमरिया :**

यहाँ चावल, गुड़, शक्कर, गेहूँ की मण्डी है।

8—**क्लीनगर :**

यहाँ गुड़, शक्कर. वैब, मूँज, तिल, उड़द, मूँग का केन्द्र है।

9—**बरखेड़ा :**

यह गेहूँ, गुड़, शक्कर की मण्डी है।

10 –**जहानाबाद :**

यह गुड़, खंडसार, गेहूँ, धान, चावल इत्यादि का केन्द्र है।

11—ललौरीखेड़ा :

यह गुड़, खंडसार, गेहूँ, चावल, मैदा इत्यादि का केन्द्र हैं ।

उत्पादन का प्रकार एवं मात्रा जो कि बाजार में आता है

वर्ष 1988—89 की मात्रा :

वस्तु का नाम	मी०टन में
1—धान	396299
2—गेहूँ	323294
3—तिलहन	4772
4—कुल दालें	9689
5—गन्ना	2359374
6—आलू	21335

उत्पाद की मात्रा जो बाजार में विक्रय हेतु आयी :

1—धान	223155
2—गेहूँ	164750
3—तिलहन	3723
4—दालें	7557
5—गन्ना	151800 (1518000)
6—आलू	16215

पीलीभीत जनपद की मण्डी समितियों में जिन्सवार अधिक वर्ष 89-90, 90-91

कुल आवक (कुन्टल में)

क्रमांक	जिन्स	तहसील पीलीभीत		तहसील पूरनपुर		तहसील बीसलपुर	
		वर्ष 89-90	90-91	89-90	90-91	89-90	90-91
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—धान	1647679	1556329	1094282	1051774	872014	812303
2	—चावल	388626	621703	667519	656766	200724	280660

1 2	3	4	5	6	7	8
3—ज्वार	634	383	1587	1035	38	37
4—बाजरा	354	153	319	322	—	—
5—मक्का	351	750	24	154	20	21
6—गेहूँ	652558	601145	1015914	828627	346887	426482
7—आलू	29900	27228	17496	19139	22504	13874
8—गुड़	117762	90635	1614	1417	26189	22660
9—खण्डसारी	31607	24092	2041	11577	41311	38782
10—दलहन	30556	27589	4248	3124	6611	5482
11—तिलहन	3204	2323	2108	5217	3719	3605
12—व्याज	6109	5390	6291	4514	952	1007
13—सब्जी	21229	66764	8236	5100	6661	5616
14—फल	68831	22526	12412	11923	4688	4631
15—मसाले	1679	1319	—	—	811	903
16—राब	6893	709	12007	2691	2536	1876
17—तम्बाकू	1313	1616	699	784	743	534
18 जौ	30	54	—	—	144	139

कर्मचारियों की संख्या

	पु०	महि०	योग	पु०	महि०	योग	पु०	महि०	योग
1990—	38	×	38	21	—	21	24	01	25
1991—	37	01	38	18	—	18	23	01	24

व्यापारियों की संख्या विवरण कृ० 30 म० स० पीलीभीत

मद	88-89	89-90	90-91
1. आढ़त थोक व्यापार	153	165	158
2. थोक व्यापार	118	137	131
3. आढ़त	59	59	60
4. मिज/कारखाने	65	75	76
5. आटा चक्की	54	63	58
6 धान मशीन	31	41	41
7. एक्सपेलर	37	36	37
8. फुटकर व्यापारी	224	220	227
9. ग्राम व्यापारी	38	33	15
10. गोदाम व्यापारी	12	10	03
11. पल्लेदार	4	4	06
12. ट्रक चालक	52	03	—
13. तेल धानी	—	—	01
14. तेलक	03	03	02
योग	850	848	805

जिला विद्यालय निरीक्षक
पीलीभीत

कृषि उत्पादन मण्डी समिति पूरनपुर (पीलीभीत)

लाइसेन्स सूचना श्रेणीवार

श्रेणी लाइसेन्स धारी	1988—89	1989—90	1990—91
1—थोक व्यापापारी आढ़ती	147	167	157
2—थोक व्यापारी	54	56	42
3—आढ़ती	04	02	04
4—मलिक/कारखाना	28	33	32
5—आटा चक्की	40	41	31
6—एक्सपेलर	23	29	29
7—धान मशीन	21	29	14
8—रूई मशीन	07	15	08
9—फुटकर व्यापार	305	341	297
10.—पल्लेदार	93	222	34
11—सीवांक	08	16	04
12—ट्रान्सपोर्ट	—	—	03
13—आरा मशीन	—	—	10
14—ग्राम व्यापारी	154	130	—
15—ट्रक चालित	53	04	—
16—कोल्हू	—	02	—
17—इलेक्ट्रिक	—	01	—
योग	937	1088	660

कृषि उत्पादन मण्डी समिति—बीसलपुर

कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	व्यापारियों की मद	1988—89	1989—90	1990—91
1	2	3	4	5
1	—आढ़त व थोक	83	67	70
2	—थोक व्यापार	71	31	31
3	—आढ़त	03	02	—
4	—आटा चक्की	60	37	35
5	—हलर	38	20	18
6	- इसपेलर	45	30	34
7	—मिल कारखाना	26	20	24
8	—तोलक	25	23	20
9	—पल्लेदार	41	33	27
10	—ग्राम व्यापार	306	190	—
11	—फुटकर व्यापार	233	161	213
12	—गोदाम	02	01	—
13	—निली सेलर	01	01	—
14	—रूई मशीन	01	---	—
15	—डिमाटीवेटर	01	—	—
16	—कोल्ड स्टोरेज	—	—	01
17	—आर मशीन	—	—	03

'घ' 10. शिक्षा

जनपद में विकास खण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें

वर्ष विकास खण्ड	जूनियर बेसिक स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल कुल	हाई स्कूल तथा इण्टर मीडिएट विद्यालय कुल	बालिका	महाविद्यालय	वि०वि०	
1	2	3	4	5	6	7	8
1987—88	756	154	43	27	4	2	—
1988—89	162	160	43	28	4	2	—
1989—90	162	160	43	28	4	3	—
विकास खण्डवार 1989—90							
1—अमरिया	86	18	2	1	—	—	—
2—ललौरी खेड़ा	69	9	3	2	—	—	—
3—मरौरी	81	13	4	—	—	—	—
4—पूरनपुर	155	30	7	2	—	—	—
5—बिलसण्डा	90	16	5	—	—	—	—
6—बीसलपुर	100	12	2	3	—	—	—
7—जरखेड़ा	93	13	3	1	—	—	—
योग ग्रामीण	674	111	26	9	—	—	—
समस्त स्तरीय	88	49	17	19	4	2	—
योग जनपद	762	160	43	28	4	2	—

जनपद में विकास खण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी

वर्ष विकास खण्ड	कक्षा 1 से 5 तक				कक्षा 6 से 8 तक			
	छात्र	छात्रायें			छात्र	छात्रायें		
	कुल	अनु० जाति	कुल	अनु० जाति	कुल	अनु० जाति	कुल	अनु. जाति
		अनु. जन-जाति		अनु. जन-जाति		अनु. जन जाति		अनु. जन-जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87-88	75556	11403	34857	5077	32135	3988	8250	975
88-89	78263	12220	36566	5156	32671	3858	7975	1004
89-90	76520	12877	36118	7988	33253	3934	8175	1082
1. अमरिया	7437	1071	2443	500	2202	366	389	35
2. ललौरीखेड़ा	6761	1007	2612	753	3284	298	438	46
3. (मरौरी)	9821	2000	3973	936	4435	338	613	117
4. पूरनपुर	11693	2500	4960	1340	3936	454	694	100
5. बिलसण्डा	8098	820	3980	1502	2489	392	507	100
6. बीसलपुर	8230	1400	4708	1219	2427	276	395	62
7. बरखेड़ा	8338	1219	4098	1000	2498	348	409	69
योग ग्रामीण	61178	11017	26774	7262	21271	2472	3446	529
योग नगरीय	15342	1860	9344	726	11982	1462	4729	553
योग जनपद	76520	12877	36119	7988	23253	3934	8175	1092

वर्ष	कक्षा 9 से 12 तक				डिग्री कालेज			
विकास खण्ड	छात्र		छात्रायें		छात्र		छात्रायें	
	कुल	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	कुल	अनु०जाति एवं जनजाति
	10	11	12	13	14	15	16	17
1987-88	11251	1569	2219	78	654	91	260	6
1188-89	11036	1129	2189	85	655	77	325	10
1989-90	11698	1344	2461	111	658	85	330	11
विकास खण्डवार—1989-90								
1. अमरिया	521	54	18	2	—	—	—	—
2. बरखेड़ा	330	43	26	1	—	—	—	—
3. मरौरी	—	—	—	—	—	—	—	—
4. पूरनपुर	285	65	17	3	—	—	—	—
5. बिलसण्डा	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बीसलपुर	957	117	42	5	—	—	—	—
7. बरखेड़ा	209	73	29	6	—	—	—	—
योग ग्रामीण	2302	352	132	17	—	—	—	—
योग नगरीय	9396	992	2329	94	658	05	330	11
योग जनपद	11698	1344	2461	111	658	85	330	11

लिंग के अनुसार विद्यालयों का वर्गीकरण :

विद्यालय का प्रकार	संख्या			
	बालक	बालिका	मिश्रित	योग
1. जू० बे० स्कूल	—	—	762	762
2. सी० बे० स्कूल	117	43	—	160
3. हाई स्कूल/इण्टर	24	4	—	28
4. महा० वि०	—	—	2	2

शैक्षिक संस्थाओं के प्रकार

सामान्य = जनपद में 762 प्राइमरी स्कूल 160 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 28 हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालय हैं।

प्राविधिक :

जनपद में क—2 प्राविधिक शिक्षा संस्थान हैं एक पालीटेक्निक तथा दूसरा आई० टी० आई० है।

चिकित्सक प्रशिक्षण संस्थान :

ललित हरि आयुर्वेदिक महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है जिसमें 5 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात डिग्री = बी० ए० एम० एस० प्रदान की जाती है।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान :

वर्ष 87 --88 तक दो विद्यालय कार्यरत थे। एक पुरुष तथा एक महिला हेतु था परन्तु अब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अर्न्तगत पुरुष एवं महिला को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है।

डिप्लोमा कोर्स (बी० एच० डब्लू) :

प्रशिक्षण केन्द्र एक कार्यरत है। एक ए० एन० एम० (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र भी संचालित है।

इस जनपद में दो विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा चलाई जा रही है। पहला ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज, पीलीभीत तथा दूसरा राजकीय बालिका विद्यालय, पीलीभीत हैं। ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज, पीलीभीत में फल संरक्षण पुस्तकालय विज्ञान, टंकण ट्रेड्स में शिक्षा दी जाती है। राजकीय बालिका (इण्टर) विद्यालय पीलीभीत में अभी कोई छात्रा ट्रेड में शिक्षा नहीं पा रहीं है।

जनपद पीलीभीत में विकासखण्डवार मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षक/शिक्षिकाओं की संख्या : जनपद की स्थिति

वर्ष/ज़िला विकास प्रखण्ड	जू० बेसिक स्कूल			सीनि० बे० स्कूल			हा० से० स्कूल			महाविद्यालय		
	पु०	महि०	कुल	पु०	महि०	कुल	पु०	महि०	कुल	पु०	महि०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1987—88	1964	534	2498	474	113	587	436	88	524	27	5	32
1988—89	1987	547	2534	512	125	637	446	85	531	26	4	30
1989—90	1971	569	2530	502	117	619	428	89	517	27	4	31
विकास प्रखण्डवार 1989—90												
1. अमरिया	132	46	178	55	5	60	12	—	12	—	—	—
2. ललौरीखेड़ा	151	84	235	49	9	58	17	—	17	—	—	—
3. मरौरी	231	102	333	54	14	68	—	—	—	—	—	—
4. पूरनपुर	430	47	477	109	20	129	19	1	—	—	—	—
5. बिलसण्डा	245	44	289	45	14	59	—	—	—	—	—	—
6. बीसलपुर	311	36	347	56	1	57	51	—	51	—	—	—
7. बरखेड़ा	225	33	258	44	9	53	8	—	8	—	—	—
योग ग्रामीण	1725	392	2117	412	72	484	107	1	108	—	—	—
योग नगरीय	346	167	513	90	45	135	321	88	409	27	41	31
योग जनपद	1971	559	2530	502	117	619	428	89	517	27	4	31

'घ' II. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जनपद में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये गत वर्षों में दो करोड़ की लागत से एक नये पुरुष एवं महिला संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण कराया गया है जिससे पुरुष चिकित्सालय में 130 शैय्यायें तथा महिला चिकित्सालय में 70 सेवायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सभी बेहतर स्वास्थ्य के लिये जनपद में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 188 उपकेन्द्र कुशल चिकित्सकों की देख-रेख में जनता की उचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकरी उपलब्ध कराते हैं।

जनपद में क्षय रोग, अन्धेपन तथा प्रतिक्षण कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। कुष्ठ नियन्त्रण के अर्न्तगत जनपद को एम० डी० टी० योजना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राइमरी हेल्थ केयर के लिये अंगीकृत किया है। जिसमें ए० आई० आर०, डायरिया तथा संक्रामक रोगों से बचाने के लिये विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

गत वर्ष 2799 नये क्षय रोगियों का पता लगाकर उनका इलाज किया गया। 124791 व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये। कुष्ठ निवारण कार्यक्रय में 1224 रोगियों को रोग मुक्त किया गया। दृष्टि विहीनता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2239 लोगों को उपचारित किया गया। 190 ग्लूकोमा आपरेशन करवाये गये। लूप निवेशन पूजर्त तथा ओरल पिल्स में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई।

वर्ष 1989-90 में चिकित्सा स्वास्थ्य की बेहतर सेवाओं के लिये 4627.2 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया जिसमें चालू योजनाओं पर 2436 हजार रुपये तथा नई योजनाओं पर 2191.2 हजार रुपये व्यय किये गये। इसमें 4237.2 हजार रुपये एलोपैथिक चिकित्सा तथा 390 हजार रुपये आयुर्वेदिक चिकित्सा के विस्तार हेतु खर्च किये गये।

जनपद में एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय

क्र० स०	मद	वर्ष 87-88	88-89	89-90
1	राजकीय सार्वजनिक	21	21	31
2	राजकीय विशेष	3	3	3
3	स्थानीय निकाय एवं नगरपालिका	3	3	3
4	सहायता प्राप्त निजी	1	1	1
5	असहायता प्राप्त निजी	1	1	1

जनपद में विकास खण्डवार एलोपैथिक चिकित्सालय

वर्ष विकासखण्ड	चिकित्सा एवं औषधालय प्रा० स्वा० के० को छोड़कर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	समस्त में उपलब्ध शैय्यायें	समस्त में डाक्टर	कर्मचारी (पैरा मेडिकल कर्मचारी)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1987-88	15	14	391	62	94	159
1988-89	12	17	391	63	90	157
1989-90	13	27	409	74	102	164

विकास खण्डवार–1989-90

1. अमरिया	—	3	10	3	3	6
2. ललौरीखेड़ा	—	2	8	3	2	4
3. मरौरी	—	3	10	6	5	5
4. पूरनपुर	1	6	23	6	11	12
5. विलसण्डा	—	4	12	5	5	4
6. बीसलपुर	—	3	8	6	6	4
7. बरखेड़ा	1	1	10	2	2	2
योग ग्रामीण	2	22	81	31	34	37
योग नगरीय	10	5	328	43	68	127
योग जनपद	12	27	409	74	102	164

जनपद में विकास खण्डवार आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा

वर्ष विकासखण्ड	आयुर्वेदिक			यूनानी			होम्योपैथिक		
	चिकित्सालय एवं औषधालय	उपलब्ध शैय्यायें	डाक्टरों की संख्या	औष०	शैय्या	डाक्टरों की सं०	औष०	उप० शैया	डाक्टरों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1987-88	31	174	42	2	—	2	9	—	10
1988-89	31	174	42	2	—	2	11	—	11
1989-90	23	156	36	2	—	2	11	—	11

विकास खण्डवार 1989-90

1—अमरिया	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2—ललौरीखेड़ा	—	8	2	—	—	—	1	—	1
3—मरौरी	3	6	3	—	—	—	—	—	—
4—पूरनपुर	6	16	6	—	—	—	4	—	4
5—विलसण्डा	—	—	—	—	—	—	2	—	2
6—बीसलपुर	4	8	4	1	—	—	1	—	1
7—बरखेड़ा	4	4	4	—	—	—	—	—	—
योग ग्रामीण	19	42	19	1	—	1	9	—	9
योग नगरीय	4	114	17	1	—	1	2	—	2
योग जनपद	23	156	36	2	—	2	11	—	11

जनपद में विकास खण्डवार परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

वर्ष विकासखण्ड	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र
1	2	3
1987-88	15	172
1988-89	15	176
1989-90	15	176
विकास खण्डवार 1989-90		
1. अमरिया	1	23
2. ललौरी खेड़ा	1	20
3. मरौरी	2	25
4. पूरनपुर	2	34
5. विलसण्डा	—	24
6. बीसलपुर	2	20
7. बरखेड़ा	—	22
योग ग्रामीण	8	168
योग नगरीय	7	8
योग जनपद	15	176

निजी क्लीनिक

इस जनपद में निजी क्लीनिक भी कार्यरत है इनकी संख्या लगभग 25 के होगी इनमें लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट डाक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके अपने पूर्ण सुविधा सम्पन्न क्लीनिक हैं।

'घ' 12. विद्युत व्यवस्था

(घ) 12—**विद्युत व्यवस्था**—आजकल के प्रगतिशील युग में विकास के लिये विद्युत महत्वपूर्ण साधन है। घरेलू कार्यों, औद्योगिक क्षेत्र तथा जन संचार के साधनों में विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जनपद पीलीभीत में 1198 आवास ग्राम हैं जिनकी 1424 आबाद बस्तियां हैं। जिनमें से 736 ग्राम विद्युतीकृत हैं और उनमें से 403 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत हैं।

जनपद में विभन्न कार्यों में विद्युत उपयोग (हजार किलोवाट)

क्र० सं०	मद	1987-88	1988-89	1989-90
1.	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	9511	10070	757
2.	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	2599	2262	476
3.	औद्योगिक विद्युत शक्ति	8737	42766	25159
4.	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	1503	1100	1100
5.	कृषि विद्युत शक्ति	37141	44789	1390
6.	सार्वजनिक जलकल एवं मलप्रवाह	684	1139	3019
7.	प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग	53.5	122.4	137.2

जनपद में विकास खण्डवार विद्युतीकृत ग्राम नगर एवं हरिजन बस्ती

वर्ष	विद्युतीकृत ग्राम के० वि० प्राधि- की परिभाषानुसार	जिनमें एल० डी० मेन्स लगा दिये गये	उर्जाकृत नलकूपी पम्पसेटों की संख्या	विद्युतीकृत हरिजन बस्ती
1987-88	689	320	5089	378
1988-89	721	34	5417	398
1989-90	736	346	5542	403

विकास खन्डवार 1989-90

विकास खण्ड	विद्युतीकृत ग्राम	ग्राम जिनमें एल० टी० मेन्स लगा दिये गये हैं	उर्जीकृत निजी नलकूपों पम्प सेट्स की संख्या	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां
1. अमरिया	130	55	1427	45
2. ललौरीखेड़ा	42	24	69	30
3. मरौरी	89	57	449	70
4. पूरनपुर	229	52	2604	72
5. बिलसन्डा	123	94	513	104
6. बीसलपुर	59	23	281	34
7. बरखेड़ा	56	41	200	48
योग	736	346	5542	403
योग जनपद	736	346	5542	403

उपभोक्ताओं की संख्या :

उपभोक्ता का प्रकार	कुल उपभोक्ताओं संख्या	ग्रामीण	शहरी
1. घरेलू	27362	17437	9925
2. वाणिज्य	3526	149	3377
3. लघु एवं मध्यम पावर	681	655	26
4. वृहद एवं भारी उद्योग शक्ति	22	13	9
5 रेलवे	12	—	12
6. प्राइवेट ट्यूबवेल	4954	4943	11
7. स्टेट ट्यूब वेल	43	43	—
8. विश्व बैंक	63	63	—
9. वाटर बक्स	11	—	11
10. विभागीय उपभोक्ता	436	174	262
योग	37118	23477	13635

जिला विद्यालय निरीक्षक
बरेली ।

'घ' 13. परिवहन एवं जनसंचार

पुराने समय में परिवहन एवं जनसंचार के माध्यम, बैलगाड़ी, खच्चर, घोड़े, गधे और पहाड़ी भागों पर भेड़ बकरियां तथा संबंध मनुष्य ही परिवहन के उपलब्ध साधन थे और जनसंचार के माध्यमों में कबूतर का बड़ा ही महान था। या फिर पैदल स्वयं मानव, रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट परिवहन संचार दोनों के लिये एक मात्र साधन था। धीरे-धीरे मानव जाति प्रगति करती गई और शनैः-शनैः वर्तमान इक्कीसवीं शताब्दी तक जा पहुँची। फिर भला पीलीभीत परिवहन संचार के आधुनिकतम माध्यमों से अछूता क्यों रहता।

पीलीभीत में वर्तमान समय में परिवहन के साधन

इस जनपद में मुख्य रूप से रेल, मोटर, बैलगाड़ी, घोड़ा, तांगा, इक्का, रिक्शा आदि हैं।

रेल मार्ग :

इस जनपद में उत्तरी पूर्वी (एन० ई० आर०) तथा उनकी शाखायें फैली हुई हैं। इसकी मुख्य लाइन बरेली को लखनऊ से मिलाती है। यह रेलवे शाही स्टेशन से जिले में प्रवेश करती हैं तथा ललौरी खेड़ा, पीलीभीत, माला, शाहगढ़, प्रसादपुर पूरनपुर और दुधिया खुर्द स्टेशनों से गुजरती हुई जनपद के बाहर चली जाती है।

उत्तरी पूर्वी रेलवे की एक शाखा पीलीभीत से बीसलपुर होती हुई, शाहजहानपुर चली जाती है। इस लाइन पर बांटा, भोपतपुर, शेरगंज, बीसलपुर और मिथौना के स्टेशन हैं। उत्तरी पूर्वी रेलवे की एक शाखा पीलीभीत से टनकपुर भी जाती है न्योरिया और मझोला, इस जनपद के अन्दर के रेलवे स्टेशन हैं।

इस प्रकार जनपद की कुल रेलवे लाइन की लम्बाई 132 किलो मीटर है। रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित 17 हैं।

बस सर्विस :

जनपद पीलीभीत में, राजकीय बस सेवा व प्राइवेट बस सेवा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पीलीभीत नगर में पक्का राजकीय रोडवेज बस स्टेशन है। परन्तु बीसलपुर और पूरनपुर मुख्यालय पर पक्का बस स्टेशन नहीं है। इसी प्रकार से निजी बस स्टेशन केवल पीलीभीत नगर में ही पक्के बने हैं।

1–**राजकीय रोडवेज**–पीलीभीत से ललौरी खेड़ा होती हुई टनकपुर, नामक सागर, लोहिया हेड तथा पिथौरागढ़ को बस जाती है। पीलीभीत से पूरनपुर माधोटांडा, कलीनगर तथा बाइकरकेशन को रोडवेज की बसे जाती हैं। पीलीभीत से बरखेड़ा, बीसलपुर, खंनका, होती हुई शाहजहानपुर के लिए रोडवेज की बस सेवा भी शुरू हो गई है। पीलीभीत से देहली, मथुरा, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून, लखनऊ आदि नगरों को रोडवेज की सीधी बसें जाती हैं।

2—**निजी बस सेवा**—पीलीभीत से जहानाबाद अमरिया होती हुई सितारगंज तक जाती है। पीलीभीत से बरखेड़ा, बीसलपुर होकर बिलसण्डा तथा दियोरिया कलां तक जाती है बीसलपुर से रसिया खानपुर तक बस जाती है। बिलसण्डा से होकर पूरनपुर तक भी प्राइवेट बस चलती है।

अन्य साधन :

माल ढोने के लिये निजी ट्रकों, ट्रक यूनियनों की भरमार है। जिनके माध्यम से, पीलीभील जनपद का माल भाल भारत के कोने-कोने तक लाया ले जाया जाता है।

पीलीभीत जनपद एक पिछड़ा हुआ जनपद है अतः पक्की सड़के अपेक्षाकृत कम हैं। गांवों के दूर दराज इलाकों में कच्ची सड़के है और कहीं कहीं वह भी नहीं। अतः ग्रामों से अनाज व अन्य सामान नगरों तक लाने व ले जाने के मुख्य साधन, बैलगाड़ी, घोड़ा, खच्चर, तांगा और इक्का आदि ही हैं।

पक्की सड़कें :

जनपद में पक्की सड़कों की कमी है परन्तु अब हमारी सरकार सड़के व पुल, बनवाने पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे ग्रामों का विकास हो सके अलवत्ता पक्की सड़कों का केन्द्र पीलीभीत जनपद का मुख्यालय ही है। इस जनपद में निम्नलिखित पक्की सड़के हैं—

1—पीलीभीत से बरेली—ललौरी खेड़ा होती हुई।

2—पीलीभीत से टनकपुर—न्योरिया होती हुई।

3—पीलीभीत से शाहजहानपुर—बीसलपुर होती हुई।

4—पीलीभीतपुर से लखीमपुर—पूरनपुर होती हुई।

5—पीलीभीत से जहानाबाद।

6—पीलीभीत से सितारगंज—अमरिया होती हुई।

7—बीसलपुर से बण्डा—बिलसण्डा होती हुई ।

8—बीसलपुर से दियोरिया कलां ।

9—बीसलपुर से बरेली—मीरपुर वाहनपुर होती हुई ।

10—पूरनपुर से बण्डा—धुधचिहाई होती हुई ।

11—पूरनपुर से खुटार होती हुई गोला गोकर्रन नाथ ।

12—पूरनपुर से कली नगर तथा पूरनपुर से माधोटांडा ।

इनके अतिरिक्त एक कच्ची सड़क ईटगांव, बमरौली होती हुई पुवायां को जाती है । महोक से एक सड़क कोपुरी को, दूसरी पीलीभीत को, तीसरी माधोटांडा को जाती है ।

इस जनपद में विकासखण्डवार पक्की सड़कों की लम्बाई (कि० मी०) में तथा सब ऋतु योग्य सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या—

विकास खण्ड का नाम (जनपद पीलीभीत) वर्ष 88-89	सड़कों की लम्बाई		सब ऋतु योग्य सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या		
	कुल	सा. निवि.	1000 से कम जनसंख्या वाले ग्राम	1100 से 1400 तक जनसंख्या वाले ग्राम	1500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम
1	2	3	4	5	6
1—अमरिया	168	101	24	12	10
2—ललौरी खेड़ा	82	56	17	12	84
3—मरौरी	129	101	26	11	84
4—पूरनपुर	235	204	28	13	9
5—बिलसण्डा	65	63	11	5	6
6—बीसलपुर	83	75	10	11	5
7—बरखेड़ा	40	436	13	12	4
योग ग्रामीण	802	636	129	76	42
योग नगरीय	214	21	—	—	—
योग जनपद	1016	657	129	76	42

तालिका—2

पीलीभीत जनपद में पक्की सड़कों की लम्बाई (कि० मी०)

में वार्षिक तुल्यात्मक विवरण सहित

क्रम संख्या	मद	1986—87	1987—88	1988—89
1	2	3	4	5
1. सार्वजनिक निर्माण वि० के अन्तर्गत :				
1. 1	—राष्ट्रीय राजमार्ग	---	—	—
1. 2	—प्रादेशिक राजमार्ग	139	139	139
1. 3	—मुख्य जिला मार्ग	77	77	77
1. 4	—अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कें	400	411	441
	योग	616	627	657
2. स्थानीय निकायों के अन्तर्गत सड़कें :				
2. 1	—जिला परिषद	9	9	9
2. 2	—			
	नगरक्षेत्र समिति/कैंट	118	192	193
	योग	197	201	202
3. अन्य विभागों के अन्तर्गत :				
3. 1	—सिंचाई	40	40	40
3. 2	—गन्ना	66	66	66
3. 3	—वन	—	—	—
3. 4	—डी० जी० वी० आर०	—	—	—
3. 5	—अन्य (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा)	48	49	51
	योग	154	155	157
	कुल योग	967	983	1016

नोट—वन तथा डी० जी० वी० आर० के स्वामित्व में कोई सड़क नहीं है अतः वन तथा टी० वी० आर० के स्वामित्व में सड़कें शून्य दर्शाये गये हैं।

पीलीभीत जनपद में विकासखण्डवार यातायात एवं संचार सेवायें

वर्ष/जिला/ विकासखण्ड	डाकघर	तारघर	पब्लिक काल आफिस	टेली-फोन	(स्टेशन) रेलवे स्टेशन	बस स्टाप/ बस स्टेशन
1	2	3	4	5	6	7
1987—88	137	13	65	870	17	76
1988—89	137	13	65	1026	17	76
1989—90	137	13	65	1026	17	76
विकासखण्डवार 1989—90						
1. अमरिया	17	01	5	13	—	8
2. ललौरीखेड़ा	13	—	4	—	2	6
3. मरौरी	11	—	2	7	1	13
4. पूरनपुर	25	1	21	26	4	18
5. बिलसण्डा	15	—	3	—	—	5
6. बीसलपुर	19	—	13	—	2	9
7. बरखेड़ा	20	—	—	—	1	2
वनक्षेत्र	—	—	—	—	1	—
योग नगरीय	17	11	17	980	6	15
योग ग्रामीण	120	2	48	46	11	61
योग जनपद	137	13	65	1026	17	76

नोट—वर्ष 1989—90 में उक्त सूचनाओं की पुनः पुष्टि की परन्तु कोई परिवर्तन न होने के कारण सूचना पूर्ववत दर्शाई गई है।

जनपद पीलीभीत में परिवहन सुविधा के अन्तर्गत वाहनों की संख्या

वाहन का प्रकार	वाहनों की संख्या	
	वर्ष 1989-90	वर्ष 1990-91
1	2	3
1 मोटर कार	97	434
2. मोटर साइकिल	7215	7113
3. मोटर बसें	152	124
4. टैक्सी	8	12
5. मोटर ट्रक	403	476
6. ट्रैक्टर	3092	7398
7. राजकीय वाहन	69	79
योग	11036	15636

वाहनों से संबंधित उपरोक्त आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जनपद में सामान्य रूप से वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही हैं। विशेष रूप से मालवाहक भारी वाहनों की संख्या तथा कृषि कार्य वाहन जैसे ट्रैक्टरों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हो रही है, यह वृद्धि निश्चय ही औद्योगिक विकास तथा कृषि की प्रगति का परिचायक हैं। साथ ही साथ इस बात की भी परिचायक है कि जनपद में इन्जीयनियरिंग वर्कशाप व मोटर मैकेनिक कार्य का स्वरोजगार के लिये अच्छी सम्भावनायें हैं।

'घ' 14. व्यवसाय एवं वाणिज्य

जनपद का मुख्य व्यवसाय कृषि है । यहाँ की 80 प्रतिशत जनता कृषि कार्य करती है। यहाँ पर गन्ना, गेहूँ, धान, आलू, तिलहन, दालें, सनई आदि से सम्बन्धित व्यवसाय इस जनपद में किये जाते हैं । जनपद में परम्परागत बांसुरी चर्मकला, जरी का काम, कढ़ाई के कार्यों का व्यवसाय होता है । इसके अतिरिक्त चीनी बनाना, बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, साबुन, तेल, रस्सी, वान तथा कुम्हार गीरी, अगरबत्ती, वनौषधि एकत्र करना, मधु मक्खी पालन, रेशम उद्योग, चूना का विर्माण, ईंट निर्माण का व्यवसाय होता है ।

हथकरघा के क्षेत्र में मीरपुर, वाहनपुर, रिछौला सवल एवं गौंच में बुनकरों द्वारा व्यवसाय काफी प्रगति पर है ।

जनपद में बीसलपुर, पूरनपुर, पीलीभीत नगरों में मण्डी समिति के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मण्डी समितियों के माध्यम से गल्ले का व्यापार उच्चस्तर पर होता है । जनपद के हर क्षेत्र में सप्ताह में दो बार स्थानीय बाजार लगते हैं जहाँ दैनिक वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है । इसी प्रकार कुछ ऐसी भी बाजारें हैं जिनमें पशुओं का व्यापार यथाडाग, जिरौनिया, बांसखेड़ा आदि में होता है ।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो आर्थिक कार्य एवं व्यवसायों में लगी हुई है, का तिवरण निम्नवत है :—

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

मद	वर्ष 1981
1. कृषक	= 202533
2. कृषक मजदूर (67.2 प्रतिशत)	= 40999
3. पशुपालन, जंगल लगाना, वृक्षारोपण (0. 9%)	= 2177
4, खान खोदना	= —
5. पारिवारिक उद्योग (1.6 प्रतिशत)	= 4063
6, गैरपारिवारिक उद्योग	= —
7. अन्य कर्मकर (17.6 प्रतिशत)	= 52984
8. कुल मुख्य कर्मकर	= 302873
9 सीमान्त कर्मकर	= 1294
10. कुल कर्मकरों का जनसंख्या में प्रतिशत	= 30·0

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में 301379 मुख्य कर्मकर तथा 1294 सीमान्त कर्मकर पाये गये यानि कुल मिलाकर कर्मकर संख्या 302673 था जो वर्ष 1971 के कर्मकर 238104 की अपेक्षा 27.1 प्रतिशत अधिक रहे हैं।

वर्ष 1971 से 81 के दशक में कर्मकरों की संख्या में 27.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो जनसंख्या में हुई 34 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम रही और यही कारण है कि कुल जनसंख्या में कर्मकरों का प्रतिशत वर्ष 1971 में 31.7% से गिरकर वर्ष 1981 में 30% रह गया।

क्रम विक्रय सहकारी समितियों द्वारा लेन-देन

मद	वर्ष		
	वर्ष 1987-88	वर्ष 1988-89	वर्ष 1989-90
1	2	3	4
1. संख्या	3	3	3
2. सदस्यता संख्या	17448	17448	17448
3. वर्ष में लेन-देन की गयी वस्तुओं का मूल्य (000 रु०)	32408	27921	19126

'घ' 15. सामाजिक कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण के लिए जनपद में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विधवाओं का भरण पोषण, विकलांगों व नेत्रहीनों के लिए प्रशिक्षण एवं छात्रवृति योजना, पुष्टाहार योजना, महिलाओं में अनैतिक व्यापार निरोध एवं नैतिक तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल सदनों की स्थापना, सामाजिक एवं नैतिक तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल अपराध की रोकथाम आदि सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। बाल अपराधियों की रोकथाम एवं अपराधी बच्चों को सुसंस्कृत बनाने हेतु एक राजकीय प्रवेक्षक ग्रह भी है जिसमें 12 से 16 वर्ष के बच्चों के सुधार हेतु निःशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र एवं क्रीड़ा की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

अनौपचारिक शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से वर्ष 88-89 में अनौपचारिक शिक्षा का पुनर्गठन हुआ। विभाग द्वारा विकास खण्ड बरखेड़ा, बीसलपुर, ललौरी खेड़ा, बिलसण्डा, की चार योजनाओं में 400 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर 10046 बालक एवं बालिकाएँ प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर रही है जिनमें 1706 बच्चे बालक/बालिकाएँ अनुसूचित जाति की है। पांचवीं कक्षा में 4748 बालक बालिकायें सफल की गई। जिनमें 1002 बालक एवं बालिकाएँ अनुसूचित जाति की हैं। विभाग ने वर्ष 1989-90 में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये 400 केन्द्र चलाये गये तथा वर्तमान समय में भी चलाये जा रहे हैं इनमें से 273 केन्द्र बालिका तथा 127 मिश्रित केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर 3542/ = रुपये प्रति केन्द्र की दर पाँच सौ चौरासी हजार रुपये की धनराशि वर्ष 89-90 में व्यय की गई।

प्रौढ़ शिक्षा :

जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 20.44 प्रतिशत थी और जनपद में 0,02,203 लाख निरक्षर थे। इसलिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिये जनपद को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया

गया। प्रारम्भ में जनपद के दो विकास खण्डों पूरनपुर व मरौरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 150 पुरुष एवं 150 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 15-35 वर्ष वर्ग के सभी निरक्षर व्यक्तियों को जो अपनी गरीबी व अन्य किन्हीं कारणों से स्कूल शिक्षा से वंचित रह गये थे। उन्हें साक्षर बनाने का प्रयास किया। वर्ष 88-89 में अमरिया विकास खण्ड में भी यह योजना प्रारम्भ कर जनपद का नेशनल लिट्रेसी मिशन कार्यक्रम में जोड़ दिया।

प्रौढ़ शिक्षा :

जनपद में 88—89 तक 1800 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जा चुके हैं जिनमें 954 पुरुष तथा 846 महिला केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर 54757 प्रतिभागियों को साक्षर किया गया जिनमें 28620 पुरुष तथा 26137 महिलायें हैं लाभार्थियों में 19359 अनु० जाति 28092 पिछड़ी जाति तथा 4938 अल्प संख्यक प्रतिभागी थे।

वर्ष 1988—89 में जनपद के तीन विकास खण्डों में 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से (100 पूरनपुर, 101 मरौरी, 99 अमरिया) पर 9000 निरक्षर महिलायें, पंजीकृत की गई जिनमें 2840 अनुसूचित जाति 3922 पिछड़ी जाति तथा 1345 अल्प संख्यक महिलाओं को साक्षर बनाया गया केन्द्रों पर 6—14 वर्ग के 25 निरक्षर बालक/बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। नेहरू युवक केन्द्र द्वारा भी 60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र ललौरी खेड़ा व बिलसण्डा विकास खण्ड में तथा 5 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र महाविद्यालय द्वारा चलाये गये।

प्राविधिक शिक्षा :

जनपद में बालकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यशील है बालिकाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण व बालकों के उच्च तकनीकी ज्ञान के लिये जिलाधिकारी के अथक प्रयासों से एक महिला आई० टी० आई० तथा एक राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना की गई है।

खेलकूद :

जनपद के प्रतिभावान बालक बालिकाओं ने खेल जगत में पिछले कई वर्षों से प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन किया है गत वर्ष केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर में जनपद के 8 बालक/बालिकाओं ने ए तथा बी श्रेणी प्राप्त की तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा

खोज में 15 बालक बालिकाओं का प्रदेशीय एवं 4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर में हुआ।

इसके अतिरिक्त हाकी खिलाड़ी कु० इंदु शर्मा जिमनास्ट नंद किशोर का स्पोर्ट कालेज लखनऊ/गोरखपुर के लिये चयन किया गया तथा कु० राखी मिश्रा ने के० डी० सिंह बाबू जूनियर उ० प्र० महिला हाकी कैम्प में भाग लिया। कु० रजनी राठौर ने 12 वर्ष की खेल प्रतिभा खोज टीम में हाकी में उ० प्र० की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया।

खेलकूद :

स्थानीय स्टेडियम मे खेलकूद विभाग ने उदीयमान एवं महत्वाकांक्षी बालक बालिकाओं को एथलेटिक, हाकी, फुटबाल, जिम्नास्टिक टेबिल टेनिस, भारोत्तलल, क्रिकेट आदि में अनुभवी कोषों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। खेलकूद विभाग द्वारा खेलकूद विकास के लिए एक बहुउद्देशीय हाल तथा एक तरण ताल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। खेलकूद विभाग को वर्ष 89-90 में 664.4 हजार रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया। जिसमें से 3.2 हजार रुपये दो केन्द्रों के संचालन, 30 हजार स्थाई उपकरण तथा 20 हजार रुपये जिला स्तरीय प्रतियोगिता में तथा 5 लाख रुपये स्टेडियम में दर्शकों के बैठने हेतु सीढ़ियों का निर्माण, स्टेडियम प्रांगण में रेलिंग बर्क एप्रोच रोड का निर्माण तथा लाईट आदि की व्यवस्था हेतु आवंटित किये गये।

पेयजल व्यवस्था :

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शुद्ध प्रदूषण रहित पेयजल उपलब्ध कराने में जल निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग का सातवीं पंचवर्षीय योजना में जनपद के समस्त ग्रामों में स्वच्छ प्रदूषण रहित जल उपलब्ध कराने है इसमें 400 बस्तियों में 400 हैन्ड पम्प स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत लगाये गये जिन पर 40 लाख रुपया व्यय किया गया। भारत सरकार की त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के 98 ग्रामों में 175 इण्डिया मार्का 11 हैण्ड पम्प था जिला योजना के अन्तर्गत 55 ग्रामों में 17 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिस्थापित किये गये। इन कार्यों पर 25.52 लाख

रुपये व्यय हुए । जिससे 45228 जनसंख्या लाभान्वित हुई । जिसमें 7019 हरिजन लाभान्वित हुये । बिलसण्डा व न्यूरिया नगर में पेयजल योजना कार्य 46.00 लाख रुपये की लागत से पूरा कराया गया । जनपद की प्रथम लाईन ग्रामीण पेयजल योजना इसी विधा में 26.92 लाख की लागत से पूर्ण करायी गयी जिससे 9 ग्रामों की 9527 आबादी लाभान्वित हुई ।

जनपद में समाज कल्याण की प्रगति

क्र० सं०	मद	31 मार्च की स्थिति 1988	1989	1990
1.	प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की संख्या	300	300	300
2.	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	625	400	400
3.	बालवाड़ी/आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	174	158	158
4.	युवक संगठनों की संख्या	733	734	734
5.	महिला मण्डल की संख्या	10	10	10

'घ' 16. वित्तीय संस्थान

विकासशील देशों में सर्वोपरि समस्या वित्तीय संसाधन जुटाने की होती है। यह समस्या तब और विकराल रूप धारण कर लेती है जब धन आन्तरिक बचत द्वारा बचाया नहीं जाता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात कम ब्याज पर सुविधानुसार आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पीलीभीत में खादी एवं ग्रामोद्योग स्थानीय नियोजन कार्य के अंतर्गत उद्यमियों को ऋण सुलभ कराने की व्यवस्था है। राज्य पुरोविधानित योजन के अंतर्गत समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्ग को भी रियायती ब्याज की दर पर बैंका द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम तथा उन्नतशील कृषकों से बीज के उपलब्ध कराने हेतु ऋण की व्यवस्था है रासायनिक उर्वरक एवं पौधों की सुरक्षा के लियें कीट नाशक दवाइयों को सुलभ कराने हेतु ऋण की व्यवस्था है।

जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम तथा शाखाओं की संख्या निम्नवत हैं—

1. बैंक आफ बड़ौदा	= 16
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	= 11
3. केनरा बैंक	= 2
4 पंजाब नेशनल बैंक	= 3
5. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	= 1
6. इलाहाबाद बैंक	= 5
7. भारतीय स्टेट बैंक	= 12
8. अन्य बैंक	
बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	= 16
जिला सहकारी बैंक	= 8
बरेली कारपोरेशन बैंक	= 3
नैनीताल बैंक	= 1
सेठ काशीनाथ बैंक	= 2
भूमि विकास बैंक	= 4

जनपद में विकास खण्डवार अनुसूचित व्यवसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या

वर्ष/विकास खण्ड	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंकों की शाखायें
1	2	3	4
1987-88	49	15	6
1988–89	50	16	6
1989–90	51	16	8
विकास खण्डवार 1989–90			
1. अमरिया	5	2	1
2. ललौरी खेड़ा	4	—	—
3. मरौरी	4	—	—
4. पूरनपुर	7	2	—
5. बिलसण्डा	3	1	—
6. बीसलपुर	1	4	—
7. बरखेड़ा	3	4	—
योग ग्रामीण	27	13	1
योग नगरीय	25	3	6
योग जनपद	52	16	7

जनपद में व्यावसायिक बैंकों में जमा धनराशि (धनराशि हजार रुपयों में)

क्र० सं०	मद	वर्ष 1987	1988	1989
1.	जमा धनराशि	600646	776992	871126
2.	कुल ऋण वितरण	463003	464364	556607
3.	जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत	77	60	62

स्वरोजगार हेतु वित्तीय संस्थान उपलब्ध कराने में बैंकिंग सेवा सुविधा का खण्डवार विवरण

1 विकासखण्ड मरौरी :

1. बैंक आफ बड़ौदा, विठौरा कला ।
2. बैंक आफ बड़ौदा, न्योरिया ।
3. बैंक आफ बड़ौदा, गजरौला कला ।
4. बैंक आफ बड़ौदा ।
5. भारतीय स्टेट बैंक, न्योरिया ।
6. भारतीय स्टेट बैंक, पीलीभीत ।
7. भारतीय स्टेट बैंक, एल० एच० शुगर फैक्ट्री, पीलीभीत ।
8. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पीलीभीत ।
9. इलाहाबाद बैंक, पीलीभीत ।
10. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पीलीभीत ।
11. बरेली कारपोरेशन बैंक, पीलीभीत ।
12. नैनीताल बैंक लि०, पीलीभीत ।
13. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पीलीभीत ।
14. काशीनाथ सेठ बैंक लि०, पीलीभीत ।
15. जि० सहकारी बैंक लि०, पीलीभीत ।
16. जिला सहकारी बैंक लि०, गजरौला कला ।

17. उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक, पीलीभीत ।

18. भारतीय स्टेट बैंक, पिपरिया अगरु ।

2. **ललौरी खेड़ा प्रखण्ड :**

1. बैंक आफ बड़ौदा, पीलीभीत ।
2. बैंक आफ बड़ौदा, खमरिया ।
3. भारतीय स्टेट बैंक, (कृषि शाखा) पीलीभीत ।
4. भारतीय स्टेट बैंक, जहानाबाद ।
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, ऐमी ।
6. इलाहाबाद बैंक, ललौरी खेड़ा ।
7. इलाहाबाद बैंक, पकड़िया नौगवां ।
8. पंजाब नेशनल बैंक, पीलीभीत ।
9. कैनारा बैंक, पीलीभीत ।
10. जिला सहकारी बैंक, पीलीभीत ।

3. **अमरिया प्रखण्ड :**

1. बैंक आफ बड़ौदा, अमरिया ।
2. बैंक आफ बड़ौदा, मझोला ।
3. बैंक आफ बड़ौदा, डांग ।
4. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बढ़ेपुर ।
5. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मझोला ।
6. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, मझोला ।
7. इलाहाबाद बैंक, बारात भोज ।
8. केनरा बैंक, भिकारीपुर ।
9. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फरदिया ।
10. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुडलिया गैसू ।
11. जिला सहकारी बैंक लि०, अमरिया ।
12. भूमि विकास बैंक, अमरिया ।

4. **बरखेड़ा प्रखण्ड :**

1. बैंक आफ बड़ौदा, बरखेड़ा ।

2. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, जोगीठर ।

3. इलाहाबाद बैंक, पौटां कला ।

4. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दौलतपुर पट्टी ।

5. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ज्योरह कल्यानपुर

6. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुहास ।

7. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अमखेड़ा ।

8. जिला सहकारी बैंक, लि० बरखेड़ा कलां ।

9. बैंक आफ बड़ौदा, अहरबाड़ा ।

5. प्रखंड बीसलपुर :

1. बैंक आफ बड़ौदा, बीसलपुर ।

2. बैंक आफ बड़ौदा, अमृताखास ।

3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बीसलपुर ।

4. बरेली कारपोरेशन बैंक, बीसलपुर ।

5. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीसलपुर ।

6. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुर्रा सकटपुर ।

7. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रढ़ैता ।

8. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जमौली भिमानी ।

9. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खनंका उपसिया ।

10. काशीनाथ सेठ बैंक, लि० बीसलपुर ।

11. जिला सहकारी बैंक लि०, बीसलपुर

12. भूमि विकास बैंक, बीसलपुर ।

6. प्रखंड बिलसण्डा :

1. बैंक आफ बड़ौदा, बिलसण्डा ।

2. बैंक आफ बड़ौदा, नांद ।

3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बिलसण्डा ।

4. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, ईटगाँव ।

5. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, बमरौली ।

6. बरेली-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दियोरिया कलां ।

7. जिला सहकारी बैंक लि०, बिलसण्डा ।

7. प्रखण्ड पूरनपुर :

1. बैंक आफ बड़ौदा, पूरनपुर ।
2. बैंक आफ बड़ौदा, कबीरगंज ।
3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पूरनपुर ।
4. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, माधोटांडा ।
5. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, पूरनपुर ।
6. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, घुंघचियाई ।
7. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, कलीनगर ।
8. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, उदयकरनपुर ।
9. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, शाहगढ़ ।
10. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, जर्रा ।
11. पंजाब नेशनल बैंक, पूरनपुर ।
12. पंजाब नेशनल बैंक, शेरपुर कलां ।
13. बरेली कारपोरेशन बैंक, पूरनपुर ।
14. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूरनपुर ।
15. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिपरिया दुलई
16. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जमुनियाँ ।
17. जिला सहकारी बैंक लि०, पूरनपुर ।
18. जिला सहकारी बैंक, शाहगढ़ ।
19. भूमि विकास बैंक, पूरनपुर ।
20. जिला सहकारी बैंक, माधोटांडा ।

प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण

क्र० सं० मद	वर्ष 1987	वर्ष 1988	वर्ष 1989
1—कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य	255479	266176	320116
2—लघु उद्योग	55038	56395	72529
3 अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	50745	57399	69171
4—कुल ऋण वितरण में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का प्रतिशत	76	82	86
5—प्रति व्यक्ति जमा धनराशि (रु०)	596	771	864
6—प्रति व्यक्ति ऋण वितरण	459	461	532
7—प्रतिव्यक्ति प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण	348	377	458

सहकारिता—जनपद में 54 प्राथमिक सहकारी ऋण समितियाँ, नगरीय क्षेत्र में उपभोक्ता भन्डार तथा ग्रामीण क्षेत्र में 90 सस्ते गल्ले की दुकानें, तीन क्रय-विक्रय समितियाँ, 9 सहकारी बैंक शाखायें, 4 भूमि विकास बैंक शाखायें तथा 2 शीतगृह सहकारिता विभाग द्वारा संचालित हैं जनपद में कुल 1.13 लाख कृषक परिवारों में से 0.91 लाख कृषक परिवार सहकारिता के सदस्य हैं।

सहकारिता विभाग में कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से 643.72 लाख रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण कृषक सदस्यों को हरित क्रान्ति में योगदान दिये जाने हेतु तथा आई० आर० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत बैल, दुधारु पशु, टायर, गाड़ी खरीदने तथा गोबरगैस संयन्त्र स्थापित करने हेतु 16.81 लाख रुपये का मध्यकालीन ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया भूमि विकास बैंक द्वारा सिचाई एवं यन्त्रों हेतु 109.67 लाख रुपये दीर्घ कालीन ऋण योजना में स्वीकृत किये गये।

विभाग की 14 सहकारी समितियाँ उर्वरक वितरण के अतिरिक्त कीटनाशक दवाओं

के वितरण में भी संलग्न हैं। समितियों के माध्यम से दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, कपड़ा, तेल, टायर, गल्ले का वितरण किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद की ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में विभाग की 120 दुकाने संचालित हैं जिनसे 467.86 लाख मूल्य की चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न आयातित तेल आदि का व्यवसाय किया गया। सहकारी संस्थाओं में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये जिला सेक्टर योजना में 93 हजार रुपये का ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किया गया।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा ग्रामीण जनता को सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में 19 न्याय पंचायत सघन सहकारी समितियों का गठन किया गया। 25 सहकारी समितियों में गोदाम बनवाये गये, नये 27 उर्वरक बिक्री केन्द्र खोले गये तथा 95 केन्द्रों द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय किया गया।

(प्रारम्भिक ऋण)

जनपद में विकास खण्डवार सहकारी समितियाँ

वर्ष	संख्या	सदस्यों की संख्या	अंशपूँजी (000 रु०)	कार्यशील पूँजी (000 रु०)	जमा धनराशि (000 रु०)
1	2	3	4	5	6
1987-88	54	100430	14159	102458	5779
1988-89	54	102617	15317	103270	4972
1989-90	71	102660	15371	99522	5026
विकास खण्डवार 1989-90					
1—अमरिया	9	15470	2503	18252	915
2—ललौरी खेड़ा	8	8717	1132	6820	295
3—मरौरी	9	13125	1895	11530	374
4—पूरनपुर	18	28847	5755	35885	1352
5—बिलसण्डा	9	13729	1642	11345	695
6—बीसलपुर	10	11940	1141	7105	940
7—बरखेड़ा	8	10832	1303	8585	455
योग—	71	102660	15371	99522	5026

(घ) 16—सहकारिता :

वर्ष	वर्ष में वितरित ऋण (000 रु०) अल्पकालीन	दीर्घकालीन	समितियों के अन्तर्गत ग्राम	वर्ष में भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित दीर्घकालीन ऋण (000 रु०)	सहकारी बैंक की शाखायें
1987-88	34526	1642	1181	17082	9
1988-89	53569	1676	1181	10376	9
1989-90	80158	536	1181	15109	10

खण्डवार—1989-90

1. अमरिया	9352	25	182	1881	1
2.ललौरी खेड़ा	6102	215	93	1610	—
3. मरौरी	9002	—	137	1886	1
4. पूरनपुर	33768	71	343	4786	1
5. बिलसण्डा	12694	211	165	905	—
6. बीसलपुर	5383	14	130	2536	—
7. बरखेड़ा	3857	—	131	1505	—
योग जनपद	80158	536	1181	15109	10

जनपद में अन्य सहकारी समितियाँ

मद	वर्ष 1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4
1—क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ :			
1. 1 संख्या	3	3	3
1. 2 सदस्य संख्या	17448	17448	17448

1	2	3	4
1. 3 वर्ष में लेन-देन की गयी वस्तुओं का मूल्य (000 रु०)	32408	27921	19126
2—संयुक्त कृषि समितियाँ			
2. 1 संख्या	39	39	39
2. 2 सदस्यता (संख्या)	841	841	841
2. 3 समितियों के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टे०)	2121	2121	2121
(घ) 16—अन्य सहकारी समितियाँ :			
3—मत्स्य सहकारी समितियाँ :			
3. 1 संख्या	1	1	1
3. 2 सदस्यता संख्या	99	99	99
3. 3 कार्यशील पूँजी (000 रु०)	91	91	128
3. 4 वर्ष में बिक्री किये गये मत्स्य का मूल्य (000 रु०)	—	—	676
4—औद्योगिक सहकारी समितियाँ :			
4. 1 संख्या	54	54	54
4. 2 सदस्य संख्या	1788	595	595
4. 3 कार्यशील पूँजी (000 रु०)	2892	290	2892
4. 4—वस्त्र उत्पादन वर्ष में			
मात्रा (000 मीटर)	6004	91	3382
मूल्य (000 रु०)	28519	437	20607
5—प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ :			
5. 1 संख्या	32	27	30
5. 2 सदस्यता संख्या	655	434	479
5. 3 कार्यशील पूँजी (000 रु०)	525	434	479
5. 4 वर्ष में विपणित उत्पादों का मूल्य (000 रु०)	373	540	583

1	2	3	4
6—गन्ना सहकारी समितियाँ :			
6. 1 संख्या	4	4	4
6. 2 सदस्यता	93205	91877	92330
6. 3 क्रियाशील पूंजी (रु०)	13006	19328	18040
6. 4 वर्ष में वितरण वस्तु के रूप में (000 रु०)	18891	16274	22835

(घ) 16 —जनपद में सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक

1—जिला सहकारी बैंक :			
1. 1 शाखायें	9	9	10
1. 2 सदस्यता	223	223	250
1. 3 हिस्सा पूँजी (000) रु०	9762	12049	12470
1. 4 क्रियाशील पूँजी (000 रु०)	129633	163647	212784
1. 5 वितरित ऋण (000 रु०)			
1. 5. 1 अल्पकालीन	54224	65741	88914
1. 5. 2 मध्यकालीन	32915	62020	29513
2—भूमि विकास बैंक :			
2. 1 शाखायें	4	4	4
2. 2 सदस्यता	18313	18338	19477
2. 3 हिस्सा पूँजी (000 रु०)	5149	5374	5768
2. 4 क्रियाशील पूँजी (000 रु०)	75745	103171	110496
2. 5 वितरित ऋण (000 रु०) देय ऋण	69652	71886	79211

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं बैंक :

सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े उद्योगों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक तथा उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भूमि भवन एवं मशीनों को क्रय करने हेतु ऋण देता है तथा बैंक मशीनरी तथा कार्यशील पूँजी हेतु ऋण उपलब्ध कराते हैं।

'घ' 17. रोजगार कार्यालय के आंकड़े

जनपद पीलीभीत में एक रोजगार कार्यालय स्थापित है जिसके द्वारा बेरोजगार लोगों को पंजीयन किया जाता है इस विभाग द्वारा समय-समय पर विकास खण्डवार व तहसील स्तर पर बेरोजगार पंजीयन अभियान चलाया जाता है।

जबपद में योग्यतानुसार बेरोजगार व्यक्तियों का विवरण निम्नवत है—

दिसम्बर 1989 की स्थिति

शैक्षिक स्तर	कुल सक्रिय पंजिका	महिला	अनु० जाति	अनु० जन जाति
1	2	3	4	5
1. हाईस्कूल	2734	142	553	27
2. इण्टर	3648	227	538	7
3. बी० ए०	787	139	109	2
4. बी० एस० सी०	153	3	7	—
5. बी० काम०	266	1	11	—
6. बी० एस० सी० (कृषि)	112	—	19	—
7. बी० एड०	62	58	9	—
8. एम० ए०	194	76	27	—
9. एम० एस० सी०	8	4	—	—
10. एम० काम०	68	—	—	—
दिसम्बर 90				
1. हाईस्कूल	2391	122	521	17
2. इण्टर	3636	295	478	3

1	2	3	4	5
3. बी० ए०	956	173	82	2
4. बी० एस० सी०	136	10	4	—
5. बी० काम०	229	2	10	—
6. बी० एस० सी० (ए० जी०)	79	—	20	—
7. बी० एड०	139	71	—	—
8. एम० ए०	201	115	20	—
9. एम० एस० सी	11	—	—	—
10. एम० काम०	69	—	—	—

लिंग के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

1 अप्रैल 1988 से 31 मार्च 1989 की स्थिति

विवरण	योग	पुरुष	महिला	अनु० जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अपंग
1	2	3	4	5	6	7	8
पंजीयन	4474	4162	312	780	16	1351	20
रिक्तियों का अधिसूचन	485	479	6	2	—	—	—
सम्प्रेषण	2881	2774	107	843	4	802	36
नियुक्ति	335	322	13	87	—	96	1
जीवित पंजिका	13795	12974	821	2678	106	3848	92

01 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजीयन	4646	4175	471	950	8	1176	16
रिक्तियों का अधिसूचन	481	473	8	22	—	1	—
सम्प्रेषण	2660	2575	85	802	69	661	25
नियुक्तियाँ	416	411	5	70	2	85	1
जीवित पंजिका	15118	14016	1102	3103	79	4282	94

अल्प संख्यक 1988

जाति	पंजीयन	सम्प्रेषण	नियुक्ति
मुस्लिम	326	285	5
सिख	40	9	—
ईसाई	—	—	—

1989

मुस्लिम	490	191	17
सिख	3	6	7
ईसाई	9	—	—

शिक्षा संस्थाओं की संख्या मात्रा में होने के कारण बी० टी० सी० व बी० एड० प्रशिक्षित बेरोजगार है। प्राविधिक उद्योग संस्थान ऐसे स्थापित नहीं हैं जिसमें प्रशिक्षित अभ्यर्थी खपाये जा सकें।

अन्य विशिष्ट जनपदीय क्रिया-कलाप

आवास योजना :

आवास योजनान्तर्गत निम्नलिखित क्रिया-कलाप चल रहे हैं :—

1—निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना :

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन अनुसूचित जनजाति के निर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को जिनके पास अपने मकान नहीं हैं, को आवास उपलब्ध कराने हेतु यह योजना चल रही है। वर्ष 88-89 में जनपद के 136 गाँवों में कुल 1590 आवासों का निर्माण कराया गया। जिसमें विकास खण्ड पूरनपुर के 24, ग्रामों में 300, ललौरी खेड़ा के 16 ग्रामों में 180, मरौरी और बरखेड़ा के 18 ग्रामों में 222, बीसलपुर के 22 ग्रामों में 222, बिलसण्डा के इक्कीस ग्रामों में 222 आवासों का निर्माण कराया गया। जिसमें कुल 95.40 लाख रुपये के वित्तीय संसाधन लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया। इन कार्यों के सम्पादन में 176490, मानव दिवस सृजित हुए।

वर्ष 88-89 के बाद इस योजना को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया जिसके अन्तर्गत 1500 आवास बनवाने की योजना रही। गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये निर्मित कराये गये।

ग्रामीण आवास ऋण योजना

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अल्प आय तथा मध्यम आर्य वर्ग के व्यक्तियों को परिषद द्वारा आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिनकी वार्षिक आय 8401/- से 12500/- रु० के मध्य हो, उन्हें निर्माण लागत का 70 प्रतिशत अथवा 18000/- रु० जो भी कम हो ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण की वसूली, 11 प्रतिशत ब्याज पर बीस वर्षों में किये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा 1.72 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उद्यान कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में फलदार वृक्षों, बागों, निजी पौधशालाओं, सब्जियों एवं फलों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन से सम्बन्धित कार्य किया गया तथा किया जा रहा है।

बाग लगाने के इच्छुक कृषकों को निःशुल्क तकनीकी, जानकारी देने के साथ-साथ 716 हेक्टेयर में नवीन बाग लगाये गये 35 हेक्टेयर में उद्यान विकसित कर 12000 पौधों का वितरण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में 2 लाख पौधे वितरित किये गये। 500 मटर के मिनी किटों का वितरत किया गया शाक सब्जियों से 4000 सौ मिनी किटों की सहकारिता द्वारा आपूर्ति की गयी।

शाक भाजी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 10120 हेक्टर में शाक सब्जी बोई गई। जिसके अन्तर्गत 97500 टन शाक भाजी का उत्पादन हुआ।

वर्ष 1989-90 में साठ हजार फलदार पौधे, 40 हजार शोभादार पौधे, एक हजार कुंटल आलू बीज तथा बीस कुन्टल शाक भाजी बीज का उत्पादन किया गया। 150 हेक्टेयर क्षेत्र में नये उद्यान, 90 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू तथा 60 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाले के पौधे लगाये गये।

दैविक आपदा :

इस जनपद में अग्निकांड एवं बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अहेतुक सहायता, ग्रह अनुदान, अनुग्रह अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 88-99 में बाढ़ तथा अग्निकांड से प्रभावित लोगों को 4,11005/- रुपये की अहेतुक सहायता, 475000/- ग्रह अनुदान 139450/- रु० अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त जनपद के नागरिकों स्वैच्छिक संस्थाओं आदि ने भी प्रभावित परिवारों को आव- श्यक वस्तुयें कपड़े व राशन उपलब्ध कराने में योगदान किया।

जनपद के खनिज कार्यक्रम—यद्यपि यहाँ कोई धातु उत्पन्न नहीं होती फिर भी यहाँ मिट्टी, लकड़ी तथा लोहे, पीतल और फूल, कांसा, व्यवसाय निजी उद्योगों के रूप में जातीय परम्परा के अनुसार किया जाता है।

मिट्टी के बर्तन :

पीलीभीत में कुम्हार जाति के हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही कुम्हारी का कार्य करते हैं। और यह लोग इस कार्य में विशेष दक्ष हैं। न्योरिया हुसेनपुर, ज्योराह कल्यानपुर की मिट्टी की हाँडियाँ, बड़े-बड़े नांद बहुत प्रसिद्ध हैं और दूर-दूर तक इनकी मांग है।

लकड़ी पर आधारित—कार्यों में यहां पर लकड़ी के पाये और खड़ाऊ कांफी प्रसिद्ध हैं। बैलगाड़ी के पहिये विशेष उत्कृष्टा रखतें हैं।

लोहा और पीतल पर आधारित कार्य—यहां फूल की थालियाँ, कांसे पीतल के बर्तन लोहे के दैनिक, उपयोग एवं कृषि उपयोग के लोहे के औजार एवं यन्त्र बनाये जाते हैं।

मेले तथा उर्स :

बीसलपुर का रामलीला की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई है। बीसलपुर की मिठाई भी अपने किस्म की अनूठी है। यहाँ तक की अन्य नगरों में भी बीसलपुर के लोग बीसलपुर की मिठाई नाम से अपनी दूकान लगाते हैं।

पीलीभीत में जंगलों के बीच सिद्ध बाबा का मेला, सेला बाबा का उर्से और पीलीभीत में शाह जी मिया व अल्लाहू का उर्स की हिन्दू व मुसलमानों में समान रूप से श्रद्धा है।

पर्यटक स्थल :

माला के जंगल में यद्यपि अभी तक कोई स्थापित पर्यटक स्थल नहीं है फिर भी कुछ जंगली स्थान इतना रमणीक है कि उसका उपयोग पर्यटक स्थल के रूप में किया जाता हैं। जंगली जानवरों के स्वभाविक क्रिया-कलापों के सजीव चित्रण हेतु विदेशी दल भी इन जंगलों में महीनों डेरा डाले रहते हैं इसी जंगलों के बीच बाइफर केशन जहाँ मुख्य नहर कई शाखाओं में बट जाती है, वह स्थान भी पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता हैं। दियूनी डाम, अपसरिया डाम भी पर्यटक स्थल के रूप में जमानत को आकृषित करते हैं।

जंगली फल सब्जी :

यहाँ का जंगली फल, फालसा, एक विशेष पेड़ की जड़ जिसे कन्द मूल फल कहते हैं खाने में अति स्वादिष्ट ठंडक देने वाले हैं। करुरआ भी जंगली पेड़ों की जड़ से निकलता जो उच्चकोटि की व कीमती सब्जियों की कतार में आता है।

ग्रामीण आबादी पर्यावरण सुधार योजना :

इस योजना में ग्रामों में पर्यावरण सुधार सम्बन्धी योजनायें जैसे खाडन्जा निर्माण, नाली निर्माण, सामदायिक वायोगैस जैसे संयन्त्र, पुलिया निर्माण तथा पेय जल व्यवस्था। इस परियोजना पर लागत का 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जनपद के विकास खण्ड वरखेड़ा ग्राम स्वास, रामनगर भगतपुर विकासखण्ड मरौरी के ग्राम सिरसा, सरदहा, बिठौरा खुर्द हरकिशनापुर, मोहनपुर, अजीतपुर, पटपरा, और बिलगवां ग्रामों को चयनित किया गया है।

ग्रामीण आवास कालोनी योजना :

इस योजनान्तर्गत नगर के सभी ग्रामों मे ग्रामसमाज की भूमि अथवा अन्य भूमि क्रय करके आवासीय कालोनी निर्मित कराने हेतु जनपद की चयन किया जा रहा है।

अस्थल आवंटन :

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लोगों को 88—89 में 511 आवास स्थल आवंटित किये गये।

इन्दिरा आवास योजना :

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को 6000/- रु० की लागत के मकान बनवा कर दिये गये। 177 आवास बनवाये गये।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम :

शासन की, समाज के निर्बल, अनुसूचित जाति के परिवारों को खुले व स्वच्छ वातावरण में बसाने के लिये सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनवाने की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना 2561 आवास पूर्ण कराये गये।

युवा कल्याण :

ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक, नवयुतियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने, विकास कार्यों के क्रियान्वयन में युवाओं को सक्रिय भागीदारी कराने हेतु उनकी सेवाओं का योगदान लिया गया। समय-समय पर गोष्ठियाँ, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिता और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये नौजवानों की प्रतिक्षित किया गया।

जिला पुस्तकालय :

शिक्षा की दृष्टि पिछड़े हुए इस जनपद में शिक्षा के उनयन हेतु अन्य शैक्षिक कार्य-कलापों के साथ-साथ गत वर्ष जिला सैक्टर योजनातर्गत नव स्थापित जिला पुस्तकालय के विस्तार एवं रख-रखाव, देख-रेख एवं नयी पुस्तकों की खरीद पर 1,25000/- रुपये व्यय किये गये तथा जनपद के साथ सहायता प्राप्त उ० मा० विद्यालयों के पुस्तकालयों के विस्तार हेतु 15000/- रुपये दिये गये। और राजकीय पुस्तकालय में नियमित और प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष की निमुक्ति की गई।

खेल-कूद :

गाँधी स्पोर्ट्स स्टेडियम—जनपद के कुल प्रतिभावान बालक/बालिकाओं ने खेल जगत में गत वर्षों में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन किया है। गत वर्ष केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर में जनपद के 8 बालक/बालिकाओं ने 'ए' तथा 'बी' श्रेणी प्राप्त तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज में 15 बालक/बालिकाओं का प्रदेशीय एवं 4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर में हुआ।

गाँधी स्टेडियम में खेलकूद विभाग ने उद्दीयमान एवं महत्वाकांक्षी बालक/बालिकाओं को एथलेटिक्स, हाकी, फुटबाल, जिम्नाष्टिक, टेबिल टेनिस, भारोत्तोलन, क्रिकेट आदि में अनुभवी कोचों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है तथा इसके लिये आवश्यक उपकरण भी मंगवाये गये हैं।

खेलकूद विभाग द्वारा खेलकूद के विकास हेतु शीघ्र एक बहुउद्देशीय हाल तथा एक तरणताल का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव था, जिसमें से बहुद्देशीय हाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और तरणताल निर्माण की प्रक्रिया में है। खेलकूद विभाग को वर्ष 1989-90 में 664.4 हजार रुपयों का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से 3·2 हजार रुपये दो केन्द्रों का संचालन, 30,000/- रुपये स्थाई उपकरण तथा 20 हजार रुपये जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं तथा 6 लाख रुपये से स्टेडियम में दर्शक दीर्घा, रेलिंग वर्क, एप्रोचरोड के निर्माण तथा लाइट आदि की व्यवस्था की जायगी।

'ङ' 19. आँकड़ों का विश्लेषण

1—प्रखण्ड स्तर पर उद्योगों का विवरण :

आंकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त प्रखण्ड स्तर पर उद्योगों की जो जानकारी मिली उसके अनुसार पीलीभीत, पीलीभीत जनपद में विकासखंडों की संख्या 7 है और दीर्घ एवं मध्यम उद्योगों की संख्या भी सात ही है। मरौरी विकासक्षेत्र में चीनी मिल का दीर्घ उद्योग है। जिसमें 1370 कर्मचारी कार्यरत हैं। मध्यम उद्योग की परिधि में, अनिल मोदी साल्वेन्ट एक्टेन्शन आता है जिसमें धान की भूसी से तेल उत्पादन किया जाता है। इसमें कर्मचारियों की संख्या 56।

बीसलपुर विकास क्षेत्र—पूरनपुर, विकासक्षेत्र और अमरिया विकास क्षेत्र में एक-एक मध्यम उद्योग के स्तर पर सहकारी चीनी मिल, स्थापित है जिनमें क्रमशः 705, 655, 932 कर्मचारियों की संख्या है। अमरिया विकासक्षेत्र में मझोला चीनी मिल के साथ-साथ एक डिस्टलरी एन्ड केमिकल्स हैं इसमें 872 कर्मचारी कार्यरत है। ललौरीखेड़ा विकासक्षेत्र में नेतराम फ्लोर मिल मैदा तैयार की जाती है, उद्योग स्थापित है जिसमें 28 कर्मचारी कार्यरत हैं।

सर्वेक्षण के आधार पर लघु उद्योगों व दस्तकारी उद्योगों का विवरण जो प्राप्त हुआ हैं उसके अनुसार जनपद पीलीभीत में लघुउद्योगों की संख्या 354 है जिसमें कुल 1770 कर्मचारियों का योगदान है। जिनमें प्रखण्डवार इकाइयों व कर्मचारियों की संख्या क्रमशः पूरनपुर में इकाई 61 कर्मचारी 305 बीसलपुर इकाई 61 कर्मचारी 305, बरखेड़ा इकाई 20 कर्मचारी 100 बिलसण्डा इकाई 21 कर्मचारी 105, ललौरीखेड़ा इकाई 20, कर्मचारी 100, अमरिया इकाई 27 कर्मचारी 135, मरौरी इकाई 22 कर्मचारी 110, पीलीभीत नगर इकाई 122 कर्मचारी 610 कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त दस्तकारी पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 210 है और इसमें लगे हुए व्यक्तियों की संख्या भी 210 है।

वर्ष 88-89 में खादी ग्रामोद्योग द्वारा 180 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कराई

गई । जनपद पीलीभीत के हस्तकरघा की इकाई मुख्यत: बीसलपुर, मीरपुर बाहनपुर, महादेव मूसेपुर, रिछौला एवं गौंच में स्थापित हैं । इसके अतिरिक्त जनपद में प्रत्येक विकास-खण्ड में राइस मिल, खण्डसारी व गुड़ उद्योग की इकाइयाँ भी काफी संख्या में हैं रेशम की एक इकाई पीलीभीत में स्थापित है इसमें 100 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ हैं। बीसलपुर, पीलीभीत, पूरनपुर तहसील स्तर पर शीत भन्डार की इकाइयाँ स्थापित हैं । गन्ना और धान कृषि उत्पाद के लिये पीलीभीत व पूरनपुर तहसील अपना विशिष्ट स्थान रखती है । डेरी उद्योग की भी काफी अच्छी सम्भावनायें हैं । फल तथा वृक्षों की नर्सरी के भी सफल व्यवसाय स्थापित किये जा सकते हैं । बांसुरी का उद्योग यहाँ का प्रसंशनीय उद्योग है जिसमें लगभग 220 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है ।

अत: उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेडस का समावेश करने में आधार मान कर चलना होगा ।

2—**उद्योग-धन्धों के आधार पर माँग**—सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि उद्योग-धन्धों में कितने व्यक्तियों की खपत है और भविष्य में कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी जिसकी पूर्ति व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं की भर्ती करके की जा सकती हैं । पीलीभीत जनपद में 4 चीनी मध्यम उद्योग है तथा एक साल्वेन्ट एकाटेशन, एक डिस्लरी फैक्ट्री है तथा एक मैदा बनाने वाली फैक्ट्री है जिनमें 4322 व्यक्तियों की खपत है इनमें फैक्ट्रियों का विकास होना भी सुनिश्चित है इन कारखानों में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टंक आदि के प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग बढ़ती रहेगी जिससे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित छात्र/छात्राओं को रोजगार के अवसार मिल सकेंगे । इसी प्रकार लघु उद्योगों में तथा दस्तकारी इकाइयों में 1770 व 210, बेरोजगार लोगों की खपत संभव हो सकती है । इस प्रकार उद्योग-धन्धो के आधार पर व्यक्तियों की मांग की पूर्ति समयानुसार लगातार चलती रहेगी ।

3—**प्रखण्ड स्तर पर उपयुक्त व्यक्तियों की कमी :**

सर्वेक्षण की आख्या का विश्लेषण से प्रखण्ड स्तर पर उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यता का भी अनुभव हुआ । प्रखण्ड स्तर पर जो 7 दीर्घ एवं मध्यम उद्योग, चीनी मिल तथा साल्वेन्ट, हिस्टलरी, प्लोर मिल की इकाइयां स्थापित हैं उनमें प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों की कमी बने रहने की सम्भावनायें हैं । इस कमी को दूर करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को विद्यालयों में लागू करने सें छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित कर

उपयुक्त व्यक्तियों की कमी को पूरा किया जा सकता है। परन्तु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रों/छात्राओं को प्रशिक्षित करने वाले उपयुक्त प्रशिक्षकों की भी कमी है, कुशल प्रशिक्षक के अभाव में कोई भी प्रशिक्षण सफल नहीं हो सकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कुशल प्रशिक्षकों की कमी को दूर किया जाय। इस प्रकार से जनपद के उद्योगों और विद्यालय में परस्पर तालमेल बनता चला जायगा। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित छात्रों के प्रशिक्षण की सार्थकता भी बनी रहेगी। कुशल प्रशिक्षकों के अभाव को स्थापित तकनीकी संस्थानों के डिप्लोमाधारी व अन्य कुशल मैकेनिकों को पूर्णकालिक कर्मचारियों की भांति नियुक्ति देकर, दूर किया जा सकता है।

4—स्वरोजगार के अवसर :

सर्वेक्षण आख्या में अंकित रोजगार कार्यालय के आंकड़ों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि हाईस्कूल पास 2734 व्यक्ति तथा इण्टर पास 3648 व्यक्ति दिसम्बर 1989 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत हैं और इण्टर से उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1590 थी। यदि इसी को आधार मान कर स्वरोजगार के अवसर जुटाने के लिये जनपद में संचलित लघु उद्योग एवं दस्तकारी उद्योगों में प्रशिक्षण देने से स्वरोजगार के अवसर काफी मात्रा में सुलभ हो सकते हैं। जनपद में चर्म उद्योग, काष्ठ-लोह उद्योग, फलसंरक्षण उद्योग, रेशा उत्पादन, मुख्य गुड़/खण्डसारी उद्योग, कुम्हारी, साबुन उद्योग, चटाई, मोमबत्ती उद्योग, खाद संरक्षण, परिधान रचना एवं सज्जा, बुनाई तकनीकी, रंगाई छपाई, टेक्सटाइल, बुक बाइंडिंग, अशु लिपि एवं टंकण, फोटोग्राफी, रेडियो एवं टेलीविजन, आटोमोबाइल, मुद्रण, रेशम एवं मधुमक्खी पालन, पौधशाला, पाक-शास्त्र, डेरी, बीजोत्पादन, पान बनाना, बांसुरी बनाना, फर्नीचर, स्टील तथा लकड़ी, टीन उद्योग, बेत उद्योग, सिलाई, सीमेन्ट की जाली बनाना, बर्फ उद्योग आदि कचरी, पापड़, तेल उद्योग आदि लघु उद्योगों में प्रशिक्षित होकर स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराये जा सकते हैं। पीलीभीत में सातों विकास खण्डों में तथा नगरीय क्षेत्र में लघु उद्योग एवं दस्तकारी से सम्बन्धित कच्ची सामग्री बहुतायत से उपलब्ध हो जाती है और इन उद्योगों के प्रति रुचि उत्पन्न कराई जा सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त लघुउद्योग एवं दस्तकारी को प्रखण्ड स्तर पर वर्गीकरण करके प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में समावेश कर

छात्र/छात्राओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

5—प्रखण्ड स्तर पर रोजगार की संभावनायें :

सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि प्रखण्ड स्तर पर रोजगार की काफी सम्भावनायें हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं :—

विकास खण्ड का नाम	सम्भावित रोजगार	
	संसाधन के आधार पर	मांग के आधार पर
1	2	3
1—पूरनपुर	राइस मिल, चीनी मिल, गत्ता मिल, जूट मिल, हस्थकरघा उद्योग, जनरल इंजीनियरिंग।	रेडीमेट वस्त्र, रंगाई, छपाई, लकड़ी फर्नीचर।
2—बीसलपुर	राइस मिल, कोल्ड स्टोर, आइस फैक्ट्री, हैण्डलूम, जर का काम, कृषि यन्त्र।	रेडीमेड वस्त्र, चूड़ा उद्योग, फर्नीचर, गत्ता फैक्ट्री, चमड़े का सामान, प्लास्टिक उद्योग।
3—बरखेड़ा	जनरल इंजीनियरिंग, वर्कशाप, आयल उद्योग, मसाला उद्योग, हैण्डलूम।	धान और गुड़, फ्लोर व दाल मिल।
4—बिलमण्डा	राइस मिल, शूगर मिल, प्रिन्टिंग प्रेस, गुड़ एवं खण्डसारी, कृषि यन्त्र।	अल्यूमिनियम के बर्तन, सीमेन्ट की जाली।
5—मरौरी	लकड़ी क फर्नीचर, ईंट भट्ठा उद्योग, ग्लास उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, क्रैसर, गुड़, रेशम, नर्सरी उद्योग, कुक्कुट पालन	रेडीमेड वस्त्र उद्योग, बान सीमेन्ट, जाली, बांसुरी।

1	2	3
6— ल० खेड़ा	गेहूँ पर आधारित उद्योग, कृषि औजार, रेडीमेड वस्त्र, हैण्डलूम	फ्लोर मिल ।
7—अमरिया	राइस मिल, चीनी मिल, इंजीनियरिंग वर्कशाप, कृषि यन्त्र उद्योग गत्ता मिल ।	हैण्डलूम; लकड़ी फर्नीचर, कृषि औजार, प्रिन्टिंग प्रेस, प्लास्टिक कन्टेनर कंघी उद्योग, तांगा, बुग्गी उद्योग

6—व्यावसाय जिसमें व्यक्तियों की कमी हो :

जनपद पीलीभीत में ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में ऐसे भी व्यवसाय हैं जिसमें व्यावसाय व्यक्तियों की कमी है । संसाधन के आधार पर ऐसे बहुत से व्यावसाय फलीभूत हो सकते हैं जिनकी सफलता में कोई संदेह नहीं हो सकता और जिनके उत्पादों की माँग बहुत है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है । उन व्यवसायों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की बहुतायत है और आसानी से सुलभ हो सकते हैं । पीलीभीत जनपद के चारों ओर घने जंगल हैं जिनमें साल वृक्ष के पत्ते यों ही बेकार चले जाते है और वे पत्ते सूख कर जंगल में आग लगने का खतरा पैदा करते रहते हैं । इन पत्तों से प्लेट, थालियों बड़ी मात्रा में बन सकती हैं और बाजार में अच्छे दामों पर बिक सकती हैं इस प्रकार पत्तों को प्लेट व थालियों का व्यवसाय एक लाभप्रद व्यवसायी सिद्ध हो सकता है । इस व्यवसाय में लागत भी थोड़ी ही लगती है अतः कम पूँजी वाले व्यवसाय भी इसे कर सकते है और रोजगार हीन लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं । जनपद की मांग के अनुसार और खपत के अनुसार ऐसे व्यवसायों को अपनाना उद्यमियों के लिये स्वरोजगार की सम्भावनाओं के लिये क्षेत्र काफी सीमा तक विकसित है कृषियन्त्र एवं ट्रैक्टर ट्राली, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, एवं जाब इंजीनियरिंग वर्कशाप, अल्युमिनियम बर्तन, होजरी, पोलीथिन बैगस, स्टील फर्नीचर, अलमारी व अंक, रोलिंग शटर एण्ड स्टील गेट, पेन्ट एण्ड वार्निश, सर्जीकल बैन्डेज, प्लास्टिक खिलौने, टायर रिटरेडिंग, गत्ते के डिब्बे, रेडीमेड गारमेन्ट, डीजल इंजन एवं पम्पिग सेट रिपेयरिंग, फिनायल, सिलाई धागे की रील तथा गोला, बस ट्रक की बाडी निर्माण, सीमेन्ट जाली गमले, ग्रीस, प्लास्टिक बटन, आइसकैन्डी, छाता बनाना, कपड़ा धोने का साबुन एवं नट

बोल्ट आदि व्यवसाय से सम्बन्धित उत्पादित वस्तुओं की काफी मात्रा में मांग है परन्तु उद्यमियों की कमी है ।

उद्यमियों की कमी दूर करने हेतु जनपद के किसी भी क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के अनुसार उद्योग स्थापित करने का निर्णय लेना होगा । अविकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमि प्राय: स्वयं उद्योग की स्थापना के लिए प्रेरित नहीं होते हैं वरन् उनको इस निमित्त प्रेरित करना होता है इसी उद्देश्य से इस जनपद में वर्ष 1988-99 में संभावित उद्यमियों का सर्वेक्षण के आधार पर चयन किया गया । सम्भावित उद्यमियों के चयन में व्यक्ति की क्षमता योग्यता, अनुभव व अभिरुचि को आधार बनाया गया । इस प्रकार विकासखण्डवार जो सम्भावित उद्यमि चुने गये उनका विवरण निम्न प्रकार है :--

क्रमांक	विकासखंड का नाम	संभावित उद्यमियों की संख्या
1	2	3
1--	मरौरी	56
2—	अमरिया	62
3—	ललौरी खेड़ा	66
4—	बीसल पुर	64
5 —	बरखेड़ा	75
6--	बिलसण्डा	102
7—	पूरनपुर	78
8 —	पीलीभीत नगर	68
	योग	589

इन छाँटे गये सम्भावित उद्यमियों से सम्पर्क करके, चयन उद्योगों की स्थापना के लिये उन्हें तकनीकी सुविधायें, वित्त व विद्युत की सुविधा दी गई जिसके परिणाम स्वरूप, जनपद में 70 नवीन इकाइयाँ स्थापित हुईं 202 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन किये गये ।

7 —प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षित मानव शक्ति की मांग :

किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षण आख्या में उल्लिखित औद्योगिक प्रगति के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि हमारा सम्पूर्ण ध्यान उद्योगों के त्वरित विकास पर केन्द्रित है। क्योंकि हम बेरोजगारी के विरुद्ध एक विशाल और योजनाबद्ध लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हमें इसमें सफलता भी मिली है। निश्चय ही औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा। जितना अधिक औद्योगिक विकास होगा उतनी ही अधिक प्रशिक्षित मानव शक्ति की मांग भी बढ़ेगी। इस दृष्टि सें राज्य द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा क्रियान्वन में, प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षित मानव शक्ति की मांग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता दो स्तरों पर सम्भावित है प्रथमतः विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों की आवश्यकता, द्वितीय वह प्रशिक्षित मानव शक्ति जो व्यावसायिक शिक्षकों को विशिष्टि एवं गहन तकनीकी दक्षता प्रदान करेंगी।

प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर पर, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्क्रम लागू किये जाने हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 220 विद्यालयों का चयन किया है। इस जनपद में रा० इ० का०, पीलीभीत व राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पीलीभीत। दो विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रत्येक में तीन-तीन ट्रेड आवंटित किये गये हैं, 25 छात्र प्रति ट्रेड के हिसाब से छात्रों को प्रवेश देने की योजना है। जनपद ट्रेड के हिसाब से 6 प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। इस प्रकार आगे चल कर प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग और अधिक सम्भावित हो सकती है। इसी अनुपात में विद्यालय सें छात्रों को प्रशिक्षित करने वाले अध्यापकों को विशिष्ट तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होगी और यह मांग क्रमशः बढ़ती ही जायगी। इस प्रकार से योजना के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव शक्ति की मांग प्रखण्ड स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप बढ़ती जायगी अतः इस मांग को ध्यान में रखते हुए इसकी पूर्ति का प्रयास भी निरन्तर करते रहना होगा इस दृष्टि से प्रशिक्षण व पुर्नबोंधात्मक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना होगा।

'ङ' स्कूल/कालेजों, जहाँ व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है :

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	ट्रेड का नाम
1	2	3
1 अमरिया	रा० उ० मा० वि०, अमरिया	मैटल क्राफ्ट, आटोमोबाइल,

1	2	3
	ने० उ० मा० वि०, मझोला	रेडियो एण्ड टेलीविजन, फोटोग्राफी।
2—मरौरी	रा० उ० मा० वि०, न्योरिया	मैटल क्राफ्ट, कुक्कुट पालन।
	एस० डी० बी० सी० राम इ० का०, पीलीभीत।	मैटल क्राफ्ट, कुक्कुट पालन।
	एस० एन० इ० का०, पीलीभीत।	बढ़ई गीरी, सिलाई।
	आर्य कन्या उ० मा० वि०, पीलीभीत।	बुनाई तकनीकी, पाकशास्त्र।
3—ललौरी खेड़ा	नेहरू उ० मा० वि०, ललौरी खेड़ा।	आटोमोबाइल, मैटल क्राफ्ट।
	जहानाबाद उ० मा० वि०, जहानाबाद।	परिधान रचना एवं सज्जा, कृषि इंजीनियरिंग।
	रा० उ० मा० वि०, पौंटा	बुनाई तकनीकी, कुक्कुट पालन।
4—बरखेड़ा	जनता इ० का०, बरखेड़ा।	बुनाई तकनीकी, फोटोग्राफी।
	छ० शि० उ० मा० वि०, जोगीठेर।	कृषि इजीनियरिंग, रेडियो मेकेनिक।
5—बीसलपुर	स० ब० भा० पटेल, अमृताखास	विद्युत मिस्त्री, टेक्सटाइल।
	मीरपुर बाहनपुर, उ० मा० वि०।	बुनाई तकनीकी, परिधान रचना एवं सज्जा।
	जनता टेक्नीकल इ० का०, बीसलपुर।	आटोमोबाइल, फोटोग्राफी, मुद्रण।
6—बिलसण्डा	गां० स्मा० सु० इ० का०, बिलसण्डा।	मुद्रण, मैटल क्राफ्ट, रेडियो, टेलीविजन।
7—पूरनपुर	पब्लिक इ० का०, पूरनपुर।	मैटल क्राफ्ट, विद्युत मिस्त्री, फोटोग्राफी।
	लाल ब० शा० हा० स्कूल, चंदिया हजारा।	आटोमोबाइल, कृषि इजि०।

(ङ) आंकड़ों का विश्लेषण

8– स्कूल कालेज, जहाँ व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है :

जनपद का सर्वेक्षण के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में विश्लेषण किया गया। वर्तमान परिस्थितियों में निम्नांकित इण्टर कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा सकता है :—

विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम
1—पूरनपुर	पब्लिक इण्टर कालेज, पूरनपुर
2—बीसलपुर	एस० आर० एम० इन्टर कालेज, बीसलपुर
3—पीलीभीत (मरौरी)	एस० डी० बी० बी० राम इन्टर कालेज, पीलीभीत।

9 - स्कूल व कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा के अध्यापकों की उपलब्धता :

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत, ट्रेड्स को पढ़ाने हेतु एक पूर्ण कालिक शिक्षक और एक अंश कालिक शिक्षक की व्यवस्था की जानी है। शिक्षक सम्बन्धित ट्रेड का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त हो ताकि ट्रेड की बारीकी का ज्ञान छात्रों को करा सके तथा प्रयोगात्मक कार्यों में दक्षता प्रदान करा सके, अंशकालिक शिक्षकों का चयन पास - पड़ोस के तकनीकी संस्थानों अथवा प्रतिष्ठानों से किया जाना है इन शिक्षकों को 50 रु० प्रति व्याख्यान देय होगा। उपरोक्त विद्यालयों में विज्ञान व साहित्यिक वर्ग के प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं। अंशकालिक अध्यापकों की व्यवस्था पास पड़ोस के प्रतिष्ठानों एवं तकनीकी संस्थानों से की जा सकती है।

फिर भी ट्रेडों से सम्बन्धित विशेष योग्यताधारी अध्यापकों की कमी है। राजकीय इन्टर कालेज व राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पीलीभीत में जहाँ विगत वर्षों से व्यावसायिक शिक्षा लागू है उनमें सम्बन्धित ट्रेड से सम्बन्धित अध्यापक बोधात्मक प्रशिक्षण तो प्राप्त कर चुके हैं परन्तु तकनीकी विशिष्टता से अनुरूप शिक्षकों की कमी है।

10 - विचाराधीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की अनुक्रियायें :

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में साहित्यिक वर्ग के 50 विद्यार्थियों, विज्ञान वर्ग के 50 विद्यार्थियों, वाणिज्य तथा रचनात्मक वर्ग के 50, 50 विद्यार्थियों से

जो कि ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के थे उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर उनका साक्षात्कार लिया गया। अधिकतर विद्यार्थियों की अनुक्रियायें व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में अच्छी थीं। उनका कहना था कि व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम वर्तमान पीढ़ी के लिये और भावी पीढ़ी के लिये लाभप्रद सिद्ध होगी। आज का युग औद्योगीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। नवीन जीवन पद्धति के अनुरूप जीवनयापन की दिशा में समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगारी और मँहगाई और प्राद्योगिकी के आधुनिककरक एवं दिशा-हीन शिक्षा के फलस्वरूप जो समस्यायें आज के परिवेश में उत्पन्न हो रही हैं उनका निदान काफी हद तक व्यावसायिक शिक्षा के इस पाठ्यक्रम से किया जा सकता है।

इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा और जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते है या जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है या जिनके वित्तीय साधन, सीमित यह अल्प हैं उन्हें स्वरोजगार और स्ववालम्बी बनने के अवसर सुलभ होंगे और दिशा-विहीन युवक/युवती राष्ट्र धारा में जुड़ जायेंगे। इससे विभिन्न प्रकार के अपराधों में कमी आयगी।

कुछ विद्यार्थियों का ऐसा भी कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तो अच्छा है परन्तु यदि इसका प्रभावी ढंग से व्यवहारिक रूप नही दिया गया तो इसका लाभ जो होना चाहिये वह नहीं होगा। विद्यालयों में अन्य विषयों की पढ़ाई ही ठीक प्रकार नहीं चल पाती है तो इस अतिरिक्त पाठ्यक्रम की पढ़ाई कैसे, भली प्रकार से चल पायेगी। टंकण सिलाई, गृह विज्ञान, काष्ठशिल्प, पुस्तक-कला आदि विषय तो पहिले से ही लागू थे, और उनका विद्यार्थियों के जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। जैसा कि व्यवहारिक जीवन में होना चाहिये था।

समीक्षा :

विद्यार्थियों के विचारों की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यक्रम, प्रभावी ढंग से और सुचारु ढंग संचालित किया जाय और इस व्यवहारिकता के गुण अधिक हों तो यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को स्वावलम्बी, स्वरोजगार परक और क्षमता में विकास उत्पन्न करने वाला सिद्ध होगा।

11—व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समुदाय की अनुक्रियायें—समीक्षा :

समुदाय के विभिन्न स्तर व वर्ग के व्यक्तियों से व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध

में विचार विमर्श किया गया। विभिन्न वर्ग के 100 व्यक्तियों से सर्वेक्षण के दौरान सम्पर्क किया गया जिनमें अधिवक्ता, डाक्टर, अधिकारी, व्यापारी, ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों विधान सभा के लोक सभा के सदस्यों, नगरपालिका सभासदों स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्बन्धित व्यक्ति, महिलाओं, प्रधानाचार्यों, कृषि प्रतिष्ठान के प्रबन्धक, प्रगति शील, कृषक और स्वरोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले व्यक्ति, नगराध्यक्षों तकनीकी विशेषज्ञों आदि से विचार विमर्श किया गया। उनमें से अधिकतर की राय में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिये उपयोगी है। छात्रों में स्वावलम्बन बढ़ेगा और बेरोजगारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्र को व्यावसायिक शिक्षा की धारा की ओर मोड़ना है जिससे कि उनको स्वरोजगार उपलब्ध हो सके और या दक्षतानुसार नौकरी के अवसर सुलभ हो सकें। अभिभावकों का यह भी कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम से छात्रों में व्यवसाय विशेष के लिये न्यूनतम क्षमतायें विकसित होंगी और स्वरोजगार के लिये प्रेरणा मिलेगी और शैक्षिक योग्यता के अनुसार नौकरी के लिये दक्ष बनने में मध्यम स्तर की जनशक्ति तैयार होगी। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा समुदाय के लोगों को नवयुवक और नवयुवतियों को, छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय योजना के रूप में सफलता पूर्वक विकसित करने हेतु कालेज और प्रतिष्ठानों के बीच समुचित सहभागिता और ताल मेल स्थापित होगा।

दूसरी ओर समुदाय के कुछ भुक्तभोगियों का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा का उक्त पाठ्यक्रम, चाहे वह किसी भी ट्रेड से सम्बन्धित हो, और चाहे वह विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ाई जाती हो और चाहे वह स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे आई० टी० आई०, पॉलीटेक्निक संस्थानों में पढ़ाई जाती हो, विद्यार्थियों को केवल डिप्लोमा देने की औपचारिकता मात्र होती है। इन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली शिक्षा प्रशिक्षणार्थियों को उतना दक्ष नहीं बना पाती जितना कि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति निजी तकनिकी संस्थानों व्यवहारिक रूप से कार्य करते हुए प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिये पम्पिंग सेट का एक अपढ़ मिस्त्री जितना दक्ष होता है डिप्लोमा धारी फिटर अथवा मोटर मैकेनिक उतना दक्ष नहीं हो पाता। और इस प्रतियोगिता के युग में जहाँ रोजगार हेतु इतनी कड़ी प्रतियोगिता है डिप्लोमा धारी पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति जो कि मिस्त्री है, उससे सदैव पिछड़ जाता है और परिणाम फिर वही ढाके के तीन पात।

वर्तमान स्थापित कारखानों के प्रबन्ध को इसके विषय विचार विमर्श किया गया, और उनसे उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी, टेकनिशियन की अर्हत्ता एवं दक्षता के सम्बन्ध में बातचीत हुई तो उनमें से सभी ने यह बताया कि, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर टेकनिशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियर एवं प्रबन्धक तक के जाब के लिये कोई शैक्षिक प्रमाण-पत्र की आवश्यकता न होकर उनकी नियुक्ति उनके अनुभव के आधार पर ही की जाती है। इस प्रकार व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वावलम्बी जीवन व स्वरोजगार प्राप्ति में व्यवहारिक रूप से सार्थक सिद्ध नहीं होगी।

इसी तारतम्य में एक मोटर वर्कशाप के प्रबन्धक का कथन है, कि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य निश्चय ही लाभप्रद है। परन्तु इसके क्रियान्वन में व्यवहारिकता का अत्यन्त अभाव है। उन्होंने कहा कि मैं व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों से भली भांति परिचित हूँ। क्योंकि मैं स्वयं और मेरा एक मैकेनिक, व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में ही एक विद्यालय में आयोजित दस दिवसीय बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में, प्रशिक्षण देने हेतु गया था। जहाँ प्रत्येक दिन मेरे मैकेनिक ने एक बार मोटर खोल व बांध कर दिखाई और प्रशिक्षणार्थियों को पम्पिंग सेट के विषय में बताया पम्पिंग सेट खोल बांध कर भी दिखाया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे मैकेनिक को लगभग 5 वर्ष इसी कार्य को करते हुए हो गये, फिर भी मैं उसे दक्ष मैकेनिक नहीं मानता, हाँ मेरा काम अवश्य चला देता है। फिर आप कैसे अपेक्षा करते हैं, कि इतने अल्प समय के प्रशिक्षण में वे प्रशिक्षणार्थी जो इससे पहिले तकनीकी ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, क्रियात्मक कार्य में तो बिल्कुल ही कोरे थे, कैसे इतने दक्ष हो सकते हैं, कि वे अन्य किसी को अथवा छात्रों को तकनीकी ज्ञान, विशेषकर क्रियात्मक ज्ञान दे सकते हैं, और कैसे वे अबोध छात्रों को तकनीकी कार्य में दक्ष बना सकेंगे यह कल्पना की बात है।

समीक्षा :

समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों की अनुक्रियाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस पाठ्यक्रम का यह उद्देश्य तो पूरा हो सकता है कि छात्रों में व्यवसाय विशेष के लिये न्यूनतम क्षमतायें विकसित हो सके और स्वरोजगार के लिये प्रेरणा मिल

सके यह एक प्रकार की सीख अथवा प्रारम्भिक जानकारी का माध्यम तो बन सकता है परन्तु व्यावसाव विशेष में दक्षता प्राप्त कराना नहीं हो सकेगा।

चूंकि व्यावसायिक शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य 1995 तक 25 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की धारा की ओर मोड़ना है ताकि छात्रों को स्वरोजगार की प्रेरणा मिल सके और दक्षतानुसार नौकरी के अवसर सुलभ हो सके तथा उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में कठिनाई न हो। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम वास्तव में एक प्रभावी कदम सिद्ध हो सकता है यदि व्यावसायिक, शिक्षा का पाठ्यक्रम के क्रियान्वन का स्तर, रोजगार प्राप्त करने की वर्तमान, प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाय।

———

निष्कर्ष

प्रखण्ड का नाम	प्रस्तावित कोर्सेज	कोर्सेज स्थापित करने का स्थल	सफलतापूर्वक संचालन करने हेतु उपाय
1	2	3	4
1—अमरिया	1—मैटलक्राप्ट 2—आटोमोवाइल 3—रेडियो एवं टेलीविजन 4—फोटो ग्राफी 5—मुद्रण 6—बढ़ई गीरी	रा० उ० मा० विद्यालय अमरिया	1—विद्यालय के पास भवन उपलब्ध होना चाहिये जहाँ कि वर्कशाप स्थापित की जा सके।
2—मरौरी	1—मैटल क्राप्ट 2—बढ़ईगीरी 3—कुकुट पालन 4—आटोमोबाइल 5—रेडियो एवं टेलीविजन 6—फोटोग्राफी	स० घ० बां० बि० राम इन्टर कालेज, पीलीभीत	2—वित्तीय संसाधन :— हर विकासखन्ड में बैंकिंग सेवा सुलभ होना चाहिये जिससे कि ऋण की व्यवस्था हो सके।
3—ललौरी खेड़ा	1—आटोमोबाइल, 2—मैटल क्राप्ट 3—परिधान रचना एवं सज्जा।	नेहरू उ०मा०वि० ललौड़ी खेड़ा।	3—सुयोग्य अध्यापकों की उपलब्धता होना भी आवश्यक है जिससे कि उन्हें प्रशिक्षण देकर सफल

1	2	3	4
	4—टेक्सटाइल डिजायनिंग		प्रशिक्षक बनाया जा सके ।
4—नरखेड़ा	1—बुनाई तकनीकी 2—मैटल क्राफ्ट 3—फोटोग्राफी 4—आटोमोवाइल		4—उपकरण :— ट्रेड सम्बन्धी उपकरणों की सुलभता भी बहुत आवश्यक है । जिससे कि विद्यार्थियों को लिखित यांत्रिक ज्ञान के साथ साथ, विषय का क्रियात्मक ज्ञान भी उपलब्ध कराया जा सके । तकनीकी क्रियात्मक ज्ञान हेतु 20 x 12 मीटर की नाप का वर्कशेड होना चाहिये । वित्तीय व्यवस्था :— ट्रेड के सफल संचालन हेतु वित्तीय व्यवस्था एक अपरिहार्य कारक है जिसकी व्यवस्था बैंकों से ऋण लेकर की जा सकती है ।
5—बीसलपुर	1—परिधान रचना एवं सज्जा । 2—टेक्सटाइल डिजायनिंग	एस०आर०एम०इ० कालेज, बीससपुर	5—विद्यालय मान्यता प्राप्त हो, प्रधानाचार्य स्थाई हो ।

1	2	3	4
	बुनाई तकनीकी 3—आटोमोबाइल		
6 —बिल्सण्डा	1—मुद्रण 2—मैटलक्राफ्ट 3—रेडियो एवं टेलीविजन	गांधी स्मारक, सुन्दर लाल इ० कालेज, बिल्सण्डा	6—प्रचार, प्रसार के लिये विज्ञापन, समाचार पत्र एवं अन्य संचार साधनों का समुचित किया जाना चाहिये ।
7—पूरनपुर	1—मैटल क्राफ्ट 2—आटोमोबाइल 3—विद्युत मिस्त्री 4—फोटोग्राफी	पब्लिक इ० का०, पूरनपुर	

'च' 20. सर्वेक्षण का निष्कर्ष

प्रखण्डवार सम्भावित (ट्रेड्स) कोर्स की पहिचान :

प्रखण्डवार सम्बन्धित कोर्स की पहिचान हेतु सर्वेक्षण के निष्कर्ष के फलस्वरूप निम्न जानकारी प्राप्त हुई :—

विकासखंड, पूरनपुर, बीसलपुर, बिलसण्डा और मरौरी विकासखंड कृषि बाहुल्य क्षेत्र हैं अत: कृषि पर आधारित कोर्स जैसे कृषि इंजीनियरिंग, बर्कशाप, खाद्य संरक्षण, तथा फल संरक्षण, डेरी प्रौद्योगिकी आदि कोर्स (ट्रेड) की सम्भावनायें हैं।

बरखेड़ा विकासखंड :

बरखेड़ा विकासखण्ड में कृषि इंजीनियरिंग, खादी उद्योग से सम्बन्धित कोर्स (ट्रेड) की सम्भावनायें हैं।

ललौरी खेड़ा :

ललौरी खेड़ा विकासखण्ड में आटोमोबाइल्स, मुद्रण, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी ट्रेड की सम्भावनायें हैं।

अमरिया :

यहाँ जनरल इंजीनियरिंग, भूमि संरक्षण, सहकारिता, फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी, बीजोत्थान प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित ट्रेड की सम्भावनायें हैं।

सम्भावित कोर्स को स्थापित किये जाने हेतु स्थलों की पहिचान :

सम्भावित ट्रेड को स्थापित करने के लिये स्थल का चुनाव करते समय यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है अथवा कच्चा माल प्राप्त है उन उद्योगों से सम्बन्धित कोर्स में उस क्षेत्र के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाय ताकि उन्हें स्वरोजगार के अवसर उसी क्षेत्र में प्राप्त हो सकें और स्थापित उद्योग से छात्रों के कोर्स से तारतम्य बना रहे। विद्यालय के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता हो। साथ ही

रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनायें हों। ट्रेड्स के प्रति छात्रों की रुचि हो ताकि वे प्रवेश के लिये उपलब्ध हो सके। उस ट्रेड से सम्बन्धित विद्यालय के आस-पास में कोई प्रतिष्ठान उद्योग संचालित हो जहाँ छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य एवं व्यवहारिक ज्ञान की सुविधा नराई जा सके। सम्बन्धित ट्रेड्स को चलाने में विद्यालय में शिक्षण के अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध हो सके। ट्रेड के प्रयोगात्मक एवं विशिष्ठ ज्ञान के शिक्षण हेतु अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ आसानी से मिल सकें। अत: स्थान की पहिचान करते समय उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करके ही स्थल निर्धारण का निर्णय लेना उचित होगा।

कोर्स की सफलता हेतु प्रस्तावित उपायों का विवरण :

किसी भी ट्रेड को सफलता पूर्वक चलाने हेतु कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। क्षेत्र विशेष के विद्यालयों में कोर्स चयन करने के उपरान्त उसे छात्रों को विषय का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिये एवं सफल व प्रभावी शिक्षण देने के लिये यह आवश्यक है कि उस विद्यालय के पास अपना अतिरिक्त भवन, स्टाफ, ट्रेड से सम्बन्धित उपकरण अपना एक वर्कशाप जिसमें प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव हो तथा उसके अपने वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।

भवन :

विद्यालय की निजी भूमि हो और भवन भी शिक्षण कार्य हेतु पर्याप्त हो।

विद्यालय प्रबन्ध :

भवन के प्रबन्ध से सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। अत: ट्रेड को सफलता पूर्वक चलाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर भवन सबसे पहला आवश्यक साधन है। बिना भवन के शिक्षण कार्य सम्भव नहीं।

स्टाफ :

ट्रेड के सफल संचालन हेतु दूसरा आवश्यक कारक, सुयोग्य, ट्रेड में प्रशिक्षित एवं व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान एवं अनुभवी शिक्षकों का होना आवश्यक है। बिना उपयुक्त स्टाफ के शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। शिक्षण हेतु शिक्षकों की पर्याप्त संख्या भी होनी चाहिए।

उपकरण :

व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो भी ट्रेड विद्यालयों में लागू की जाय उसमें स्थल ज्ञान के लिये एवं प्रयोगात्मक कार्य के लिये उपकरण एक आवश्यक कारक है। उपकरणों का ट्रेड से सम्बन्धित पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है उपकरण व्यवहारिक शिक्षा के लिये उपयुक्त एवं अनिवार्य साधन है।

वर्कशाप :

विद्यालय में ट्रेड का प्रशिक्षण सभी एक सफल शिक्षण सिद्ध हो सकता है जब उसमें एक वर्कशाप हो, प्रयोगात्मक कार्य के लिये वर्कशाप होना भी एक अनिवार्य कारक है छात्र जो भी कार्य सीखेगे उसका व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि प्राप्त ज्ञान का क्रियात्मक अनुभव कराया जाय अत: वर्कशाप में उपकरणों और मशीनों को स्थापित किया जाता है उनके रख-रखाओं और सुचालित रखने के लिये एक अतिरिक्त स्थान होना चाहिये। सामान्यत: विद्यालय के पास 20 × 12 मीटर के नाप के वर्कशेड उपलब्ध होना चाहिये। वर्कशाप ही व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड का व्यावहारिक ज्ञान देने का आधार है।

वित्तीय व्यवस्था :

उपरोक्त समस्त कारक ट्रेड के सफल संचालन में तब तक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते जब तक वित्तीय संसाधन उसमें अपना पूर्ण योगदान करने के योग्य न हों। यह कहना अतिश्योक्ति पूर्ण न होगा कि वित्तीय संसाधन व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक सभी कारकों की तेजीवनी शक्ति है। अत: सर्वप्रथम वित्तीय व्यवस्था की सुदृढ़णता अनिवार्य है।

अन्य उपाय :

1—विद्यालय जहां स्थापित है वह स्थान यातायात और जन संचार की सुविधाओं से युक्त हो।

2—विद्यालय स्थाई मान्यता प्राप्त हो जिससे कि वह इस गुरतर कार्य के दायित्व को भली-भाँति सहन कर सके।

3—विद्यालय का प्रधानाचार्य स्थाई नियुक्त हो।

4—विद्यालय इण्टर स्तर तक मान्यता प्राप्त हो।

उपरोक्त सभी तथ्य जो कि प्रस्तावित किये गये है व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को सफल बनाने में अत्यन्त और आवश्यक हैं।

सर्वेक्षण आख्या का सार

व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण की विस्तृत आख्या का अवलोकन, विश्लेषण तथा सारिणीकरण प्रपत्रों में दर्शाई गई सूचनाओं का विवेचन करने के उपरान्त साररूप में जो तथ्य सामने आये हैं वे निम्नवत् हैं :—

1—व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण के उद्देश्य जो इस आख्या के 11 बिन्दुओं में उल्लिखित हैं के अनुसार जनपद पीलीभीत की समस्त सम्बन्धित सूचनायें एवं आँकड़ें एकत्र किये गये।

2—व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के समावेश हेतु जो परिकल्पना की गई है उसको मूर्तरूप देने हेतु प्रक्रिया के प्रथम चरण की पूर्ति में, जनपद से सभी सात विकासखन्डों के औद्योगिक क्षेत्रों विद्यालय चयन की उपयुक्त का अध्ययन किया गया।

अध्ययन : साररूप :

दीर्घ एवं मध्यम उद्योग	7
हाईस्कूल	17
इन्टर कालेज	11
1989 में व्याव० शि० पा० वाले विद्यालय	2
आगामी प्रस्तावित विद्यालय	3

3—जैसा कि शासन की योजना है कि 1989 में जुलाई से व्यावसायिक शिक्षा (पाठ्यक्रम) लागू की जाय। वर्ष 1989 के हाईस्कूल परीक्षाफल के अनुसार (1553) छात्र हाईस्कूल उत्तीर्ण होकर कक्षा 11 में प्रवेश ले सकते हैं, परन्तु योजनानुसार केवल 10 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, 156 छात्र ही लाभान्वित हो सकते हैं। इसी प्रकार योजनानुसार 1990 से 1995 तक 25 प्रतिशत छात्रों को लाभान्वित कराना है यदि गत 5 वर्ष हाईस्कूल परीक्षा फल का औसत 1791 माना जाय तो 25 प्रतिशत के हिसाब से 448 छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का लाभ मिल सकेगा। सर्वेक्षण से यह भी तथ्य सामने आया है कि वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रयोग प्रतिशत का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार छात्र/छात्राओं की स्वरोजगार देने में और स्वावलम्बी बनाने में काफी समय लगेगा अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया को और गति देनी है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7822
Date 27-10-93

NIEPA DC
D07822